# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक १ ] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का २३वां दिवस [ संख्या १५



बुधवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

### [सार्वजनिक निर्माण, सहकारी, कृषि, गृह, विद्युत्, पशुपालन एवं यातायात-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भीमसेन।

### लूणकरणसर-सूरतगढ़ रोड का निर्माण कार्य

९४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि लूणकरणसर-सूरतगढ़ रोड का काम पिछले दो वर्षों से स्थगित कर दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सही है कि बीकानेर जिले को गंगानगर जिले से जोड़ने वाली यही एक मात्र सीधी सड़क है तथा प्रशासनिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है ?

(३) इस सड़क के निर्माण में कुल कितने खर्चे का अनुमान है ?

**उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : १. जी हां। हाई पावर्ड कमेटी के निर्णयानुसार केवल सूरतगढ़ से बिरधवाल तक कार्य करना है।

(२) जी हां।

(३) सूरतगढ़ से बिरधवाल के भाग पर १०,५०,०००) रु० खर्च होंगे।

**श्री भीमसेन** : लूणकरणसर से सूरतगढ़ तक रोड निर्माण करने में कितना अनुमान है ?

# Page No. 2



**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : कमेटी के निर्णय के अनुसार बीच का पोर्शन स्थगित कर दिया गया था।

**श्री भीमसेन** : लूणकरणसर से सूरतगढ़ तक रोड बनाने का जो अनुमानित व्यय था उसमें से खर्चा पहले कितना हुआ ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : इसके संबंध में टेन्डर हुए थे और कुछ जगहों पर थोड़ा रुपया खर्च भी हुआ था। लेकिन हाई पॉवर्ड कमेटी की मीटिंग हुई उसके कारण यह सड़क स्थगित कर दी गई।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : इस कमेटी के निर्णय का क्या आधार था ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को एक्जामिन करने के दृष्टिकोण से यह स्थगित किया गया था।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह निर्णय था कि सब-डिविजनल हैडक्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से जोड़ा जाय तो इस प्रकार के निर्णय के बाद हाई पावर्ड कमेटी ने किस प्रकार से निर्णय बदला ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट एक्जामिन हो रहा है इस वजह से स्थगित करना आवश्यक समझा गया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : लूणकरणसर से सूरतगढ़ तक सड़क बनाने की एस्टीमेटेड कोस्ट क्या थी ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : ३१ लाख रुपये के करीब होगा।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जितना भी मेटीरियल राजस्थान केनाल के लिये बीकानेर से सप्लाई किया जाता है अगर यह सड़क बन जाती है मेटीरियल ठीक और सस्ता पहुँच सकता है। राजस्थान केनाल के लिये यह सड़क महत्वपूर्ण है।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : राजस्थान केनाल के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही यह किया गया है।

**श्री विजयसिंह झाला** : अब तक प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ इसको स्थगित क्यों कर दिया गया ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री हरिश्चन्द्र) : हाई पावर्ड कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि सड़क सूरतगढ से नरथवाल तक जोड़ दी जाय उससे कन्स्ट्रक्शन में फायदा हो सकता है, मेटीरियल चीपर जा सकता है। इस वास्ते इधर डाइवर्शन हुआ है।

**श्री भीमसेन** : अब बीकानेर से गंगानगर तक सड़क जोड़ने की योजना रखी गई है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : धन राशि उपलब्ध होगी तो करेंगे।

**श्री विजयसिंह झाला** : पैसा पहले रखा जाता है उसके बाद योजना बनती है तो मेरा यह निवेदन है कि इसको जोड़ने की कोई निश्चित योजना बनायी है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : योजना तो है लेकिन धन राशि उपलब्ध होगी तो योजना को पूरा किया जायगा।

# Page No. 3



**श्री मुरलीधर व्यास** : धन राशि को देख कर ही तो योजना बनाई गई होगी । यह सड़क द्वितीय योजना में भी रखी गई थी उसमें भी पूरी नहीं हुई तीसरी योजना में भी रखी गई है फिर भी आप कहते हैं अर्थ-व्यवस्था होगी तो करेंगे !

**श्री हरिश्चन्द्र** : थर्ड फाइव ईयर प्लान का ओरीजनल एस्टीमेट १६ करोड़ का था उसकी एवज में १३ करोड़ मिलेंगे इसके अनुसार कार्य होगा ।

**श्री भीमसेन** : इस दस मील के टुकड़े पर अर्थ वर्क तो हो चुका, क्लेक्शन वर्क हो चुका । एक स्टेज पर बन्द किया गया इसको कम से कम कम्पलीट तो करले ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : जैसा मान लीजिये अर्थ वर्क हो चुका तो कोशिश की जायगी काम पूरा करने की ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जिस बोर्डर एरिया के लिये इस सड़क का निर्माण पहला काम था उसमें इतना विलम्ब हुआ ! मैं समझता हूँ यह महत्वपूर्ण सड़क है इसके लिये विलम्ब करना राज्य के लिये भी नुकसानदायक है । जब कि सारे डिविजन की रोड मिल चुकी यही एक डिस्ट्रिक्ट रहा है जो डिविजनल हैडक्वार्टर से नहीं मिल सका ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

## गुड खांडसारी समितियां, खमनोर पंचायत समिति

९५. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) खमनोर पंचायत समिति में कुल कितनी गुड-खांडसारी समितियां हैं तथा उन्हें कितने कितने रुपयों का अनुदान एवं कर्ज दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है उनमें कुछ समितियों ने गुड-खांड बनाने का कार्य बन्द कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) प्रत्येक समिति को कितना लाभ या नुकसान हुआ ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**कृषि मंत्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस प्रश्न का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । करीब दस दिन का और समय चाहिये ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

## कदमाली नदी पर पुल का निर्माण

९६. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या निम्बाहेड़ा—नीमच रोड पर गम्भीरी बांध के कारण कदमाली नदी के पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है ?

(२) क्या इसी कारण सी. आर. पी. नीमच की कार डूब गई थी और ड्राईवर की मृत्यु हो गई थी ?

(३) क्या इस वर्ष वर्षाकाल से पूर्व इस पुलिया के स्थान पर ऊंचा पुल बना दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

**उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(३) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

**श्री अब्दुलजब्बार** : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा फरमावेंगे कि इसके नहीं बनने से जनता को कितना कष्ट हो रहा है ? इस किस्म की कोई सूचना सरकार के पास आई या नहीं ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : सूचना तो आई है। इसको हमने तीसरी योजना में शामिल कर दिया है।

**श्री अब्दुलजब्बार** : कृपया इतना और बताने का कष्ट करें कि यह निर्माण कब तक हो जावेगा ? वर्षा काल से पूर्व हो जावेगा या वर्षा काल में भी वही मुसीबत फिर सामने आवेगी ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में पूरी हो जावेगी।

**श्री अब्दुलजब्बार** : यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दिल्ली-बम्बई जाने वाली मेन रोड पर पुलिया बनी हुई है। इससे काफी दिक्कतें जनता को होती हैं। कृपया इसे फिर से स्पष्ट करें कि आया इस वर्षा काल से पहले यह बन जावेगी या नहीं ? तीसरी योजना भी शुरू हो गई है, पर इसी वर्षा से पहले यह पुल बन जावेगा या नहीं ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : यह तो पहले ही कह चुका हूं कि वर्षा से पहले नहीं बन सकती। तीसरी योजना की समाप्ति के अन्त तक बनेगी।

**बीकानेर-लूणकरणसर सड़क**

९७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर लूणकरणसर सड़क के कितने हिस्से पर अभी तक डामर होना शेष है ? क्या यह सही है कि बिना डामर के इस सड़क का काफी हिस्सा खराब हो चुका है ?

**उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) २२ मीलों में। (२) सही नहीं है।

**श्री भीमसेन** : सही नहीं है, तो मौके पर जाकर आप स्वयं देख आवें।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : रिपेयर होती रहती है, मेन्टीनेन्स फण्ड में से खर्च हो रहा है।

**श्री भीमसेन** : आपकी रिपोर्ट के अनुसार तो वह नहीं हो सकता।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : हो सकता है, पर मेरी जानकारी के अनुसार सड़क ठीक है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : यह सड़क लूणकरणसर से गंगानगर है। आगे का काम पूरा करने के लिये तो आप फरमा रहे हैं, पर लूणकरणसर तक जोड़ने में इसको पूरा नहीं कर रहे हैं। सो ऐसा क्यों ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : यह तो डामर किया ही जा चुका है। अब २२ मील का टुकड़ा बचा है, जैसे ही धन प्राप्त हो जायगा इसे भी कर दिया जावेगा।

**श्री मुरलीधर व्यास** : सेकिन्ड प्लान में तो यह सड़क थी, धन की कठिनाई का सवाल कहां से पैदा हुआ ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : प्लान में तो डामर करने का नहीं था, जैसे तैसे इधर उधर से बचा कर वहां लगाया था।

**श्री भीमसेन** : दस साल में तो जाकर नाम किया है सड़क बनाने का तो इसको तो आप डामर कर दीजिये।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : धन की उपलब्धि होने पर कर देंगे।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इस सड़क से आपका ही लाभ है। यह सड़क बन गई तो डाकुओं और चोरों का आंतक उधर कम हो जावेगा। पुलिस को आवागमन की सुविधा हो जावेगी।

**गृह मन्त्री** ( श्री मथुरादास माथुर ) : डामर कर देने से उनके फुट प्रिन्ट्स प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आप ऐसा क्यों सोचते हैं ? यों क्यों नहीं सोचते कि सड़क बन गई तो आपकी जीप गाड़ी वगैरह बड़ी जल्दी से वहां जा सकती है और इस तरह जल्दी से जल्दी आप डाकुओं और चोरों आदि का जिनका उधर काफी आंतक रहा है, आप मुकाबला आसानी से कर सकेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास।

## केन्द्रीय भेड़ अनुसंधान केन्द्र खोलने की व्यवस्था

९८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

( १ ) क्या राजस्थान में सरकार की ओर से केन्द्रीय भेड़ अनुसंधान केन्द्र खोलने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो कहां पर ?

( २ ) क्या यह केन्द्र खोलने के पूर्व उसके योग्य स्थान के लिए किसी ने जांच की है ? यदि हां, तो किसने ?

( ३ ) जांच की रिपोर्ट क्या है ?

**उप-मन्त्री, कृषि** (श्रीमती कमला बेनीवाल ) : ( १ ) जी नहीं।

( २ ) प्रश्न ही नहीं उठता

( ३ ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया,' जी नहीं,' तो क्या जांच नहीं की गई ? अगर जांच नहीं की गई तो क्या केन्द्र भी खोला गया या नहीं ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं खोला गया ,भारत सरकार ने खोला है। उसने अपने एक्सपर्टों को भेजा था।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह तो पहले ही लिख दिया गया है प्रश्न में ही। पर क्या इसका स्थान नियत करने के लिये भी केन्द्रीय

# Page No. 6



( श्री मुरलीधर व्यास )

सरकार ने राजस्थान सरकार से पूछताछ नहीं की ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : आपने जो केन्द्रीय शब्द लिखा है इसका मतलब राजस्थान वाइड भी हो सकता है। आपने सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट के हिसाब से नहीं लिखा है।

**श्री भीमसेन** ( लूणकरणसर ) : खैर। जवाब मिल जाना चाहिये। इसके बारे में कोई जांच तो की गई होगी कि कौनसा स्थान उपयुक्त है। केन्द्रीय सरकार के एक्सपर्टों ने भी तो स्थान की उपयुक्तता के बारे में कुछ जांच की होगी ?

**कृषि मन्त्री** ( श्री नाथूराम मिर्धा ) : एक्सपर्टों की ऐसी कमेटी को मिला कर ही यह स्थान दिखाया गया था।

**श्री भीमसेन** : यही स्थान दिखाया या दूसरे स्थान भी दिखाये थे राजस्थान में कहीं और भी जगह ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उनको तो राजस्थान के सारे हिस्से देखने को भेजा गया था और उन्होंने देखे भी हैं। पर उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया कि औसत वर्षा १५ इंच होनी चाहिए ऐसे स्थान के लिए। तो इस औसत में आप वाला एरिया या उधर वाला एरिया आता नहीं था।

**श्री भीमसेन** : १५ इन्च की ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती, इसमें बड़ा भेद नहीं है। पांच, सात, आठ या दस इन्च की बारिश का जहां औसत है वहां भेड़ें बहुत अधिक हैं। तो उनकी क्वान्टिटी और क्वालिटी का खयाल रखते हुए जिस मतलब के लिये यह केन्द्र खोला गया उसको देखना चाहिये था।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इस केन्द्र में रिसर्च जो करेंगे तो इसका जुरिस्डिक्शन केवल राजस्थान ही नहीं होगा, और प्रोविन्स भी होंगे।

**श्री मुरलीधर व्यास** : रिसर्च का काम भेड़ों पर होगा या और किसी प्राणी पर करेंगे ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : भेड़ों पर ही।

**श्री मुरलीधर व्यास** : अब जब केन्द्र मालपुरा में है और भेड़ों पर अनुसंधान करेंगे तो और जगहों की भेड़ें मालपुरा में उनको लानी पड़ेगी ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सारी भेड़ों को वहां उठा कर लाने की जरूरत नहीं है, रिसर्च लायक भेड़ों की जरूरत होगी वह ले आवेंगे।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि खर्चा करने के लिये सरकार के पास अधिक पैसा नहीं और अब इधर भेड़ों को यहां लाने ले जाने में क्या खर्चा नहीं होगा ? काफी होगा यह भी और अनुसन्धान में भी काफी खर्चा होगा। तो रिसर्च में इस खर्चे के इतने बड़े प्रश्न के दृष्टिकोण से भी क्या आप अब भी दुबारा एन्क्वायरी कराने के पक्ष में नहीं हैं ? इस दृष्टि से मैं समझता हूँ स्थान बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाडमेर है आप इनमें से कहीं पर भी कर सकते हैं, पर भेड़ें तो सब तरह की आसानी से उपलब्ध होनी चाहिये, नहीं तो लाने लेजाने

# Page No. 7



( श्री मुरलीधर व्यास )

में ही सारा पैसा खर्च हो जावेगा। आप अनुसन्धान क्या करेंगे, इसके लिये पैसा आपके पास कहां से बचेगा ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उस कमेटी ने, जो कि भारत सरकार ने मुकर्रर की थी, इन बातों की भी जांच की है। ये सारे फैक्टर्स उनकी जांच के दौरान उनकी नजर में आ गये हैं। इसके अलावा अमुक तादाद में जमीन चाहिये, अमुक प्रकार की क्लाइमेट चाहिये, अमुक प्रकार की औसत वर्षा वाला क्षेत्र चाहिये; तो इन सब मुद्दों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया गया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : १५ इन्च बरसात ही कारण बताने की क्या जरूरत पड़ गई ? इस औसत को बताने का क्या कारण है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वह तो एक्सपर्टों की राय थी।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आप भी तो एक्सपर्ट ही हैं। नागौर में भी आप कर सकते थे, वहां भी तो १५ इन्च का औसत है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं अपने को एक्सपर्ट नहीं मानता।

**श्री भीमसेन** : किस क्लाइमेट में भेड़ें बढ़ सकती हैं, यह तो साफ है कि कम औसत की जगह पर भेड़ें काफी तादाद में होती हैं। तो उसी क्लाइमेट में वे ठीक रह सकेंगी, इसको देखते हुए उधर केन्द्र क्यों नहीं खोला गया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जिस क्लाइमेट में ज्यादा बढ़ती हों वहां ही रिसर्च स्टेशन रखना ज़रूरी नहीं माना एक्सपर्टों ने। क्लाइमेट का भी क्या असर पड़ सकता है, यह भी देखने का उनका काम है। उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर आदि भिन्न भिन्न क्लाइमेट में कैसी केरेक्टरिस्टिक्स भेड़ का रहता है तो इन सब भेड़ों पर रिसर्च इस जगह पर किया जा सकता है और कोई दिक्कत नहीं और जैसा मैंने कहा उत्तर भारत की बहुत सी स्टेटों की भेड़ों के बारे में भी यहां रिसर्च होगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : क्या राजस्थान सरकार इस एक्सपर्ट कमेटी की राय से सहमत हो चुकी है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जी हां, निर्णय भी ले लिया गया है।

**श्री अब्दुलजब्बार** ( निम्बाहेड़ा ) : काश्मीर में ले जाकर रखा जावे तो वहां की क्लाइमेट का भी काफी असर उन पर होगा, तो वहां रिसर्च अधिक अच्छी तरह से हो सकती है। क्या इस पर भी सरकार गौर करेगी वहां रिसर्च केन्द्र खोलने के लिए ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इन्हीं सारी बातों के लिये तो क्लाइमेटिक इफेक्ट कितना होता है और असर कितना होता है, ग्रोथ कैसी होती है, उनकी वूल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है यह केन्द्र खोला ही गया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या आप कह सकते हैं कि कोई आयोग इसके बारे में बैठाकर स्थान की उपयुक्तता के बारे में लोकतान्त्रिक तरीके से निर्णय करना चाहते हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जी नहीं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : अब तो मालपुरा के वे मन्त्रीजी भी हार गये हैं जिनकी वजह से शायद सरकार को कठिनाई हो सकती थी, इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार कर लेना चाहिये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ये हारने-जीतने से निर्णय नहीं होते, मैरिट्स पर होते हैं।

## खारी नाले का निर्माण कार्य कस्बा-हिन्डौन

६६. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान सरकार ने कस्बा हिन्डौन में जो खारी नाले का कार्य प्रारंभ किया था वह इस समय बन्द पड़ा है? यदि हां, तो क्यों?

(२) इस खारी नाले में कुल कितना व्यय हुआ था तथा अब कितनी धनराशि लगेगी जो स्वीकृत की हुई है?

(३) क्या यह सही है कि इस निर्माण कार्य के अधूरे रहने से सन् १९६१ की बरसात में जनता को काफी क्षति पहुँची थी जिसकी पूर्ति हेतु सरकार को अनुदान देना पड़ा था? यदि हां, तो कुल कितने रुपये की धनराशि अनुदान में दी गई?

(४) क्या सरकार ने इस कार्य को इस वर्षा ऋतु के पहले पूर्ण करने की योजना बनाई है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?

**उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, खारी नाले का कार्य जिस ठेकेदार के नाम था वह कार्य करने में असफल हो गया है।

(२) इस खारी नाले में फरवरी ६२ तक ६४,२७६) रु० की धनराशि खर्च हुई है और ४०,०००) रुपये की और धनराशि खर्च होने की सम्भावना है।

(३) जी नहीं। इस कार्य के बन्द होने से जनता को क्षति नहीं पहुँची है। अनुदान देने की कोई इत्तला इस विभाग के पास नहीं है।

(४) जी हां, वर्षा ऋतु के पहले कार्य पूर्ण होने की योजना है।

**श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या इस बारे में एक्सपर्टों ने, स्पेशियेलिस्टों ने, विजिटर ने, इन्वेस्टिगेटर ने कोई रिपोर्ट पेश की है कि क्यों और किस कारण से यह काम बन्द हो गया है? अगर ऐसा हो तो वह रिपोर्ट सदन के सामने पेश करने की कृपा फरमावें।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : ऐसी कोई जानकारी इस विभाग के पास नहीं आई है।

**श्री अब्दुलजब्बार** : और जनता को तकलीफ नहीं है तो किस आधार पर यह चीज आपको मालूम है?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : तकलीफ के लिये नहीं कहा है। क्षति की जानकारी हमारे पास नहीं आई, और जब तक वह नहीं आए तब तक क्या कहा जा सकता है।

# Page No. 9



**श्री सम्पतलाल** ( मावली ) : क्या वर्षा ऋतु से पहले ही तैयार हो सकता है ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : मैंने निवेदन किया कि वर्षा ऋतु के पहले कार्य पूर्ण होने की हमारी योजना है ।

**श्री अब्दुलजब्बार** : जिस ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया और जो असफल सिद्ध हुआ उसके खिलाफ क्या विभाग ने कोई एक्शन लिया है ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : यह तो नियमानुसार जैसा होता है किया जाता है। दूसरे ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है । पहले वाले को नोटिस दिया है । काम जल्दी ही शुरू हो जायगा ।

**श्री अब्दुलजब्बार** : पनिशमेन्ट के रूप में आपने क्या पहले ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लिया है, यह जानना चाहता हूँ । आपने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो जैसे इस ठेकेदार ने काम लिया और छोड़ कर चला गया उसी तरह दूसरे भी चले जावेंगे । तो भविष्य में इस तरह की बातें न हों और ठेकेदारों को सबक मिले इसके लिये आपने इस ठेकेदार को क्या पनिशमेन्ट दिया है, यह बताने की कृपा करें ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : जो असफल होते हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हैं ।

**श्री अब्दुलजब्बार** : मैं पूछता हूँ आपने इस ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछिये, मैं जवाब दूंगा ।

**श्री अब्दुलजब्बार** : यह भी इसी प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न है । उससे इसका लिंक जुड़ा हुआ है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** ( रायसिंहनगर ) : क्या इस ठेकेदार का लाइसेन्स जब्त करने की कार्यवाही की गई है ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : यह अलग से प्रश्न है ।

**श्री अध्यक्ष** : फिर भी आप यह जांच कर लें कि सरकार के द्वारा इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई या नहीं की गई ।

## पुलिस थानों की सीमा का निर्धारण

१००. **श्री भीमसेन** ( लूणकरणसर ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

( १ ) क्या यह सही है कि पुलिस थानों की सीमाओं के संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि वे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के टेरीटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन तक महदूद होने चाहिए ?

( २ ) क्या यह सही है कि गांव मीठड़िया, तहसील लूणकरणसर, थाना सूरतगढ़, जिला गंगानगर एवं थाना नापासर की सीमा तहसील डूंगरगढ़ जिला चुरू के गांवों में लगती है ? अगर हां, तो इस अवस्था में सुधार लाने हेतु क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

Page No. 10



**गृह मन्त्री** ( श्री मथुरादास माथुर ) : (१) पुलिस थानों की सीमाओं में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वे तहसील के टेरीटोरियल जुरिस्डिक्शन तक महदूद होने चाहिए। परन्तु बाद में इसके कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां सामने आने की वजह से सरकार ने पुनः इस विषय पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि पुलिस थानों की सीमा सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के टेरीटोरियल जुरिस्डिक्शन तक महदूद होनी चाहिए।

( २ ) गांव मीठड़िया, तहसील लूणकरणसर, थाना सूरतगढ़ जिला गंगानगर की सीमा ( रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन ) एस० डी०-एम० उत्तरी बीकानेर में लगती है। और थाना नापासर जिला बीकानेर के १५ गांवों की सीमा ( रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन ) जिला चुरू के सब-डिविजन रतनगढ़ (तहसील डूंगरगढ़) में लगती है। जिला गंगानगर और बीकानेर के पुलिस थानों की सीमाओं को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के टेरीटोरियल जुरिस्डिक्शन तक महदूद बनाने के लिए इन जिलों के कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों से प्रपोजल्स मांगे गये थे। परन्तु अभी तक उनके फाइनल प्रपोजल्स नहीं आये हैं। उनके आने पर इस विषय में सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

**श्री भीमसेन** : यह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कब निर्णय लिया गया और आपने जिला अधिकारियों से प्रस्ताव कब मांगे ?

**श्री मथुरादास माथुर** : यह निर्णय सीनियर आफिसर्स कॉन्फ्रेन्स जो माउन्ट आबू में हुई थी १९६० में उसमें लिया गया था और सर्कुलर ७-७-६० को हमारे यहां से निकाला गया था। इसके बाद में दूसरा सर्कुलर हमारे यहां से २ सितम्बर, १९६० को निकाला, तीसरा १९ जुलाई, १९६१ को निकाला। एस० पी० ने अपनी सिफारिशें बना कर कलेक्टर के पास भेज दी। एस. पी., गंगानगर ने २५-९-६१ को दोनों सिफारिशें कलेक्टर के पास भेज दी। उनकी रिकमन्डेशन हमारे पास नहीं आयी है और उसकी इन्तजारी की जा रही है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रपोजल्स के लिए कलेक्टर्स को कब लिखा था ?

**श्री मथुरादास माथुर** : अध्यक्ष महोदय, सर्कुलर सब को साथ ही भेज दिये हैं और एस० पी० ने अपने प्रपोजल्स बना कर कलेक्टर के पास भेज दिये हैं। S. P. Ganganagar is concerned in this matter and he has sent his proposals to the concerned Collectors on 27-6-61.

**श्री अध्यक्ष** : ऐसा मुश्किल कार्य नहीं है, एक जिले से दूसरे जिले में देना है। आप उनको हिदायत करेंगे कि जल्दी मिल कर जोइन्ट प्रपोजेल्स भेज दें।

**श्री मथुरादास माथुर** : Already we have reminded the Collectors concerned.

**श्री गिरधारीलाल व्यास** ( आसींद ) : क्या राजस्थान के तमाम थानों की इस प्रकार की, एस० डी० एम० ने नियम बनाये हैं, उस प्रकार की सीमा निर्धारण हो चुकी है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : जनरल सर्कु-

( श्री मथुरादास माथुर )

लर सभी कलेक्टर्स और एस० पीज० को भेज दिये गये हैं कि यह हमारी स्टेट पॉलिसी है कि एस० डी० एम० को कोटरमीनस पुलिस स्टेशन देने चाहिए और इसके बारे में यह पर्टीकुलर केस इन रेफरेन्स, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में उत्तर दे दिया गया है। हम उनका जनरल रिव्यू कर रहे हैं। अगर कोई खास बात है तो नोटिस दीजिए।

**श्री भीमसेन** : हमारे गृहमंत्री जरा चुस्ती से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा।

**श्री मथुरादास माथुर** : सुझाव के लिए धन्यवाद।

**श्री मोहनराज** (बाली): क्या ऐसा प्रस्ताव आया है कि बाली सब-डिविजन में १८ रेवेन्यू तहसीलें बाली सब-डिविजन में दे दी गई हैं ? इस प्रकार के परिवर्तन का कोई प्रस्ताव आया है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : रेवेन्यू डिविजन से हमारा सम्बन्ध नहीं है। एक रेवेन्यू डिविजन दूसरे में चला जाये तो उससे हमारा संबंध नहीं है।

**श्री मोहनराज** : एस० डी० एम० के जुरिस्डिक्शन को इफेक्ट करनेवाली बात है इसलिए मैंने कहा।

**श्री मथुरादास माथुर** : यह सूचना दी, इसके लिये धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री श्रवणलाल।

### हिन्डौन शहर में नल लगवाने की योजना

१०१. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान सरकार ने हिन्डौन शहर में नल लगवाने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं लगे और अब कब तक लग जायेंगे ?

**उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी नहीं।

**श्री श्रवणलाल** : क्या ऐसी कोई योजना है ?

**श्री भवानीशंकर नंदवाना** : सर्वे की गयी थी।

**श्री श्रवणलाल** : अध्यक्ष महोदय क्या ये बताने की कृपा करेंगे कि वहां नल कब तक लग जायेंगे ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : मैंने कहा कि सर्वे की गयी है। अगर स्कीम सेंक्शन हो गयी और धन उपलब्ध हो गया तो योजना शुरू की जायेगी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

### जैतपुर—तलवास सड़क का निर्माण कार्य

१०२. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी में मन्त्री मण्डल की बैठक के समय यह घोषणा मुख्य मन्त्री द्वारा की गई थी कि जैतपुर से तलवास तक सड़क शीघ्र बनवाई जावेगी ?

# Page No. 12



( श्री हरिप्रसाद शर्मा )

(२) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

**उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण** (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। (२) कार्य आरम्भ किये जाने के आदेश दे दिये हैं।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, इसमें 'हां' कहा गया है। यह मन्त्री मण्डल के मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी, तो उसको कितने वर्ष बीत गये ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : मैंने कहा 'जी हां' और उसका कार्य आरम्भ करने के आदेश दे दिये गये हैं।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : क्या यह सही है कि गत वर्ष भी बजट इसके लिए रखा गया था और वह लैप्स हो गया ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : अब कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

**श्री हरिप्रशाद शर्मा** : कार्य शुरू करने की कार्यवाही को तो तीन साल हो गये, क्योंकि यह घोषणा माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने तीन साल पहले की थी तो फिर उस पर काम क्यों नहीं शुरू कराया गया ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : कोई भी काम घोषणा करते ही शुरू नहीं होता है। उसके एस्टीमेट्स बनाये जाते हैं, सैंक्शन होती है, टेन्डर्स कॉल किये जाते हैं, तब कहीं जाकर काम शुरू किया जाता है।

**श्री अब्दुलजब्बार** ( निम्बाहेड़ा ) : प्रश्न यह था कि गत वर्ष बजट स्वीकार किया गया था और वह लैप्स हो गया तो उसका क्या आधार है ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : जी नहीं, बजट लैप्स नहीं हुआ।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : आप क्या कह रहे हैं बजट लैप्स नहीं हुआ ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : उत्तर दे दिया है, जी नहीं हुआ।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, पिछली साल इस काम के लिये ६,०००) रु० रखा गया था और वहां कुछ भी काम नहीं हुआ।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : बजट कोई लैप्स नहीं हुआ है।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह गलत जवाब दिया जा रहा है। मंत्री महोदय को इस प्रकार का गलत जवाब नहीं देना चाहिए। कम से कम मंत्री महोदय सही जवाब तो दें।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : गलत जवाब कौन सा दिया ? आप जरा कहें।

**श्री मानसिंह महार** : जब सवाल क्लियर है और सदस्य को मालूम है कि ६,०००) रु० उसके लिए रखा था और वह लैप्स हो गया और आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ तो फिर इसका क्या जवाब है ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** ( श्री हरिश्चन्द्र ) : १०,०००) रु० का कार्य किया गया है।

**श्री मानसिंह महार** : अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री महोदय तो कहते हैं कि लैप्स नहीं हुआ है और उधर कहते हैं कि १०,०००) रु० का काम हुआ है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ६,०००) रु० सेंक्शन हुआ था और अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ तो किस को सही मानें ?

**श्री अध्यक्ष** : १०,०००) रु० का काम हुआ है ६,०००) के बजाय।

**श्री मानसिंह महार** : सवाल यह उठता है कि आदेश अब दिये गये हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि गत वर्ष ही काम हो गया तो इन दोनों में कौन सा सही है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : उप-मंत्री ने कहा कि आदेश दे दिये हैं। गत वर्ष १०,०००) रु० का काम हो गया।

**श्री अध्यक्ष** : यह थोड़े ही कहा गया है कि इस साल आदेश दे दिये हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र** : १४-१२-६१ को आदेश दे दिये गये हैं।

**श्री मानसिंह महार** : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब क्लियर नहीं हुआ। सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन यह था कि आया पिछली साल में इसके लिए कोई बजट रखा गया था या नहीं रखा गया था और बजट लप्स हुआ या नहीं। एक मंत्री महोदय ने कहा कि बजट ही नहीं रखा गया और एक मंत्री महोदय कहते हैं कि काम हुआ; तो ये दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी चीजें हैं।

**श्री अध्यक्ष** : "लैप्स" के विषय में तो कहा है कि लैप्स नहीं हुआ। फिर माननीय सदस्य ने कहा कि ६,०००) रु० का प्राविजन रखा था उसका क्या हुआ ? उसके बाद मंत्री महोदय ने कहा कि १०,०००) रु० का काम हुआ है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : मंत्री महोदय कह दें कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्या स्थिति यह है कि बजट रखा गया और कुछ काम हुआ है, यह कहने की स्थिति में हैं क्या आप ?

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : कहीं वास्तविक स्थिति यह तो नहीं है कि पैसा खर्च हो गया हो और काम भी न हुआ हो।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कहीं ठेकेदार को पेमेन्ट हो गया हो।

**श्री मानसिंह महार** : शायद एडवान्स दे दिया गया होगा। अगर मंत्री महोदय इसको क्लियर कर दें तो ज्यादा अच्छा हो।

**श्री हरिश्चन्द्र** : १०,०००) रु० तक के काम की इजाजत दी जा चुकी है।

**श्री मानसिंह महार** : सवाल बहुत क्लियर है कि बजट लैप्स हो चुका तो अब उसकी जिम्मेदारी किस पर है और क्या एक्शन लिया गया ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : अब सवाल यह है कि १०,०००) रुपया कहां गया ?

**श्री अध्यक्ष** : और रोड कहां गई ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : बजट रखा गया और सड़क बनने में खर्च हुआ या नहीं ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : १०,०००) रु० की धन राशि का प्रावधान रखा गया था। उसके लिए एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को आदेश दे दिये गये हैं कि वह टेन्डर कॉल करे और काम शुरू कराये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : तो अभी तक काम नहीं हुआ, यही बात है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जब प्रावधान रखा गया और ऑर्डर भी हो गए और पैसा वैसा का वैसा पड़ा है तो ऑर्डर देने का मतलब क्या है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : मेरा मतलब यह कि कितना काम हुआ है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह १०,०००) रु० का प्रावधान रख दिया गया था और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को १४-१२-६१ को आदेश दिया गय था कि काम शुरू कर दिया जाय।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : यह १०,०००) रु० किस चीज का है ?

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : यह राजस्थान मंत्री मंडल की शान का प्रश्न है। जब मुख्य मंत्रीजी बूंदी आये थे तो आम सभा में लाखों की जनता के सामने कहा था कि २ महीने में वह रोड पूरी हो जायगी। बजट रखा जाता है वह लैप्स हो जाता है। एक पैसा नहीं लगा और उसके लिए कहा जाता है कि १०,०००) रु० का काम शुरू हो गया है।

**कृषि सहकारी समितियां, जिला उदयपुर**

१०३. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

उदयपुर जिले में कुल कितनी कृषि सहकारी समितियां बनी हुई हैं ? उनमें प्रत्येक के पास कितनी भूमि है तथा कितने सदस्य हैं ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**कृषि मंत्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : उदयपुर जिले में कुल ४४ कृषि सहकारी समितियां हैं। भूमि तथा सदस्यों का ब्योरा परिशिष्ट (क) में दे दिया गया है जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री विजयसिंह झाला** : क्या यह सही है कि जो ४० कृषि सहकारी समितियां बनी हुई हैं उनमें बहुत सी सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनको जमीन नहीं दी गई है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैंने लिस्ट दी है।

**श्री विजयसिंह झाला** : इस सूची में ऐसी भी सहकारी समितियां हैं जिनको भूमि नहीं दी गई, तो आखिर सहकारी समितियां क्यों बनाई गई हैं और उनको भूमि देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : एक तो पहली ही सहकारी समिति, बलीचा सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि० है जिसको सन् ६१ में जमीन एलॉट हुई है। परन्तु जमीन पर कब्जा

( श्री नाथूराम मिर्धा )

गांव वालों ने नहीं लेने दिया । वह मामला अदालत में चल रहा है । ऐसे झगड़े पैदा हो जायं उनके बारे में अदालत जो फैसला करेगी वही होगा । अगर यह अदालत फैसला करती है कि वह जमीन जो सहकारी समिति को एलॉट की गई है वह नहीं मिलेगी तो उस सहकारी समिति को वापिस लिक्विडेट कर देंगे ।

**श्री विजयसिंह झाला** : क्या यह सही है कि जो कृषि सहकारी समिति बनाई जाती है उसमें वे ही सदस्य रखे जाते हैं जो कृषि करते हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मेरे खयाल से जो खेती करेंगे वे ही हैं । परन्तु यह दो प्रकार की हैं । एक दफा सरकार ने जमीन एलॉट करने के बारे में यह निर्णय लिया था कि जो नई जमीन एलॉट की जायगी वह उन्हीं लोगों को एलॉट की जायगी जिनके पास में जमीनें नहीं हैं । वे कोऑपरेटिव सोसाइटी बना कर कोआपरेटिव तरीके से खेती करेंगे तो उनको जमीन एलॉट की जायगी । उस वक्त में बहुत से लोगों को जमीनें एलॉट की गई हैं । अब जो सहकारी समितियां बना रहे हैं वे आम तौर से ऐसे लोगों की बना रहे हैं जो इन्डि-विजुअल खातेदार हों । उन्हीं लोगों को कहते हैं कि तुम मिल कर खेती करो ।

**श्री विजयसिंह झाला** : जवाहरनगर कृषि सहकारी समिति लि० जो बनी हुई है जिसके १२७ सदस्य हैं और जिसको ३,७०५ बीघा जमीन दी गई है क्या उनमें ऐसे भी सदस्य हैं जो कृषि नहीं करते हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह कौन से नम्बर की है ।

**श्री विजयसिंह झाला** : सूची के १२ नम्बर पर है ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इसके बारे में कोई सूचना मेरे पास अभी नहीं है कि वे खेती करने वाले हैं या नहीं हैं ।

**श्री विजयसिंह झाला** : तो क्या यह समझा जाय कि ये सहकारी समितियां इसलिए बनाई जाती हैं कि जो लोग खेती नहीं करते हैं वे भी जमीनें ले लेते हैं और फिर बेच देते हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : नहीं, ऐसा तो नहीं है ।

**श्री विजयसिंह झाला** : इसका सुबूत....

**श्री अध्यक्ष** : देखिये, इस तरह के जनरल प्रश्न नहीं पूछें । यह पूछें कि अमुक जगह जमीन एलॉट हुई थी वह बेच दी तो सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ।

**श्री विजयसिंह झाला** : जो जवाहर-नगर सहकारी समिति बनी हुई है उसको ३,७०५ बीघा जमीन दी गई और जिसके १२७ सदस्य हैं तो यह आगे प्रश्न उठता है कि टीनेन्सी एक्ट में जो एरिया प्रेस्क्राइब किया गया है उसका भी खयाल किया जाता है या नहीं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : माननीय अध्यक्ष, मेरा खयाल है कि आपने सारे जिले की

( श्री नाथूराम मिर्धा )

सहकारी समितियों के बारे में सवाल पूछा है। किसी स्पेसिफिक सहकारी समिति के बारे में शिकायत थी उसके बारे में कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछते तो मैं बता सकता था।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : यह एक बुनियादी प्रश्न है कि जो जमीन एलॉट की गई है कोआॅपरेटिव्ज़ को वह को ऑपरेटर्स के अलग अलग नाम से दी गई है या कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से दी गई है ? यदि कोआॅपरेटिव सोसाइटी को दी गई है तो फिर उनके शेयर्स किस प्रकार से होंगे ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ये दोनों प्रकार की होती हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि जमीनें इन्डिविजुअल के नाम से एलॉट की गई हैं उनको भी सहकारी समितियों में ऑर्गेनाइज़ किया है और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें जमीन सहकारी समिति के नाम एलॉट हुई है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या वह जमीन जो एलॉट की गई है वह सहकारी समिति का शेयर माना जायगा ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इसमें किसी का शेयर नहीं है। वह सारी की सारी जमीन जितने भी मेम्बर्स हैं जिनको कि १६-१६ बीघा बराबर के हिसाब से दी गयी है तो वह बराबर जमीन है और बाकी की जो शेयर केपिटल है वह वे अपनी खुद दे देते हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : इसका केपिटल वेलुएशन कैसे होगा ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : आपने जमीन एलॉट कर दी और आगे जाकर वह सारी कोआॅपरेटिव की हो गई तो जो वह जमीन जो एलॉट होगी उसकी हिस्सेदार सरकार होगी। तो मतलब क्या निकलेगा कि सरकार हिस्सेदार होगी ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सरकार हिस्सेदार नहीं होगी। सरकार लैण्ड रेवेन्यू चार्ज करेगी। वह जमीन बराबर में एलॉट होगी। जो सहकारी समितियों को बराबर के हिसाब से एलॉट की गई है।

**श्री अध्यक्ष** : यह जनरल प्रश्न इस वक्त नहीं करें। आपने तो बुनियादी बहस शुरू कर दी।

**श्री मुरलीधर व्यास** : गलत तरीके से एलॉटमेंट करते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : बहस करना है तो नोटिस देकर करें आधे घन्टे का।

(विराम)

श्री भीमसेन।

## ग्राम सिंथल, तहसील बीकानेर में विद्युत् वितरण

१०४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम सिंथल, तहसील बीकानेर के कुल कितने घरों में बिजली की फिटिंग की हुई है लेकिन वहां तक बिजली के खंभे अभी तक नहीं लगाये जा सके ?

( श्री भीमसेन )

(२) क्या यह सही है कि मौहल्ला हरिजन, मौहल्ला चारण (कुंभदानजीवाला) तथा मोहता के कुएं तक बिजली के खंभे पहुंचने की मांग चल रही है ? अगर हां, तो कब तक इस मांग की पूर्ति कर दी जायगी ?

(३) उपरोक्त मांग पूरी करने के पश्चात् सिंथल को कब तक कनेक्शन दे दिया जावेगा ?

**उप-मंत्री, विद्युत्** (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) ग्राम सिंथल के कितने घरों में बिजली की फिटिंग है, इसकी सूची तो नहीं है लेकिन जहां जहां आवश्यक समझा वहां बिजली के खम्भे लगा दिये गये हैं।

(२) जी हां, दिनांक १३-३-६२ को एक प्रार्थना-पत्र आया था। उसके बाद में हरिजनों के मौहल्ले में बिजली की व्यवस्था की जा चुकी है। अन्य स्थानों पर जांच करके व्यवस्था की जायगी।

(३) सिंथल में बिजली जून १९६२ के अन्त तक पहुंचने की आशा है।

**श्री भीमसेन** : क्या बिजली का कनेक्शन देने के लिए ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था की जा चुकी है ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : इसके बिना तो कैसे हो सकेगा ?

**श्री भीमसेन** : ट्रान्सफार्मर के लिए, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी मिली है कि वह अभी तक नहीं आया है और न कोई व्यवस्था मंत्री महोदय ने उसके लिए की है।

**विद्युत् मंत्री** (श्री हरिश्चन्द्र) : प्रश्न के भाग (३) के उत्तर में बताया गया है कि जून ६२ तक बिजली आ जायगी, तब तक ट्रान्सफार्मर भी पहुंच जायगा।

## कृषि विश्वविद्यालय का खोला जाना

**१०५. श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या राज्य के कृषि विश्वविद्यालय खोलने के पूर्व उसके स्थान की उपयुक्तता पर किसी विशेष समिति ने जांच की थी ? यदि हां, तो उसने कहां कहां दौरा किया तथा उसकी रिपोर्ट क्या है ?

(२) यदि नहीं, तो कृषि विश्वविद्यालय के लिये उदयपुर ही उपयुक्त स्थान किस आधार पर मान लिया गया ?

**उप-मंत्री, कृषि** (श्रीमती कमला बेनीवाल) (१) जी नहीं।

(२) भारत सरकार के कृषि विभाग और उसकी कमेटी की सलाह से जो इस सम्बन्ध में नियुक्त की गई थी।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जो कमेटी नियुक्त की गई थी उसने राजस्थान के विभिन्न इलाकों को देख कर उसके बाद में निर्णय किया है या वहीं बैठ कर किया है ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : कमेटी ने क्राइटेरिया दिया था उस क्राइटेरिया के अनुसार यहां पर आकर उसने उसके बारे में डिसक्शन किया है और डिसक्शन के बाद में जो सबसे उपयुक्त पाया गया है वहां के लिए वह तय किया गया है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजस्थान की अन्य भाग की जनता को इस बात का मौका दिया था कि वे अपने अपने क्षेत्रों की उपयुक्तता साबित कर सकें उस कमेटी के सामने ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : इसके सम्बन्ध में तमाम स्थानों को मौका देने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि इसके साथ साथ जो आवश्यकताएं उन्होंने रखी थी वे आवश्यकताएं उदयपुर के सिवाय और कहीं उपलब्ध नहीं थी।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या क्या आवश्यकताएं थी कृषि विश्वविद्यालय के लिए, उसका ब्यौरा बतायेंगी ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : उन्होंने जो फेसिलिटीज़ चाही थी उसमें एग्रीक्लचर कॉलेज वहां होना चाहिए था। दूसरे, वहां केमिस्ट्री और प्लान्ट पेथोलॉजी की जरूरत थी। उसके अलावा एनीमल हस्बेन्ड्री के जरिये से जो पाल्ट्री फार्म वगैरह थे इनकी जरूरत थी। ये तमाम की तमाम बातें जो थी वे सिवाय उदयपुर के और कहीं पर भी नहीं थी इसलिए वह कमेटी और कहीं गई नहीं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या कमेटी की यह राय थी कि ये फेसिलिटीज दूसरी जगह उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : पहले से जहां उपलब्ध हैं वहीं पर क्यों न किया जाय बनिस्बत इसके कि दूसरी जगह नये सिरे से उपलब्ध कराई जाकर वहां खोली जायं।

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : युनिवर्सिटी पर करोड़ों रुपया खर्च किया जायगा तो दूसरी जगह पर भी सारी उपयुक्तताएं हो सकती हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : एग्रीक्लचर कॉलेज जोबनेर में भी था फिर उदयपुर को ही क्यों चुना गया ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : एग्रीक्लचर कॉलेज के अलावा और भी चीजें चाहिए थी; वेटरनरी कॉलेज, एनीमल हस्बेंड्री, होम साइन्स, यह सारी चीजें जो थी वे जोबनेर में उपलब्ध नहीं थी....

**श्री मुरलीधर व्यास** : वेटरनरी कॉलेज तो बीकानेर में था ....

**श्री अध्यक्ष** : आप सुनिये तो सही।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या इन....

**श्री अध्यक्ष** : आप पहले उत्तर सुन लीजिये।

( विराम )

क्या आपका उत्तर पूरा हो चुका ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : जी हां।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या इन आधारों पर जो निर्णय एक्सपर्ट कमेटी ने लिया उसमें एक आधार यह भी था कि जहां के मुख्य मन्त्री हैं वहां कॉलेज हो ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : यह तो आपके सोचने की बात है। मैंने न तो ऐसा बताया है और न ऐसा कोई क्राइटेरिया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : वेट नेरी कॉलेज बीकानेर में है और राजस्थान की सबसे बड़ी नहर भी वहां पर है और दूसरी और दूसरी सारी चीजें वहां पर उपलब्ध हैं तो इनके बावजूद भी बीकानेर या गंगानगर में एग्रीकल्चर कॉलेज क्यों नहीं खोला गया ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : सबसे पहली आवश्यकता जो एग्रीकल्चर कॉलेज के लिये है वही वहां पर नहीं थी, तो बाकी चीज़ें तो गौण हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : मुख्य मन्त्रीजी को कितने वर्ष पहले मालूम हो गया था कि एग्रीकल्चर कॉलेज खुलनेवाला है ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : आपको यह मालूम होना चाहिये कि यह राजस्थान सरकार की स्कीम नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की स्कीम थी।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : एशिया की सबसे बड़ी फार्म, भाखरा केनाल, और फर्टिलाइजर फैक्ट्री क्या इसके लिये उपयुक्त नहीं थे या वहां खोलने का दिमाग नहीं था ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : युनिवर्सिटी को इनसे ताल्लुक नहीं था।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : क्या एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कोशिश करेंगी ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : ऐसा पूछा जायगा तो विचार करूंगी।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : क्या मेरे द्वारा बताई गई बातों के आधार पर तुलनात्मक महत्व अंकित करने के लिये जांच कमेटी बैठाने का विचार है ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : मैं समझती हूं जांच कमेटी की आवश्यकता नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## जयपुर सहर में पानी और बिजली की दरों में कमी करना

१०६. **श्री मानसिंह महार** (आमेर) : Will be Minister for Power be pleased to reply:—

When does the Government intend to reduce the water and electricity rates in Jaipur City in view of the supply of power from Bhakra and Chambal Projects ?

**विद्युत मंत्री ( श्री हरिश्चन्द्र )** : The electricity rates in Jaipur city are likely to undergo revision when Chamble Tariff is applied to the ciy after supply of Chambal nower has been receiuew.

**श्री मानसिंह महार** : यह कब तक हो जायगा साहब। आपने फरमाया कि They will under go achang कब तक हो जायगा ? How Long it will tatce ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : When we receive power.

**श्री मानसिंह महार** : पॉवर हाउस बन रहा है, कितने दिनों में मिल जायगी। सवाल यह है will it take six months, one year or two years ? कुछ अवधि बतादी जाय

तो अच्छा है ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : सप्लाई कब पहुंचेगी, मुझे क्या मालूम कब पहुंचेगी ?

**श्री भीमसेन** ( लूणकरणसर ) : क्या भाखरा से जयपुर को बिजली मिलेगी ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : जी नहीं ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : बीकानेर में भाखरा से बिजली मिलने के बावजूद भी आपने रेट्स का रिवीजन नहीं किया है, इसका कारण बतायेंगे क्या ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : इसके लिये अलग से प्रश्न पूछें ।

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : रिवीजन तो जरूर किया है, बढ़ाया है, वाटर चार्जेज बढ़ाये हैं इसका कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

**सपोटरा-हाड़ोती सड़क के निर्माण की योजना**

१०७. श्री **गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सपोटरा से हाड़ोती तक सड़क बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो सकेगा ?

**उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण** ( श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी हां , सवाई माधोपुर से सपोटरा रोड़ के निर्माण की योजना है । कार्य आरम्भ करने के बारे में अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

**श्री गोविन्दसहाय** : सुनाई नहीं दिया, साहब ।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : जी हां, सवाई माधोपुर से सपोटरा रोड के निर्माण की योजना है । कार्य आरम्भ करने के बारे में अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : माननीय मन्त्रीजी की आवाज साफ नहीं है । उनको हिदायत करने की कृपा करें कि साफ बोलने की कोशिश करें ।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : जी हां । सवाई माधोपुर से सपोटरा रोड के निर्माण की योजना है । कार्य आरम्भ करने के बारे में अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

**श्री गोविन्दसहाय** : निश्चित कब हो जायगा ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : तीसरी पंच वर्षीय योजना में ।

**श्री गोविन्द सहाय** : यह उत्तर गलत है । यह सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में थी ।

**श्री भवानीशंनर नन्दवाना** : जी नहीं ।

**श्री गोविन्दसहाय** : पिछला भी गलत उत्तर दिया था । वह फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में थी, थर्ड में नहीं है । मंत्रीजी ने थर्ड का फरमाया था इसलिये शायद पूरी मुकम्मिल रिपोर्ट आपके पास नहीं आती है ।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : यह नयी सड़क है, साहब ।

**श्री गोविन्दसहाय** : केबिनेट की मीटिंग जब सवाई माधोपुर में हुई थी तो उस समय

( श्री गोविन्दसहाय )

फरमाया था कि सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में पूरी हो जायगी ।

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : प्रश्न यह उठता है कि पहले भी इसका उत्तर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में पूरी करदी जायगी ? यदि हां, तो फिर यह निश्चित है कि यह योजना सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में थी ।

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा उत्तर दिया गया है या नहीं । लेकिन यह नयी सड़क है, तीसरी योजना में इसको शामिल किया गया है और इसी में बनाने की योजना है ।

**श्री विजयसिंह झाला** : क्या यह सही है कि मंत्रीजी के पास जवाब आते हैं तो पहले इस विषय में क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं आती ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : जानकारी करके ही जवाब दिया जाता है ।

**श्री विजयसिंह झाला** : जानकारी थी तो क्या यह प्रश्न पहले पूछा गया था ?

**श्री गोविन्दसहाय** : मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि इसकी स्वीकृति थर्ड प्लान से पहले ही हो चुकी थी ।

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री हरिश्चन्द्र) : सड़क की लम्बाई ज्यादा होगी तो सेकिन्ड में चालू होकर थर्ड में केरी ओन हुई होगी ।

**श्री गोविन्दसहाय** : लिमिटेशन कितना है, १० मील का टुकड़ा है ।

**श्री विजसिंह झाला** : जवाब स्पष्ट नहीं है, कटिंग हुआ क्या फरमाया ?

**श्री हरिश्चंद्र** : लम्बी सड़क होती है तो सेकिन्ड प्लान पीरियड में शुरू होकर थर्ड में भी चल सकती है, फोर्थ में भी चल सकती है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : वास्तविकता क्या है ? सेकिन्ड में रखी गई थी और पूरी नहीं हो सकती इसलिये थर्ड में केरी-ओवर की जा रही है क्या ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : सपोटरा से हाडोती तक नयी सड़क है और इसे नयी योजना में लिया जा रहा है । सेकिन्ड प्लान में नहीं थी ।

**श्री विजयसिंह झाला** : क्या इसका पोर्शन सेकिन्ड प्लान में लिया गया था ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (राजसमंद) : इसकी लम्बाई को देखते हुए कितने फाइव ईयर प्लान्स यह कंज्यूम करेगी ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : यह अर्थ पर निर्भर करता है ।

**श्री गोविन्दसहाय** : थर्ड फाइव ईयर प्लान में यह काम कब शुरू हो जायगा ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : यह नहीं कहा जा सकता । लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में काम प्रारम्भ हो जायगा ।

**एक माननीय सदस्य** : चतुर्थ में समाप्त हो जायगा क्या ?

**श्री भवानीशंकर नन्दवाना** : शुरू तीसरे प्लान में होगा।

**एक माननीय सदस्य** : आपके मंत्रीत्व काल में समाप्त होगा या नहीं ?

**पाटन तहसील में पशु अस्पताल**

१०८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाटन तहसील में पूरे क्षेत्र के लिए मवेशियों का अस्पताल नहीं है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में मवेशियों का अस्पताल खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक खुल जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उप-मन्त्री, पशुपालन** (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) पाटन (जिला बूंदी) में मवेशियों का अस्पताल है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, पाटन में कोई अस्पताल नहीं खुला हुआ है।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : इनकी जानकारी ऐसी है कि वहां अस्पताल नहीं है, लेकिन ५६–५७ में खुल चुका है।

**श्री अध्यक्ष** : 'उनको' नहीं कहिये, माननीय सदस्य कहा जाय।

**कई माननीय सदस्य** : कहीं ऐसा तो नहीं है कि माननीय मंत्राणी दूसरे पाटन की बात कह रही हैं।

**श्री अध्यक्ष** : एक साथ न बोलें।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : शायद ऐसा मालूम होता है कि पाटन दो हैं और मंत्राणी दूसरे पाटन के सम्बन्ध में जवाब दे रही है ?

**श्रीमति कमला बेनीवाल** : जिला बूंदी के पाटन के अलावा और किसी दूसरे पाटन के बारे में सवाल है तो जानकारी करके बताऊंगी।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई अस्पताल नहीं है सिर्फ एक कम्पाउन्डर है, वह किस प्रकार से इतने मवेशियों की देखरेख कर सकता है ?

**श्री अध्यक्ष** आप स्वयं मिनिस्टर की तरह धीमे धीमे स्वीकार करते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : बिना अस्पताल के कम्पाउन्डर क्या करता होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल।

**राजस्थान रोडवेज की बसों का किराया**

१०९. **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि जिन रूटों पर बसों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उन पर किराया प्राइवेट बसों के मुकाबले में

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

ज्यादा लिया जाता है, जिससे जनता में भारी असन्तोष है और इस कारण जनता में राष्ट्रीयकरण के खिलाफ भावना बढ़ रही है ?

(२) क्या सरकार का इन रूटों पर किराया कम करने का विचार है ?

**यातायात मंत्री** (श्री हरिश्चन्द्र) : प्राइवेट बसों के मुकाबले में राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप कुछ मार्गों पर किराया कम और कुछ पर अधिक हुआ है।

राष्ट्रीयकृत बसों में यात्रियों को प्राप्त होनेवाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए असन्तोष का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये।

(२) इन रूटों के किराये कम करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : माननीय मंत्रीजी ने कहा कि असन्तोष का प्रश्न उठना नहीं चाहिये। सवाल यह था कि असन्तोष हो रहा है या नहीं; एडवाइस नहीं पूछना चाहते, वास्तविकता क्या है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : अखबारों में जरूर आया है, मेरे पास सूचना नहीं है।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** (बयाना) : क्या यह सही है कि भरतपुर से जयपुर तक प्राइवेट बसेज का किराया ३॥) रु० है और सरकारी बसेज का किराया ५) रु० १ आना है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : प्राइवेट बसें क्या चार्ज करती हैं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि राजस्थान रोडवेज की बसे हैं वे ४ नये पैसे प्रति मील प्रति व्यक्ति लेने के लिये ऑथेराइज्ड हैं और यही चार्ज कर सकती हैं।

**एक माननीय सदस्य** : ऐसी प्राइवेट बसें हैं जो आपकी गाड़ियों से भी अच्छी हैं, डीजल की गाड़ियें हैं वे अलवर से यहां का किराया ३॥) रु० चार्ज करती हैं और आपकी गाड़ियें ५॥) रु० चार्ज करती हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र** : प्राइवेट बसें जितनी सीटें होती हैं उससे दुगुनी सवारी ले जाती हैं और कई प्राइवेट बसें इससे भी कम लेती हैं। मगर जितनी सहूलियतें राजस्थान रोडवेज में हैं उतनी उनमें नहीं हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कौन कौन सी सहूलियतें प्राइवेट बसों से आपकी बसों में अधिक हैं ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : सहूलितों के लिये जहां तक आपने प्रश्न किया इसके लिये मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो रूट्स हैं उन पर ओवर लिफ्ट नहीं किया जाता है। जहां जहां सेन्टर होते हैं वहां शेड प्रोवाइड करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं तथा और भी सहूलियतें हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अब तक जब कि आप ज्यादा किराया ले रहे हैं, आपने कोई शेड प्रोवाइड नहीं किया है, न पानी की व्यवस्था की है और न कोई विशेष इन्तजाम किया है। फिर आपने रेट्स ज्यादा बढ़ाई हैं उसका क्या आधार है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : मैंने आपको नं० २ के उत्तर में कहा है कि किराया कम करने के लिये मामला सरकार के विचाराधीन है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह कब तक हो जावेगा ?

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : राष्ट्रीयकरण की नीति जब अपनाई गई थी उस समय यह कहा गया था कि प्राइवेट बसेज से इसमें किराया कम होगा लेकिन अब ज्यादा किराया क्यों लिया जाता है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

**श्री अध्यक्ष** : कई मार्गों पर निर्धारित रेट हैं । प्राइवेट बसें हैं जो कम्पीटिशन की वजह से कम रेट लेती हैं मगर जहां पर निर्धारित रेट हैं उससे कम है क्या ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : ऑथेराइज्ड रेट है वह ४ नये पैसे है ।

**श्री अध्यक्ष** : How does it compare with the existing rates ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : It is higher.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : प्राइवेट बसों ने रेलवे के किराये को ध्यान में रखते हुए अपना किराया निर्धारित किया है, अपने कम्पीटिशन से नहीं । जैसे अलवर से यहां का किराया ३) रु०, १६ पैसे चले आ रहे हैं । रोडवेज वालोंने ५॥) रु० कर दिये । इसका ताल्लुक प्राइवेट बसों के कम्पीटिशन से नहीं है । पहले कुछ समय तक यह किराया प्राइवेट बसों के कम्पीटिशन के कारण ३,१६ नये पैसे से भी कम हो गया था । मगर वह थोड़े दिनों बाद समाप्त हो गया । उससे भी १॥- रुपया ज्यादा सरकारी बसों का किराया है । क्या गवर्नमेंट की यह नीति है कि राष्ट्रीयकरण कृत बसों में भी प्राइवेट बसों के समान किराया हो और उससे ज्यादा नहीं होगा ? क्या यह आश्वासन गवर्नमेंट देती है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : अभी मैं आपको इसके मुतल्लिक अर्ज नहीं कर सकता । अभी तो मैं इतना ही अर्ज कर सकता हूं कि जिस प्रकार और स्टेटों में ५ नये पैसे प्रति व्यक्ति प्रति मील के हिसाब से हैं, जैसे मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में हैं, उनसे हमारे यहां की दर कम है और वह ४ नये पैसे निर्धारित की गई है । इससे ज्यादा नहीं लेते हैं । कई प्रांतों में दूसरी श्रेणी के ४ नये पैसे हैं ।

**श्री अमृतलाल यादव** (भोपालसागर): यह चार नये पैसे प्रति मील प्रति व्यक्ति लिये जाते हैं तो इसका आधार क्या है ? अगर इसका आधार कन्वीन्स करने वाला है तो ठीक, अगर दूसरा आधार हो तो इसके लिए सोचना होगा ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आपने परसेन्टेज मुनाफे का तो सोचा होगा कि इतना परसेन्ट मुनाफा हम लेंगे । आखिर बिजनेस कन्सर्न है यह तो सोचा ही होगा कि एक रुपये पर इतना मुनाफा लेंगे ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : यह सूचना मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है ।

**एक माननीय सदस्य** : क्या सरकार इस महीने में किराये को कम करने के लिए तैयार है ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): Dose he think this is a satisfactory state of affairs ?

**स्वास्थ्य मन्त्री** (श्री बरकतुल्लाखा) : It is matter of opinion whether it is a satisfactory state of affairs or not.

**एक माननीय सदस्य** : क्या सरकार यह बताने की कोशिश करेगी की लोडिंग और अन् लोगडिंग के लिए कोई व्यवस्था है जिस प्रकार प्राइवेट बसों में है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : वहां पर पोर्टर मौजूद होते हैं ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उन पोर्टरों को अलग से सामान उतारने और चढ़ाने के पैसे देने पड़ते हैं । इसलिए आपका यह कहना सरासर गलत है ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : अगर ऐसी बात है तो मैं जानकारी करुंगा ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप बसेज से सफर करें तो आपको मालूम हो जायेगा ।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या सरकार ने अभी तक यह पता नहीं गाया कि बसों से उनको कितना मुनाफा होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : इसके बारे में प्रश्न नहीं है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जब सरकार का इस मोटर के काम में इतना रुपया लगता है तो उसने यह भी हिसाब लगाया होगा कि इसने कितना मुनाफा प्राप्त होगा क्योंकि जब कोई केपिटल लगाता है तो वह अपना परसेन्टेज मुनाफे का भी लगाता है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : परसेन्टेज मेरे पास नहीं है । ४ नये पैसों का ब्रेक अप मेरे पास नहीं है ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या सरकार यह महसूस करती है कि यह कन्सर्न इकोनोमिक है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : जी हां ।

**एक माननीय सदस्य** : आप ओवर लोड नहीं करते, जैसा आपने कहा; क्या यह भी एक कारण है कि इस वजह से किराया बढ़ा रखा है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : नेचुरली इससे थोड़ा किराया ज्यादा बढ़ेगा ही ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि मोटर बसों का रोडवेज का किराया ज्यादा होने से लोग रेलवे ट्रैफिक की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : इस प्रश्न के बारे में यहां सारी बहस करना उचित नहीं है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : राष्ट्रीयकरण में सरकार ने यह नीति मंजूर की थी कि रेलवे से किराया मोटर बसों का ज्यादा न हो ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप यह आश्वासन दे दें कि यह किराया रेलवे से अधिक न हो ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : इस सम्बन्ध में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि रेलवे में और हमारे किराये में कोई ऐसी बात....

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : इसके

( श्री मानसिंह महार )

बारे में आपका आश्वासन इसी सदन के इसी सत्र में हो जावे।

**श्री हरिश्चन्द** : यह मैं अभी नहीं कह सकता।

**श्री मानसिंह महार** : इसी सदन के सत्र में हो जावे तो लोगों को जल्दी फायदा हो सकता है । ६ महीने और महंगाई होगी।

**श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** ( अकलेरा सु) : क्या हाउस में आज प्रश्न आया उससे पहले भी इस प्रकार का प्रश्न आया था कि रेलवे के किराये के बराबर रखेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : क्या सरकार की यह मंशा है कि माननीय सदस्यों को फ्री पास दिया जावे।

**एक माननीय सदस्य** : आपने बताया कि गुजरात में ५ नये पैसे हैं, मैं यह कहूंगा कि ५ नये पैसे नहीं हैं, वहां ३ नये पैसे ही हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र** : मेरे पास यह सूचना है कि ५ नये पैसे लेते हैं।

**श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** : आज हाउस में यह प्रश्न आया, यह बात पहले से सोच ली थी या आज प्रश्न आने के बाद सोचा गया है !

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

( ११.४० म. पू. )

## भीलवाड़ा मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के कर्मचारियों को निकाल देने विषयक स्थगन प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है कि भीलवाड़ा मेवाड़ टैक्स टाइल मिल में १५ कर्मचारियों को बिना किसी प्रकार के नोटिस दिए व इन्क्वायरी किए निकाल दिया गया हैं। इससे मजदूरों में बड़ा असन्तोष हो गया है तथा आम हड़ताल की स्थिति हो गई है। यह मामला इतना अत्यन्त सार्वजनिक महत्व का नहीं है कि इस पर विचार करने के लिए सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जावे। अतः मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता। फिर भी मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस पर एक वक्तव्य दें।

**श्री भीखाभाई** (श्रम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस हड़ताल के सम्बन्ध में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। इसके पूर्व मैं कुछ कानूनी बात सदन के माननीय सदस्यों के सामने रख देना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार ने विज्ञप्ति संख्या एफ. २ (१०१) इंडस (अ) ६० दिनांक २६-१२-६० द्वारा मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स लि० भीलवाड़ा को राजस्थान रिलीफ अंडरटेकिंग्ज ( स्पेशल प्रोविजन्स ) ऑर्डिनेन्स, १९६० की धारा ३ के अनुसार २ वर्ष की अवधि के लिये रिलीफ अंडरटेकिंग घोषित किया है।

इसके अतिरिक्त धारा ४।१। ब के अनुसार इस मिल के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दावा तथा कानूनी कार्यवाही को भी इस अवधि के भीतर निषेध किया है !

दिनांक १-४-६२ को मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा के रीलिंग विभाग के मजदूर जो दूसरी पाली में ३.३० बजे काम पर गये

( श्री भीखाभाई )

अकस्मात् काम रोक कर बैठ गये। मैनेजमेंट को जांच पड़ताल पर यह ज्ञात हुआ कि एक श्री जमनालाल जो इस विभाग में कार्य करते हैं कम्पनी के मस्टर रोल पर १३ नम्बर पर थे उन्हें कम्पनी द्वारा अब नम्बर १६ दे दिया गया है, इस कारण मजदूरों ने 'काम रोको' हड़ताल की है। मैनेजमेन्ट ने मजदूरों को काम करने की सलाह दी परन्तु प्रयत्न विफल होने के कारण पाली का काम स्थगित करना पड़ा। इस दौरान में मैनेजमेंट ने मालूम किया कि यह हड़ताल श्री भैरू पुत्र कन्हैयालाल जो इस अपराध में सस्पेन्ड किया गया ने इस सस्पेन्शन आॅर्डर को लेने से इन्कार किया। इसके उपरान्त दिनांक २।४।६२ को वे चुपचाप दूसरी पाली में घुस गये तथा मशीनों के पट्टे उतार दिये। मैनेजमेन्ट ने एक तरफा इन्क्वायरी कर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया।

मैनेजमेंट ने दिनांक १।४।६२ को श्री लक्ष्मीनारायण जो रीलिंग विभाग में ही जोबर के पद पर कार्य करते हैं हड़ताल हो जाने के कारण ले आॅफ किया। परन्तु यह पता चलने पर कि श्री लक्ष्मीनारायण का भी हाथ प्रस्तावित हड़ताल में है उन्हें चार्ज शीट देकर दिनांक २।४।६२ से सस्पेन्ड कर दिया।

इसके अतिरिक्त मैनेजमेंट ने अन्य १० मजदूरों को जो रीलिंग विभाग में काम करते हैं और जिनकी नियुक्ति टेम्परेरी तौर पर है दिनांक २।४।६२ से सेवा मुक्त कर दिया।

उपरोक्त कारणों से केवल रीलिंग विभाग में कार्य करने वाले मजदूरों में ही असन्तोष है तथा उस विभाग द्वारा हड़ताल जारी है।

यह हड़ताल सूती मिल मजदूर सभा के नियंत्रण में चलाई जा रही है। इस हड़ताल को अन्य दूसरे यूनियन मिल मजदूर संघ, जो इन्टक से सम्बन्धित है तथा जो कारखाने में रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन ( Representative Union ) की तरह कार्य कर रहे हैं, समर्थन प्राप्त नहीं है।

लेबर आॅफिसर, भीलवाड़ा ने विवाद ग्रस्त प्रश्न को अपने हाथ में ले लिया है तथा दोनों पक्षों से विचारविमर्श कर रहे हैं। स्थानीय जिलाधीश भी स्थिति से अवगत हैं तथा संबंधित पक्षों से सम्पर्क स्थापित कर हल निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मजदूरों द्वारा लिया गया हड़ताल का यह कदम जल्दबाजी से भरा तथा अनुचित है,- चूंकि उन्होंने बिना नोटिस तथा वैधानिक प्रणालियों के उपलब्ध किये बिना ही यह हड़ताल की है।

चूंकि अभी विवाद समझौता वार्ता में है अतएव इस समय इस पर विचार किया जाना अपरिपक्व ( प्रीमेच्योर ) है।

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : कोड आॅफ कन्डक्ट के मुताबिक जब कि १२ आदमियों को निकालने का सवाल है, सरकार मिल अधिकारियों को कह नहीं सकती कि कैसे निकाला?

**श्री भीखाभाई** : लेबर डिपार्टमेंट इस पर कोई कायदा नहीं लगा सकता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : अन्डरटेकिंग का प्रश्न आया तो मन्त्री महोदय ने विश्वास दिलाया था कि मनमानी नहीं कर पायेंगे, नियमों के अनुसार किया जायगा।

**श्री भीखाभाई** : उसी नियम के अनुसार मैंने कहा है कि हमारा लेबर ऑफिसर समझौते की वार्ता कर रहा है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कोड ऑफ कन्डक्ट के तरीके से नहीं मानेंगे तो सरकार भी प्रेशर डाल सकती है मैनेजमेंट को सही रास्ते पर लाने के लिये । यह देखा गया है कि आम तौर पर मैनेजमेंट की तरफ से कोड ऑफ कन्डक्ट की खिलाफवर्जी की जाती है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैं जानकारी के लिये थोड़ा बता दूं कि दूसरे नवीन मजदूरों को उनकी जगह रखा जा रहा है और जो पुराने हैं उनको हटाया जा रहा है ।

**श्री भीखाभाई** : यह सूचना बिल्कुल गलत है । उसमें कुल १७०० मजदूर हैं रिलीव विभाग में २८ आदमी काम कर रहे हैं, उसमें १२ का सवाल है । १० आदमी टेम्पोरेरी हैं, एक आदमी भैरों को डिस्मिस किया और दूसरे आदमी को सस्पेन्ड किया । तो यह कोई इतना बड़ा व्यापक प्रश्न नहीं है कि इसके लिये मज़दूरों की हड़ताल होती । जब दूसरी यूनियन्स-रिप्रेजेन्टिंग यूनियन को उनका कोई सपोर्ट नहीं है, वे हमारे साथ हैं तो कोई कारण नहीं कि उसके लिये सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाय ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : एक समाजवादी सरकार मजदूरों के साथ इस प्रकार का बर्ताव करती है । जब सरकार ऐसा करेगी तो दूसरे पूंजीपति मिल चलाते हैं, उन्होंने सरकार की तरह यह रवैया अख्त्यार किया तो मजदूरों का क्या हाल होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : लेजिस्लेटिव बिजनैस ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मेरा एक कॉल अटेन्शन नोटिस था ।

**श्री अध्यक्ष** : वह कल लिया जायगा ।

( १२.०४ म. प. )

## राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६२

### ( खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारण )

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : ऑर्डर ऑफ प्रयोरिटी में टीनेन्सी एक्ट पहले है, उसको ही लेना चाहिये ।

**श्री अध्यक्ष** : वह कल स्थगित किया गया था और इसे लिया गया था, तो ऐसी दशा में इसको पहले लिया जाय तो कोई फर्क नहीं पड़ता ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : फर्क नहीं पड़ता तो टीनेन्सी बिल को ही पहले ले लिया जाय ।

**श्री मानिकचन्द सुराना** (कोलायत) : माननीय सदस्यों की तैयारी टीनेन्सी बिल पर है ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यों ने जो बातें रखी उन पर विचार करते हुए मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि इसको कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय । जिन्होंने सुझाव दिये थे उनकी बात को स्वीकार करके स्थगित किया था कि उस पर और विचार का मौका मिल जाय । तो सुविधा इस ही में है कि उस पर विचार करने का मौका दिया जाय, तब तक यह बिल लिया जाय ।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, कल मैंने इस संशोधन विधेयक में २ अमेंडमेंट रखे थे। पहला संशोधन यह था कि जो कर्जदार हैं उनकी परिभाषा यह है कि....

**श्री अध्यक्ष :** आप अपने संशोधन पर बोल रहे हैं ?

**श्री विजयसिंह झाला :** मैं दो मिनट में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष :** फिर से दोहराना चाहते हैं ?

**श्री विजयसिंह झाला :** दो-एक बातें रखना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** जी नहीं।

और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

या ऐसा कर लें माननीय सदस्य चाहें तो सारे अमेंडमेंट्स साथ ले लें और उस पर सारे माननीय सदस्य फिर से बोलें।

श्री झाला ! आप अपने सारे अमेंडमेंट्स पेश कर दें।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : मेरे ही अमेंडमेंट्स हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आपके खण्ड ४ और ५ पर भी संशोधन हैं, वे भी साथ ही प्रस्तुत कर दें।

**श्री विजयसिंह झाला :** क्लॉज २ में यह संशोधन है :

"(1) In part (i) after the words 'scheduled Tribe' occurring in clause (cc) insert the words 'or backward class or labour class or those Government servants and private servants whose monthly salary is less than Rs. 250/-or those business-men whose monthly income is not more than Rs. 250/-'."

जो संशोधन बिल रखा गया है उसमें केवल शिड्यूल्ड ट्राइब्स, शिड्यूल्ड कास्ट्स को ही सुविधा दी गई है। इस लिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज को भी सुविधा दी जाय। मूल एक्ट में जो परिभाषा दी गई है उसमें बैकवर्ड क्लासेज के आदमी नहीं आते। इसलिये बहुत से आदमी जो गरीब हैं, जिनको इस संशोधन से रियायत नहीं मिलती इसलिये बैकवर्ड क्लासेज को जोड़ा जाय। ऐसे सरकारी अधिकारी जिनका वेतन २५०) रु० से कम है, उनको भी यह रियायत दी जाय।

चूंकि प्रायः एक फेमिली में कई एक आदमी होते हैं। उसमें से एक कहीं नौकरी करता है और जिसका वेतन ५०) रु. प्रति माह है तो जितने कर्जदारों को खत लिखे जाते हैं तो उसी के नाम से लिखे जाते हैं। दूसरे, जो उसके सदस्य होते है वे खेती करते हैं और खत जो नौकरी करता है उसी के नाम पर लिखे जाते हैं। यदि इसमें 'गवर्नमेंट सर्वेन्ट' एड नहीं किया तो कृषक दर असल इस रियायत से वंचित हो जाते हैं। अतः इसमें सरकारी कर्मचारी जिनका वेतन २५०) रू. से कम है उनको रियायत देनी चाहिये। बहुत से गरीब लोग कर्जा चुकाने मात्र के लिये नौकरी करते हैं। वे सुविधा से वंचित हो जायं और कमाया हुआ पैसा ब्याज में ही दे दें तो वह अनुचित है। साथ ही साथ जो बिजनेस मेन हैं जिनकी आमदनी २५०) रू. से कम है, कोई सब्जी की

( श्री विजयसिंह झाला )

दूकान करता है, चाहे उसको महीने के दस रुपये ही क्यों न मिले, उसको यह कह दें कि सब्जी की दूकान है इसलिये इस सुविधा से वंचित है, यह अनुचित है।

दूसरा मेरा संशोधन है :

"The word 'one hundred rupees, be replaced by the words 'fifty rupees' in clause (cc)."

जो डेटर का प्रिन्सिपल है, सौ रुपया या उससे अधिक जिस पर कर्जा है उसी को कर्जदार माना है। मैं इसमें संशोधन रखूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के ऐसे खत देखने को मिल सकते हैं जो सौ रुपये से भी कम हैं। प्रायः लोग कर्जदार को सौ रूपये से अधिक कर्जा भी नहीं देते हैं। जिन लोगों पर सौ रुपया और उससे अधिक यदि कर्ज है तो उनको रियायत दी गई है। इससे दूसरे लोग रह जाते हैं जिनके ऊपर पचास रुपये या उससे अधिक का कर्जा है। इसलिये उनको भी यह रियायत देनी चाहिए।

उसके बाद क्लॉज ३ में सब-क्लॉज (१), (२), (३) और क्लॉज (४) में जो है सब का यह तात्पर्य है कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज की जगह "बैकवर्ड क्लासेज, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स और दोज़ बिज़नेसमेन हूज़ मंथली इनकम इज़ नोट रु० २५०." जोड़ा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप क्लॉज ३, ४ पर भी बोल लें जिन पर आपके संशोधन हैं।

श्री विजयसिंह झाला : In new Section 2A after the words "the schedule tribe "insert" the words, "or backward class or labour class or those Government servants and private servants whose monthly salary is less than Rs. 250/ or those businessmen whose monthly income is not more than Rs. 250/."

"(2) Again the same words may be inserted in the same section after the the words "scheduled tribe."

श्री अध्यक्ष : We will take them as moved उनका वितरण किया जा चुका है। ऐसा मानेंगे कि ये मूव हो चुके हैं।

श्री विजयसिंह झाला : In the same section the words "or both" may be deleted.

क्योंकि "बेकवर्ड" और "गवर्नमेंट" शब्द जुड़ने के बाद में "बोथ" शब्द की आवश्यकता नहीं है। इसको हटा देना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इन संशोधनों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इन संशोधनों की मंशा सही और साफ यह है कि हमारे समाज में काश्तकार, हरिजन या इनके अलावा और भी ऐसा तबका है जो कि गरीब है, आर्थिक तौर पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और इसीलिए कर्जे के बोझ से वे दबे हुए हैं। इसलिए उन्हें भी इस कानून के तहत राहत मिलने का मौका दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जो सरकार की ओर से मूल कानून में संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनमें इस कानून को इसकी परिधि से निकालने की कोशिश है। इसका हमने जब सलेक्ट कमेटी में इसको रेफर करने की बहस

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

हो रही थी उस समय भी इसका स्वागत किया था यानि इस कानून को केवल किसानों तक ही सीमित न रख कर ऐसे हरिजनों को भी, जो खेती का धन्धा नहीं करते हैं उन तक भी एक्सटेंड करने की सरकार की मंशा अपने साधनों से मालूम होती है। इसका साफ मतलब है कि सरकार इस कानून को केवल टाइटल के कारण ही केवल एक तबके पर सीमित नहीं रखना चाहती और इसलिए यदि यह सुविधा उन किसानों के अलावा और दीगर तबके को भी पहुंचाई जा सकती है जैसी सरकारी अमेंड-मेंट्स के जरिये सरकार की मंशा साफ है तो फिर इसमें कोई वजह नहीं कि इसको और अधिक व्यापक न बनावें और जिन आधारों पर किसान, शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स को इस कानून के आधार पर राहत पहुँचाने का अधिकार है तो फिर दूसरे तबके को इस कानून के फायदों से क्यों वंचित रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट्स इसमें प्रोपोज किये हैं उसमें वह मजदूर तबका या बैकवर्ड क्लासेज या ऐसे लोग जो सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी या ऐसे ट्रेडर्स जिनकी आमदनी २५०) रु० माहवार से अधिक नहीं है, यह तमाम लोवर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास, यह आम तबका इस कानून की राहत से वंचित हो जावेंगे और मैं समझता हूं आज की बढ़ती हुई मंह-गाई में, आज की बढ़ती हुई बेरोजगारी की हालत में, जिसका जिक्र हमने राज्यपाल महोदय के भाषण के समय भी किया, बजट पर बहस करते हुए उसको जिस स्थिति में देखा है, ऐसी हालत में राजस्थान में इन तबकों को इस प्रकार की राहत देना निहायत जरूरी मालूम पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में उस लेबर इन्क्वायरी कमेटी का जिक्र करना चाहता हूं जिसको एग्रीकल्चर लेबर के सम्बन्ध में भारत सरकार ने मुकर्रर की थी और जिसने सन् १९५७ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में साफ तौर पर उस कमेटी ने कहा है कि प्रति कुटुम्ब इस कर्जे की मात्रा बढ़ती जा रही है। यह पहली पंचवर्षीय योजना का फल इन वर्गों को मिला था। जो सरकार की तरफ से अमेंडमेंट पेश किया जा रहा है उनसे वे लोग भी तमाम कवर नहीं होंगे यदि वे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं हैं; मसलन गांवों में खेती का काम करने वाले लोग रहते हैं, नाई का काम करने वाले लोग रहते हैं, कुम्हार लोग रहते हैं, वे इस कानून के जरिये, इन अमेंड-मेंट्स के जरिये कहीं कवर नहीं होंगे। फिर कोई वजह नहीं कि देहात के गरीब लोगों तक ही क्यों सीमित रखा जाय, कस्बों में जहां गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं वहां तक क्यों न इसको एक्सटेन्ड किया जाय।

मैं समझता हूँ कि सरकार के सामने इस सवाल पर कोई बजट का प्रश्न नहीं। अगर ये सुविधाएं जिस तरह से वर्तमान संशोधन द्वारा सुझाई गई हैं, इन वर्गों तक भी ये सुविधायें एक्सटेन्ड कर दी जाती हैं तो सर-कारी बजट पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, वित्तीय स्थिति पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिये भी इन संशोधनों को मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इन वर्गों

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

के बारे में अलग अलग इन्क्वायरी कमेटी का निर्माण नहीं किया गया कि जो इनकी आर्थिक स्थिति की जांच करें। यहां इस प्रकार की जांच पड़ताल तो नहीं की गई लेकिन भारत में इन्हीं वर्गों के सम्बन्ध में अलग अलग प्रांतों में भारत सरकार ने वक्त वक्त पर इस प्रकार की जांच पड़ताल करवाई है। उनके द्वारा ये बातें स्पष्ट रूप से सामने आई हैं, इन वर्गों की आर्थिक स्थिति निरन्तर खराब है और ये कर्जे के भार से दबे हुए हैं। मजदूरों के बारे में, खास तौर से इन्डस्ट्रियल लेबर के बारे में सबको विदित है कि जैसे ही मजदूरों को तनख्वाह मिलती है जिनसे वे कर्जा लेते हैं वे लोग मिल के गेट के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और वे उनको पूरी की पूरी तनख्वाह जिनसे कर्जा लेते हैं वे वहीं पर ले लेते हैं। इसके लिये पठान लोग प्रसिद्ध हैं। इसी तरह की हालत हमारी इन्डस्ट्रियल लेबर की सभी जगह है। दूसरे मजदूर वर्ग भी जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर नहीं है उनकी हालत भी दयनीय है। जहां तक छोटे कर्मचारी और निम्न--मध्यम वर्ग के कर्मचारियों का सवाल है, उनकी हालत भी दयनीय है। बढ़ते हुए भाव, एम्पलोयमेंट की कमी क्योंकि हमारे राजस्थान में औद्योगीकरण नहीं हुआ इसलिये इस तबके के पास रोजगार में आगे बढ़ने के लिये ज्यादा गुंजाइश पैदा नहीं हुई। वे भी अपना स्टेंडर्ड ऑफ लॉइफ, इस मंहगाई की वजह से अपने घर वालों का पेट नहीं भरवा रहे हैं इसलिये उनको डेफिसिट फाइनेन्सिंग करना पड़ता है। इस कारण भी उनके कर्जे का भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसी हालत में इस कानून से राहत इन तबकों को दी जानी चाहिये, इस दृष्टिकोण से मैं इन अमेंडमेंट्स का समर्थन करता हूँ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, जिसके बारे में यह बताया गया है वास्तव में जब किसानों को सहूलियतें दी जाती है उसी प्रकार मजदूरों को भी सहूलियतें दी जानी जरूरी हैं। जिस तरह से किसान कर्जदार है उसी तरह से अन्य मजदूरों की जातियां भी हैं जो किसानों की तरह कर्जदार हैं। मैं आपसे निवेदन करूं मजदूर आज जो उसको मजदूरी मिलती है उससे काम नहीं चला सकता। इसी कारण हम देखते हैं जिस दिन मजदूरों को तनख्वाह मिलती है उसी समय गेट के बाहर खड़े रहते हैं और ज्योंही मजदूर तनख्वाह लेकर बाहर आते हैं वे सारी की सारी ले लेते हैं। इसके अलावा शादी और विवाह के समय भी कुर्कियां लेकर आते हैं। इसलिए मेरी राय में जो संशोधन आया है, यह कानून एक प्रकार से अपंग रहता है; उन संशोधनों को मान्य करने से यह अपंग कानून पूरा हो जायगा और इस तरह से गरीब मजदूर वर्ग पूंजीपतियों के शोषण से भी मुक्त हो जायगा। इसलिये मैं इससे सहमति प्रगट करता हूँ कि इन संशोधनों को मन्जूर किया जाना चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ( हवामहल, जयपुर ) : अध्यक्ष महोदय, यह कानून जो सदन के सामने विचारार्थ है और इसमें जिस प्रकार की तरमीम हम दे रहे हैं वह एक तरह से ठीक है कि हम इसमें सद्भावना को आधार मान कर चल रहे हैं और चाहते हैं कि कानून ऐसा बनाया जाय जिसमें हर आदमी को राहत मिलनी चाहिये। लेकिन साथ ही विधायकों

( श्री दुर्गालाल बाढ़दार )

को इस बात का खयाल रखना चाहिये कि जिन परिभाषाओं का निरूपण हम करते जा रहे हैं वे परिभाषायें सार्थक होनी चाहिये। यह कानून जिसका नाम राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इनडेटेडनेस अमेन्डमेन्ट बिल है। सब से पहले जब यह कानून बना उसमें शब्द 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा निहित की गई है। 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा में यह है कि वे लोग जिनका मूल व्यवसाय कृषि होता था या जो कृषि संबंधी कामों में मजदूरी करके अपनी आजीविका कमा लिया करते थे ऐसे लोगों को 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा में रखा गया है। उसके बाद इस मूल कानून में ऑर्डिनेन्स के जरिये तब्दिलियां की गई और उसके साथ साथ 'एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा को करते हुए इसमें ऐसे आदमियों को जोड़ दिया गया जिसका शाब्दिक अर्थ 'एग्रीकल्चरिस्ट' नहीं निकल सकता। जहां तक कानून के दायरे का सवाल है, इसमें हम एग्रीकल्चरिस्ट के अलावा और किसी को जोड़ते हैं जिनका विभिन्न पेशा हो जाता है उनको एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में जोड़ते हैं तो वास्तव में जो शब्द का अर्थ है वह उचित नहीं होगा, इसको अर्थ का अनर्थ भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम रिलीफ देना चाहते हैं। जहां तक रिलीफ देने का प्रश्न है, चाहे वह किसी भी वर्ग को है, उससे मेरा किसी प्रकार का विरोध नहीं। आज प्रत्येक आदमी कर्ज के भार से दबा हुआ है। कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है जिससे पुराने कर्जे सूद दर सूद बढ़ते बढ़ते मूल रकम से दुगुने हो जाते हैं उससे यदि रिलीफ किसी को मिलता है तो बहुत अच्छा है। इसका जो मूल कानून है उसमें हमने जो नाम करण किया 'एग्रीकल्चरल इनडेटेडनेस बिल' और उसके मातहत रिलीफ देना चाहते हैं नोन एग्रीकल्चरिस्टस को। मेरा तो निवेदन करने का मतलब यह है कि विधायकों को जो विधान का निर्माण करते हैं कम से कम जो शब्द निरोपित करते हैं वे सार्थक हों, उससे सही अर्थ निकले। ऐसा नाम नहीं रखना चाहिये जिसका मतलब कुछ निकलता हो और नाम कुछ रखा गया हो। आप अगर रिलीफ देना ही चाहते हैं तो 'रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इनडेटेडनेस' यह नाम हटा कर 'रिलीफ ऑफ डेटर्स इनडेटेडनेस' यह नाम रख सकते हैं। इस तरह से नाम बदल कर आप दुनिया भर के लोगों को शामिल कर लीजिये, कोई एतराज नहीं होगा! लेकिन नाम तो 'एग्रीकल्चरिस्ट' रखते हैं और चाहते हैं कि इसमें नोन एग्रीकल्चरिस्ट भी शामिल हो जायं, यह उचित नहीं होगा। होता क्या है कि नाम तो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का लेते हैं और उसमें प्रोपर्टी केसेज के बारे में भी डिसीजन होगा, रेलवे क्लेम्स का भी जुरिस्डिक्शन आ जाता है, इस तरह की जो बातें आती हैं वह नाम के अनुकुल नहीं होती। इसलिये मेरा प्रत्येक माननीय विधायक महोदय से निवेदन है, जहां तक रिलीफ देने का सवाल है, अमेन्डमेन्ट्स लायें लेकिन उन अमेन्डमेन्ट्स का आधार वास्तविक रूप में जैसा नामकरण है उसी प्रकार से उसका अर्थ निकलना चाहिये। यह जो सद्भावना के रूप में अमेन्डमेन्ट रखा गया है मैं उसका विरोध नहीं करता। लेकिन जिस कानून में हम संशोधन करने जा रहे हैं उस कानून में इन संशोधनों का मेल नहीं खाता। अगर इसमें ये शामिल कर देते हैं तो

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

दुनिया क्या समझेगी कि नाम क्या रखते हैं और उसके अन्तर्गत काम क्या करते हैं। ऊपर किताब का नाम दूसरा और अन्दर कुछ और चीज है। यह साधारण सा प्रश्न है कि एग्रीकल्चरिस्ट का कभी यह अर्थ नहीं हो सकता है शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल कास्ट्स के या अन्य मजदूर भी उस परिभाषा में आ जायं। अतः आप शब्द 'एग्रीकल्चरल' को हटा दीजिए। डेटर्स इन्डेटेडनेस (अमेन्डमेंट) बिल रख दीजिए।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : Point of information, Sir, जो नाम के बारे में आपको आपत्ति है तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या जो संशोधन बिल अभी राजस्थान सरकार की तरफ से रखा गया है उसमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स....

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : यही तो मैं कह रहा हूं। हम जो अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें दोष है। और राज्य सरकार ने ऑर्डिनेन्स बनाया और मूल जो कानून था उसमें 'एग्रीक्लचरिस्ट' की परिभाषा बिल्कुल भिन्न रखी गई थी, पर फिर जो अमेन्डमेन्ट लाया गया उसमें अमेन्डमेंट की परिभाषा में शिड्यूल्ड कास्ट को ले लिया गया। आप इस शब्द का जो अंग्रेजी का है शाब्दिक अर्थ लगाने की भी चेष्टा करिये तो यह अर्थ निकलता है क्या जैसा पहले अमेंडमेंट आया, चाहे ऑर्डिनेन्स के रुप में या और किसी रुप में पर उसमें की व्याख्या करते समय काबिल आदमी ने सोचने की जरुरत नहीं समझी। आप इसका मतलब यह नहीं निकाल सकते तो अच्छा यही है आप इसे हटा दीजिए और किसी नाम को रख दीजिए ताकि आपकी दुनियां के सामने मखौल तो नहीं उड़ाई जा सके और यह नहीं कहा जा सके कि अंग्रेजी शब्द का सही अर्थ तक नहीं जानते।

जो अमेंडमेंट आपका है उसकी भावना के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो सिद्धांत की बात निवेदन करना चाहता हूं। आप जो कानून बनाना चाहते हैं उसका कम से कम नामकरण तो ऐसा करिये जिसका अर्थ तो ठीक निकले। शब्द का वास्तविक-शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, यह तो आप देखें।

अभिधा, व्यँन्जना और लक्षणा; ये तीन शक्तियां है जिनके आधार पर शब्द का अर्थ निकाला जाता हैं। अब इन तीन शक्तियों में से किस शक्ति के आधार पर आप यह अर्थ लगाते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता की दुनिया आपकी मजाक करेगी अगर आप शाब्दिक अर्थ पर नहीं जावेंगे तो। कानून आप बनाइबे, पर ऐसा बनाइये जिसके शब्दों का सही अर्थ निकलता हो। इस सम्बन्ध में इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री भगराज** (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो एग्रीकल्चर इन्डेटेडनैस रिलीफ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ सदन में प्रस्तावित किया है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स आज कर्जे में दबे हुए हैं उनको कुछ न कुछ सरकार की तरफ से राहत मिलनी चाहिए।

पहले जो कानून बना था, उसमें

( श्री भगराज )

केवल कृषकों को ही लिया गया था। लेकिन, हमें इस बात को भी नहीं भुलाना चाहिए कि राजस्थान प्रदेश जो हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां की जनता ८० प्रतिशत खेती पर निर्भर करती है उसको देखते हुए जब हम एग्रीक्लचरिस्ट के लिए ऋणिता के निवारण सम्बन्धी कोई कानून बनाते हैं तो साथ ही साथ में उनका भी खयाल करना पड़ेगा जो अधिक मात्रा में कर्जे से दबे पड़े हैं।

यह जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है इसमें सरकार की मन्शा केवल इतनी ही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हों या न हों इस कानून का लाभ उनको मिलना चाहिए, हालाकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में ८० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो खेती पर या खेती सम्बन्धित दूसरे कामों पर अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार का मकसद वेग नहीं है । प्रेक्टिकल रुप में इससे इन जातियों को बहुत बड़ा लाभ मिलने-वाला है।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल में कुछ अमेंडमेन्ट लाने का प्रस्ताव रखा है। वह यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बजाय बैक-वर्ड क्लासेज और गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को भी यह राहत मिलनी चाहिए।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, अध्यक्ष महोदय, आपने बजाय जो कहा है ऐसा मेरे संशोधन का अर्थ नहीं है। बजाय के स्थान पर इसके साथ में इनको भी जोड़ा जाय, यह मेरे संशोधन का मतलब है।

**श्री भगराज** : अध्यक्ष महोदय, मैं उनका मतलब समझ गया हूं। उनकी मन्शा यह है कि कुछ न कुछ एडीशनल राहत उनको भी मिलनी चाहिए। पर मेरे खयाल से शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के अलावा दूसरी बैकवर्ड क्लासेज और गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को लिया जावेगा तो इस बिल का महत्व ही चला जावेगा। इस प्रकार के यह प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद में करीबन राजस्थान की ९५ प्रतिशत जनता ऐसी होगी जो इसका फायदा उठावेगी। इससे मनी-लैंडर्स को चीट किया जा सकता है और धोखा देने का सुलभ रास्ता निकाला जा सकता है। इससे यह होगा कि जो मनी लैंडर्स हैं उनके पास भी किसान या दूसरे व्यक्ति उधार लेने जाते हैं उन पर उनको विश्वास नहीं रहेगा; क्योंकि वे यह समझ जावेंगे कि १०० रु०) से ज्यादा का ऋण होगा वह इस बिल के पास होने के बाद में इस एक्ट की सहायता से किसी प्रकार से कैन्सिल कर दिया जावेगा। इससे वह लेने-वाला उऋण किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि यह एक्ट एक वेग एक्ट हो जावेगा तथा इसका महत्व गिर जायेगा। इसलिए इतना ही जोड़ना इसमें उचित है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब को हालां कि एग्रीक्लचरिस्ट की डेफिनेशन में नहीं आते हों तब भी उनको इस एक्ट के अन्तर्गत राहत मिल जानी चाहिये।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** (बयाना) :

( श्री मुकुटबिहारीलाल )

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जिन संशोधनों पर विचार चल रहा है उसके सम्बन्ध में एक शब्द निवेदन कर दूं कि इन संशोधनों के पीछे जो मंशा या भावना है वह बहुत ही सुन्दर है। इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान की गरीब जनता को–हर तबके के व्यक्तियों के लिए राहत दी जानी चाहिये। यह बिल्कुल ठीक है कि आज हमारी फाइनेन्शियल पोजीशन खराब है और हम जितनी सुविधा इन लोगों को पहुंचा सकें उतनी ही कम होगी।

पर जैसी हमारी व्यवस्था है, चूंकि हमें कानून के शब्दों के अनुसार चलना पड़ता है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने बताया कि इस एक्ट का नाम राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकलचरिस्ट इन्डेटेडनेस एक्ट है तो इस सम्बन्ध में जो मोटी मोटी व्याख्यायें हाई कोर्टों या दूसरी अदालतों में इनकी चलती हैं तो इनके शब्दों के अनुसार ही चलती है। जब किसी कानून की मंशा ली जाती है तो उस कानून का मतलब उसके शब्दों के अनुसार देखा जाता है। यह ठीक है कि लॉ को लेजिस्लेट जिस वक्त किया जाता है उस वक्त हमारी मंशा के मुताबिक उसका अर्थ हम करते हैं, पर जब इन्टरप्रेटर के हाथ में वह कानून पहुंचता है, जुडिशियरों के हाथों में पहुंचता है और उन पर जब आर्गुमेंट्स होती हैं तो उसमें कुछ रूल्स के आधार पर चला जाता है। इस सम्बन्ध में बहुत से कोर्टों की बहुत सी रूलिंगें और नजीरें हैं। उनका अब तक का नतीजा यह रहा है कि किसी एक्ट की मंशा समझने के लिए उसकी हैडिंग है, उसका नाम है उससे उसकी मंशा नापी जाती है। इसके अलावा एक्ट के साथ एक प्रीएम्बल होता है जो उस एक्ट के उद्देश्य को सिद्ध करता है। यह राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन्डेटेडनेस एक्ट, १९५७ का अमेंडमेंट है। उसका जो प्रीएम्बल है वह मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ :

"An Act to provide for the relief of agriculturists in the State of Rajasthan from indebtedness.

"Whereas it is expedient, in the interest of the general public, to make provision for the relief of agriculturists in the State of Rajasthan from indebtedness."

तो यह कानून जो बनाया गया यह तो इन दी इन्टेरेस्ट ऑफ दी जनरल पब्लिक था। यह कानून बनाया गया पर बनाया गया एग्रीकल्चरिस्टों के लिये। इसके अन्दर एग्रीकल्चरिस्ट की जो परिभाषा की गई है वह सेक्शन २ के (बी) खंड में दी गई है। वह इस तरह से रन करती है, अध्यक्ष महोदय :

"Agriculturist" means a person who earns his livelihood wholly or mainly from–

(i) agriculture or

(ii) rent from agricultural land in case he belongs to any of the categories of persons mentioned in clauses (a) to (h) of sub-section (1), section 46 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955)

( श्री मुकुटबिहारीलाल )

"and includes a person who ordinarily engages in agricultural labour or who works as an agricultural artisan;"

तो मेरे निवेदन करने का मतलब यह था कि इस एक्ट के अनुसार जो कि लॉ मेकर्स की मंशा थी या जो उद्देश्य सामने रखकर बनाया गया था उसकी मंशा यह थी कि हम राजस्थान के गरीब और जो ऋण में दबे हुए कृषक हैं उनको राहत देने के लिए इसके द्वारा राहत पहुँचाना चाहते हैं। परन्तु जैसा कि इस पूरे ऑर्डिनेन्स वाले संशोधन में और उस संशोधन पर जो संशोधन विचाराधीन है उनमें जो भावना व्यक्त की गई है वह भावना तो अच्छी है, उसके अनुसार राहत पहुँचाना चाहते हैं एक बहुत बड़े वर्ग के लिये, २५० रु० से कम आय वाले सरकारी मुलाजिमों को भी राहत पहुँचाना चाहते हैं जिनकी तनख्वायें छोटी छोटी हैं, बड़े बड़े परिवार हैं, उन मजदूरों और दुकानदारों के लिये भी राहत पहुँचाना चाहते हैं, पर जब कानून की मंशा-उस कानून के कम्पास के अन्दर होकर गुजरना पड़ता है तो यह ठीक है सरकारी पक्ष की ओर से दलीलें दी जा रही हैं, मेरे लायक दोस्तों की तरफ से यह दलील दी जा रही है लेकिन जो एक्ट की मंशा है वह कानून की धाराओं से निकाली जाती है, उसके हैडिंग से नहीं निकाली

(१२. ४० म. प.)

जानी चाहिए। जो प्रिएम्बल है वह कन्ट्रोल नहीं करता है। ऐसी नजीर विभिन्न हाई कोर्ट्स में मिल भी जायेगी, लेकिन बहुत ही मामूली हेरफेर के लिए है कि सेक्शन की जो धारा है, उसका हैडिंग है वह कन्ट्रोल नहीं करता है बल्कि धारा की जो बीच की भाषा है वह मूल भावना ही व्यक्त करती है। अगर हैडिंग मिस-लीडिंग है और धारा के अन्दर दूसरा मतलब निकलता है तो धारा का मतलब लिया जाना चाहिए, सेक्शन की पूरी भाषा का मतलब लिया जाना चाहिए और हैडिंग उसका गाइड नहीं करता यह ठीक है, लेकिन यह तो उस समय प्रश्न पैदा होता है जब कि कन्ट्रोवर्सी पैदा हो जाती है अदालतों के अन्दर। जब इन्टरप्रिटेशन के अन्दर एक बड़ी पेचीदगी पैदा हो जाती है कि हैडिंग के अन्दर जो लिखी हुई बात है उससे मतलब निकाला जाना चाहिए या धारा की जो बीच की भाषा है और उसका जो मतलब है उसका मतलब निकाला जाता है वही सही मतलब निकाला जाना चाहिए। जब कन्ट्रोवर्सी पैदा होती है तो उसकी बेसिक धारा प्रिवेल करती है, ऐसी नजीर विभिन्न हाई कोर्ट्स की मिल जायेंगी। तो यह ठीक है।

अन्त में जिस समय धारावाइज इस पर विचार होगा उस समय यह सवाल तो खड़ा होता ही है। मूल ऑर्डिनेन्स के द्वारा इसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उन लोगों को राहत देने की बात की बात कही गई है चाहे वह एग्रीकल्चरिस्ट हैं या नहीं हैं। मेरा नम्र निवेदन यह है कि अगर इस कानून की सैंक्टिटी, मर्यादा की रक्षा करनी है तो मैं सरकारी पक्ष से और मिनिस्टर-इन्चार्ज को भी निवेदन करूंगा कि वह समय रहते हुए अपने इस बिल को वापिस ले लें ताकि इस पर पुनर्विचार किया जा सके। निस्सन्देह यह साफ प्रश्न है कि इस एक्ट का प्रीएम्बल है उसमें सुधार करें, तभी जाकर वह सुशोभित हो सकेगा। तो जहां मैं मूल संशोधन का विरोध करता हूं इसके द्वारा कानून की मंशा को देख कर हम ऐसी अजीब स्थिति में हैं।

( श्री मुकुटबिहारीलाल )

मैं इन संशोधनों का भी विरोध करता हूँ। जब तक उस एक्ट के नाम में संशोधन नहीं हो जाता, जब तक प्रीएम्बल में संशोधन नहीं हो जाता तब तक दूसरे तरीके से कानून का दायरा नहीं बढ़ जाता है जब तक यह कह देना कि हमें एक्ट के द्वारा बैकवर्ड क्लास को और २५०) रु. से कम की आमदनीवालों को लेना है यह अनुपयुक्त होगा और मेरे जो संशोधन पेशकर्त्ता सदस्य हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह भी उनको प्रैस नहीं करेंगे। साथ ही मैं सरकारी पक्ष और मिनिस्टर-इन्चार्ज जो इस बिल को पायलेट कर रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि बहुत बड़ी भूल जो होने जा रही है उसको रोक दें। और इसे दूसरा रूप देकर लायें।

**श्री विजयसिंह भाला** (नाथद्वारा) : Point of information, Sir, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूँगा कि अगर बिल वापिस नहीं लिया गया तो क्या मेरे संशोधनों का समर्थन करेंगे ?

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : मैं इन संशोधनों का समर्थन करने में उस सूरत में भी अपने आपको असमर्थ पाऊंगा। हालांकि मैं पूरी तरह से समर्थक हूँ, मेरा दिल कहता है कि सामाजिक चीजों का मैं समर्थन करूं परन्तु यह देखते हुए कि पेशेवर के सामने एक हास्यास्पद चीज पैदा हो जायेगी, इसलिए मैं अपने आपको विवश पाता हूं। क्योंकि मैं भी इस पेशे में हूं। अगर सरकारी पक्ष इसको वापिस नहीं लेता है तो मैं उसके खिलाफ भी वोट करूंगा और आपके संशोधनों के खिलाफ भी वोट करूंगा।

**श्री अमरसिंह** (पचपद्रा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य के वक्तव्य का मैं समर्थन करते हुए यह निवेदन करूंगा कि किसी कानून के बनाने में उसका प्रिएम्बल एक अहम जगह रखता है। प्रिएम्बल के द्वारा जब एक अभिप्राय आप जाहिर करते हैं कि किसी कानून को बनाने का क्या अभिप्राय है तो उस अभिप्राय के विरुद्ध उस कानून का आयोजन नहीं होना चाहिए। जब प्रिएम्बल के अनुसार यह एक्ट की मंशा है कि एग्रीकल्चरिस्ट इन्डेटेडनैस रिलीफ बिल या काश्तकारी पेशे को इन्डेटेडनैस से रिलीफ देना चाहते हैं तो उसके अन्दर ऐसे तबके को नहीं जोड़ा जा सकता जो सही रूप से एग्रीकल्चरिस्ट नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसा किया जाये तो यह ऐसी एनोमोली होगी जो किसी भी कानून के लिए उपयुक्त नहीं समझी जायेगी। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि कानून हमेशा ऐसा बनाया जाये जो हास्यास्पद न हो। जो प्रिएम्बल की मंशा के माफिक हो और मैं उस राय का हमेशा समर्थन करता हूं कि सरकार की यह मंशा है कि एग्रीकल्चरिस्ट के अलावा और किसी तबके को इमदाद देना आवश्यक है तो फिर कानून उसी तरह से बनाया जाये। लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट इन्डेटेडनैस रिलीफ एक्ट के द्वारा उन लोगों को नहीं जोड़ा जा सकता जो कि वास्तविक रूप से एग्रीकल्चरिस्ट्स नहीं हैं। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो इस कानून के अन्दर संशोधन प्रस्तुत हुआ व उसके विषय में जो माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किए उस पर मेरी ऐसी मान्यता है कि इन संशोधनों को प्रस्तुत करने में दोनों

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

ओर से भावनाओं का समावेश है। सरकारी पक्ष के जो संशोधन हैं उन पर भी ऐसी भावना प्रतीत होती है कि एग्रीकल्चरिस्ट के साथ शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जोड़ करउनको दिखावे के तौर पर कुछ सहायता देने की भावना है और उसके बाद जो माननीय सदस्य ने संशोधन रखे हैं उनमें वह और भी आगे चले गए उन तबकों को शामिल करने के लिए और उनको भी वह मदद दिलाना चाहते हैं। जैसा कि अभी सदन के सामने बहस हुई कि एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में जिनकी आमदनी होल्ली या मेनली एग्रीकल्चर से है उनको ही यह सहायता दी जाये और यही शुरू के अन्दर मन्शा थी लेजिस्लेचर की। लेकिन अब जो रिजर्व सीट है उनको भी उसमें बढ़ाया जाकर उनको भी मदद दी जाती है। उसके पक्ष में एक दलील दी गयी कि ८० प्रतिशत वे लोग उसमें एग्रीकल्चरिस्ट हैं। मैं अर्ज करूंगा कि जब वह ८० प्रतिशत कृषि में काम करनेवाले हैं तो फिर इसको और बढ़ाने के लिए संशोधन के जरिये से काम में लाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन जो एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा को और चीज के साथ तब्दील की गयी है वह सही संशोधन नहीं है। उस विचार से मैं सहमत हूँ।

साथ ही यह जो इसके अन्दर संशोधन रखा गया है और उसमें इतना तक रखा है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स और प्राइवेट सर्वेन्ट्स;

"thoseGovernment ervants whose salary is less than Rs. 250 or thos business men whose monthly income is notmore than Rs. 250/-"

यह जो संशोधन है यह तो इस कानून और इस संशोधन को और भी उलझा देता है। वह बिजनेसमैन भी जिसकी आमदनी २५०) रु० से ज्यादा नहीं हो इसमें है। अगर यह संशोधन पास होता है और यह एक्ट के रूप में आता है तो वाकई अदालतों के लिए प्रत्येक में यह आधार रख यह निर्णय देना आवश्यक हो जायगा कि २५०) रु० की उनकी आमदनी है या नहीं और उस मूलभूत बात के अलावा एक बड़ी इन्क्वायरी प्रत्येक केस के अन्दर खड़ी हो जायगी। कहीं अच्छा होता कि इसके अन्दर इन्कम टैक्स देता है या नहीं देता है, यह सवाल रख दिया जाता तो उनकी भावनाओं के अन्दर सही नतीजा निकलता। लेकिन कम्प्लीकेशन्स और बढ़ जाते हैं इस संशोधन से। इसका भी मैं विरोध करता हूँ।

मेरा विरोध इन दोनों संशोधनों से है। पहला जो सरकार की ओर से इस 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को बनाने का है वह भी मूल कानून की मन्शा में जो 'एग्रीकल्चरिस्ट' की परिभाषा है उसके विपरीत है और उसी के साथ यह जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है यह तो इस सारी ही मन्शा के विपरीत जाता है। उसमें इन सब को बढा कर यह और ज्यादा कम्प्लीकेशन्स पैदा कर देता है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

**श्री विट्ठल** (बांसवाड़ा–सु.) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो संशोधन आया

( श्री विट्ठल )

है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है और सदस्य महोदय ने जो संशोधन रखा कि दूसरे भी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मास्टर हैं, दूसरे भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी यह कानून रखा जाय। परन्तु अभी इस कानून को आगे बढ़ाने में रुकावट होगी और जो गरीब किसानों के ऊपर कर्जा होगा उन पर साहूकार लोग दावा चालू कर देंगे, इस कानून का मालूम होते ही। इसलिए कानून में संशोधन होने का प्रोविजन कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं भी समर्थन करता हूं कि पास हो जाना चाहिए।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन्डेटेडनेस एक्ट में, माननीय अध्यक्ष, एक संशोधन पेश हुआ है जिसमें कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी दर्ज करने की बात है। इस कानून का मकसद है कृषि पर जो निर्भर करनेवाले लोग हैं जो कि कर्जे के भार से दबे हुए हैं उनको राहत दें। मेन कानून के अन्दर एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा जो दी है उसमें स्पष्ट है कि 'एग्रीकल्चरिस्ट' वह व्यक्ति है :

"Agriculturist' means a person who earns his livelihood wholly or mainly from (i) agriculture or (ii) rent from agricultural land in case he belongs to any of the categoris of persons mentioned in clauses (a) to (h) of sub-section (1) of sec. 46 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955) and includes a person who ordinarily engages in agricultural labour or who works as an agricultural artisan;"

अर्ज है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की ओर अगर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें से ८० पर्सेन्ट अपना जीवननिर्वाह कृषि के द्वारा ही करते हैं। वे बटाई करते हैं, बिजाई करते हैं या अगर मंडियों में जाइये तो नाज को छानते हैं, तोलते हैं। उनका जीवन–निर्वाह अधिकतर खेती–बाड़ी से उत्पन्न होने वाले धन्धों से ही है और मुख्य रूप से खेती–बाड़ी से है। जहां तक मैं समझा हूं इस बिल के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दर्ज करने का तात्पर्य यही था कि फिर भी कुछ थोड़ा सा पर्सेन्टेज बाहर रह जाता है जिनको कि यह राहत जो यह बिल देता है प्राप्त नहीं हो सकती जो कि दूसरे प्रकार के जैसे चर्म का काम या और छोटे–मोटे गांव के काम, मृत–पशुओं को उठाने का काम और दूसरे काम करते हैं जो कि इस तरह की राहत नहीं प्राप्त कर सकते थे, इस कारण से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों को पूर्ण रूप से दर्ज किया है, जिसको मन्शा बड़ी पवित्र और स्पष्ट है, और कोई कारण नहीं है कि इनको दर्ज करना स्वीकार न कर लिया जाय।

लेकिन श्री विजयसिंह झाला की ओर से जो एक एमेंडमेंट पेश किया गया है वह इसकी मन्शा को कुछ और आगे ले जाता है, पीछे नहीं ले जाता है। वास्तव में यह कोई बहुत बड़ा क्रान्तिकारी बिल नहीं है, कोई बहुत बड़ी राहत यह बिल कर्जदारों को नहीं देता है, गांव के मकरूजों की जिन्दगी पर कोई बहुत बड़ी राहत यह बिल नहीं लाता है। लेकिन

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

फिर भी राहत देता है और जरूर राहत देता है। और इसमें यह जोड़ देते हैं तो यह राहत को कुछ आगे ले जाता है और ऋण के भार के नीचे दबे हुए शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को भी थोड़ा सा फायदा देता है, इसलिए दोनों ही स्वीकार कर लिये जाने चाहिए।

लेकिन जो श्री विजयसिंह झाला ने संशोधन बिल में पेश किया है वह इसको और अधिक आगे ले जाता है। वे लोग जिनकी आमदनी २५०) रु० से कम है, चाहे वे गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हों, चाहे वे व्यापारी हों, चाहे वे मजदूर हों, चाहे वे छोटे-मोटे धन्धे करने वाले लोग हों उनको राहत दी जाय। बहुत से माननीय सदस्यों ने दलीलें पेश की हैं कि इससे बिल की मन्शा ही बिगड़ जाती है, इस बिल का नाम बिगड़ जाता है। बिल के नाम में अगर थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन राहत की मन्शा नहीं बिगड़ती। यकीनी तौर से अधिक गरीब लोगों को राहत मिलती है। नाम के पचेड़े में फंस-कर वास्तविकता को ओझल कर देना कोई दलील नहीं है।

इसलिए यह जो संशोधन जिस मूल रूप में पेश हुआ है उसको भी स्वीकार करता हूं, और यह संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने पेश किया है उसको भी स्वीकार करता हूं और यदि इसके नाम में थोड़ी सी तरमीम करने की आवश्यकता हो और इन सब को जोड़ कर इन चीजों का समावेश हो सके तो वह भी कर दिया जाय।

**श्री गिरधारीलाल व्यास ( आसींद ) :** अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर खेती वालों की संबंध इन्डेटेडनेस को हटाने के लिए जो सरकारी पक्ष की ओर से संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसके में मुझे निवेदन करना है। जो संशोधन सरकारी पक्ष ने शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स को इन्क्लूड करने के लिए प्रस्तुत किया है उसकी वास्तविक भावना यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो गांवों में रहते हैं वे या तो खेती करने-वाले मजदूर हैं या खेती में दूसरे रूप से मदद करते हैं या कोई मुजारा लेकर काश्त करते हैं या हाली रह कर गांव में खेती करते हैं। जो परिभाषा राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन्डेटेडनेस एक्ट में एग्रीकल्चर लेबर की दी है वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मकसद को पूरा करती है। इसी वजह से इसको यहां इन्क्लूड करने के लिए रखा गया है।

दूसरा जो संशोधन पेश हुआ है जिसमें बैकवर्ड क्लास, लेबर क्लास, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स बिजनस मैन और इस प्रकार के जितने लोग हैं उनको इन्क्लूड करने के संबंध में है। उनकी मन्शा यह है कि वे सब लोग जितने कर्जदार हैं चाहे २५०) रु० की आमदनी वाले हों या उससे कम हों इस एक्ट के तहत में उन सब लोगों को रिलीफ दिलाई जाय। उनकी मन्शा की मैं वाकई कद्र करता हूँ। लेकिन एक्ट की जो मन्शा है उसकी वह पूर्ति नहीं करता है। एक्ट की मन्शा यह है कि एग्रीकल्चर से जो ताल्लुक रखता है उनको इसमें रिलीफ दिलाया जाय, न कि ऐसे लोगों को जिनका संबंध एग्रीकल्चर से बिल्कुल नहीं है। इसलिए यह जो संशोधन.......

# Page No. 42



**श्री विजयसिंह झाला ( नाथद्वारा ) :** ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि क्या बैकवर्ड क्लासेज के लोग एग्रीकल्चर से संबंध नहीं रखते और यदि रखते हैं तो क्यों न शिडूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ में इनको मिलाया जाय ?

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** मैं अर्ज कर रहा था थोड़ी देर बाद ही । माननीय सदस्य को बहुत जल्दी हुई कि पहले ही पूछ लिया ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि बैकवर्ड क्लासेज में जितने लोग हैं वे ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो दूसरा धन्धा करते हैं । अगर गांव में बैकवर्ड क्लासेज के लोग ऐसे मिलते हैं जो कि खेती करते हैं तो इस एक्ट के तहत में वे अपने आप ही आ जाते हैं । हां, एक प्रश्न अलग से आता है कि जो लोग दूसरा धन्धा करते हैं और उनके जरिये से कमाते हैं और वे ऋणि हो जाते हैं और दूसरे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जो २५०) रु० की तनख्वाह पाते हैं उनके लिए भी मांग की है कि वे भी इस केटेगरी में आ जायं ।

**श्री विजयसिंह झाला :** Point of information, sir,

**श्री अध्यक्ष :** भाषण समाप्त करने दें ।

**श्री विजयसिंह झाला :** यह है हुकुम, कि बैकवर्ड क्लासेज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में आ जाते तो जैसे एक लुहार है या कुम्हार है या नाई है या ढोली है या नगारची है और जो बैकवर्ड क्लासेज की ३०-३२ की सूची बनी हुई है क्या ये सारे के सारे शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं ?

**श्री गिरधारीलाल व्यास:** मैंने यह निवेदन नही किया कि वे शिड्यूल्ड कास्टस में आते हैं । मैंने यह निवेदन किया कि गांवों में रहने वाले ज्यादातर काश्तकार हैं और एग्रीकल्चर इन्डेटेडनेस एक्ट के तहत में स्वयं आ जाते हैं । इसलिए एग्रीकल्चर कास्ट में लाने की जरुरत नहीं रहती । दूसरा यह है कि आपने बिजनेस मेन और २५०) रू० तक पानेवाले गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को रखा है उसमें । यदि यह सुझाव है कि जो बिजनेस करनेवाले हैं और जिनकी आमदनी २५०) रू० तक है उनमें यदि इनडेटेडनेस है तो उनको भी माफ कर दिया जाय तो मैं माननीय सदस्य से पूछूंगा कि क्या वे बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं या आगे उनको कोई उधार नहीं दे तो सारा बिजनेस ठप्प हो जाय । जो संशोधन बिजनेस-मेन के लिए रखा है उसमें यही भावना प्रतीत होती है ।

गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स जिनकी २५०) रु० तक आमदनी है वे एग्रीकल्चर से ताल्लुक नहीं रखते हैं । इसलिए मैं उनके संशोधन का कारण नहीं समझता । मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं । जो संशोधन सरकार ने रखे हैं वे मान्य हैं इसलिए वे ही उचित हैं ।

**श्री हरिराम (तिजारा) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन 'ना' पक्ष-वालों की तरफ से रखा गया है मैं उसका समर्थन करने खड़ा हुआ हूँ ।

श्री अध्यक्ष : 'ना' पक्ष कोई नहीं है। कभी आप 'हां' में जा सकते हैं, कभी 'ना' में।

श्री हरिराम : वहां 'हां' पक्ष लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप वहां जाकर बैठ सकते हैं।

श्री हरिराम : ऐसा वक्त आयेगा तो उधर बैठ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : लोबीज इसलिए बनाई जाती हैं कि मतदान के समय किसी भी मुद्दे पर 'हां' का समर्थन करने वाले 'हां' पक्ष की लोबी में जावें और 'ना' का समर्थन करने वाले 'ना' पक्ष की लोबी में जावें। कभी आप 'हां' पक्ष की तरफ हों तो आप भी उधर जा सकते हैं।

श्री हरिराम : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखे गये हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने उनको समझने की कोशिश नहीं की है। कुछ लोगों का यह खयाल है, कुछ माननीय सदस्य अभी जो बोल रहे थे कि २५०) रु० से कम तनख्वाह वाले या आमदनी वालों को राहत मिल गई तो उनका सारा व्यापार ठप्प हो जायगा। मैं समझता हूं शायद वे पूरी तरह से नहीं समझे। यह पुराने कर्जे से राहत दिलाने के लिए है न कि आयन्दा कर्जा जो चल रहा है उससे राहत मिल जायगी। पुराने मामले में राहत मिल सकती है, इतने साल का हो तो इतनी कटौती होगी, इतने का हो तो इतनी राहत मिलेगी। इस तरह से लंगड़े किस्म का कानून है, इससे पूरी राहत मिल नहीं सकती। फिर जब कि राहत नहीं मिल रही है तो इससे वे घबरा क्यों रहे हैं, नहीं घबराना चाहिए। इससे बजट पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप को भी सुझाव इस सदन में देवें तो उसमें हर बार यह बताया जाता है कि राहत हम देने को तैयार हैं, हम यह काम भी करने को तैयार हैं लेकिन इसके लिए बजट में गुंजाइश नहीं है, आप हमको बता दीजिए पैसा कहां से आवे, सोर्स कहां से आवे। लेकिन मैं समझता हूं यह इस किस्म का संशोधन है कि इसके लिए न पैसे की जरूरत है और न साधन की जरूरत है और न किसी दिक्कत में पड़ने की जरूरत है उसका भी विरोध किया जाय और इस हालत में किया जाय जब कि यह समझते हैं कि एक रिक्शेवाले की क्या हालत है, जयपुर में रिक्शे वालों की क्या हालत है, रोज रिक्शे में बैठ कर आते हैं, उससे सवाल करते हैं, उसकी हालत को जानते है, किस तरह कर्जदार है। बाहर से सूदखोरों से किस दर पर वे उधार लेते हैं उनको आपके कानून से राहत मिलेगी क्या ? कतई नहीं मिलेगी। दूसरे कुली हैं जो बोझ ढोते हैं या भिश्तीवाले हैं। छोटे छोटे लोग हैं। गांवों में हैं। दूसरी जगह हैं, छोटे चपरासी हैं, कर्मचारी हैं जिनको ६०) रु० माहवार तनख्वाह मिलती है ५, ७ बीबी बच्चे हैं, न उनको दवा दे सकते हैं, न उनके लिए शिक्षा का इन्तजाम कर सकते हैं और बाहर से कर्जा ले लिया तो चुकाते चुकाते पूरी तरह से परेशान हो जायेंगे। उन लोगों को भी राहत देने की मन्शा नहीं है। यदि उन सब लोगों को राहत देने की भी इच्छा नहीं है तो क्या यह सही है कि उनकी मन्शा यह है कि क्योंकि हरिजन अभी भी

( श्री हरिराम )

कुछ वोट देते हैं, अब भी लोग वहां जाते हैं, जो पूरी तरह हमारे पक्ष में हाथ उठाते रहते हैं। उनको बनाये रखने के लिए थोड़ी सहूलियत देकर उनका उपयोग कर लिया जाय ? उपयोगी बनाने का साधन मात्र ही मन्शा है। बाकी सबके को राहत न दी जाय, यह मन्शा है तो ठीक तरह से विरोध कर रहे हैं। कानून बनावें और नाम की दिक्कत हो ? अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस बिल का जो नाम है उससे जितने संशोधन आये हैं वे मेल नहीं खाते हैं। हो सकता है कि कानून की उनको जानकारी है और उससे मेल नहीं खाता होगा लेकिन नाम संस्कार दुबारा किया जा सकता है यदि सरकार को जरूरत पड़े तो अभी नाम बदल सकते हैं, इसके लिए हमारे सामने संशोधन रख दें। लेकिन नाम के पचड़े में पड़ कर पूरी तरह कह दें, यह नहीं होना चाहिये। इससे उल्टा अर्थ निकलेगा गलतफहमी होगी, यह नहीं होना चाहिए; बल्कि सरकार को यदि जरूरत हो कि इसका नाम बदल कर दूसरा नाम रख दिया जाय, दूसरा साथ साथ निकल सकता है। इस तरह की सरकार की मन्शा हो तो संशोधन हाउस में लावें विचार करके बात की जा सकती है। लेकिन पूरी तरह से गरीब लोगों को राहत देनी है। तमाम जो हरिजनों के बराबर मिलते-जुलते लोग हैं, गांवों में रहते हैं, इतनी उनकी आमदनी है उन लोगों को भी कानून के तहत राहत मिल सके। उनको नहीं दी जायगी तो उनके साथ अन्याय होगा और उनकी तरफ से लापरवाही बरतना होगा। इन शब्दों के साथ पूरी तरह से जिन्होंने संशोधन दिये हैं उनका मैं समर्थन करता हूँ।

**श्री दलपतसिंह (आबू)** : राजस्थान कृषि ऋण निवारण विधेयक हमारे सामने है। वह बिल्कुल सिम्पल है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा विवाद किया जाय। यह संशोधन है सरकार की तरफ से कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को रिलीफ देने का प्रावधान और एड कर दिया जाय। इसके अन्दर जैसा श्री विजयसिंह झाला का संशोधन है उसके लिये अर्ज करूंगा कि यह भी संशोधन जो आपकी तरफ से है यह अच्छी बात है; क्योंकि गांवों में ९० प्रतिशत आदमी बैकवर्ड क्लासेज, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। लेकिन १० या १५ परसेन्ट ऐसे हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब की लिस्ट्स में नहीं हैं जैसे कुम्हार, ढोली, नाई, सरगरा इत्यादि, इत्यादि वे भी कृषि कार्य गांवों में करते हैं। पिछले समय में विधान सभा में श्रीकांत की रिपोर्ट डिस्कस हुई थी उस समय भी ऐसा प्रश्न उठा था कि जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं आते उनको रिलीफ देना जरूरी है। अगर नहीं देते हैं तो दूसरे लोगों को इस विधान के द्वारा जो अधिकार देने जा रहे हैं नहीं दिये जावेंगे।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा जो हमारी मंत्राणी, इस बिल को पाइलेट कर रही है, से निवेदन करूंगा कि जो हमारे यहां १० प्रतिशत लोग जैसे सुनार, ढोली आदि इससे वंचित रह रहे हैं उनके लिये जब रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स बनें, इस बिल में प्रोविजन रखा जावे ताकि उनको राहत मिल सके। अगर इनको एड कर देंगे तो ये लोग इसमें आ जावेंगे, अन्यथा नहीं आवेंगे। यही मेरे अर्ज करने का मतलब है।

( श्री दलपतसिंह )

मैं आपका ध्यान आपके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स की तरफ दिलाते हुए यह निवेदन करूंगा कि आबू में सरगरा जाति के लोगों को इसमें इन्क्लूड नहीं किया है। अगर इसकी तरफ भी ध्यान दें तो उनको भी राहत मिलेगी। बम्बई में नहीं था। अगर इनको अब कर दिया जावे तो इनको भी राहत मिल जावेगी।

(दो, तीन माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

**श्री सतीशकुमार शर्मा** ( बानसूर ) : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेंट पेश किया गया है कि जिन जातियों को अभी राहत मिलती है उसके अलावा अन्य जातियों को भी राहत मिलनी चाहिये। इस संबंध में जितनी भी आवाजें आ रही हैं इस अमेन्डमेंट के लिये उसमें कोई भेद मालूम नहीं होता। इधर के लोग और उधर बैठने वाले लोग भी महसूस करते हैं कि और वर्गों पर यह लागू हो और अगर उन पर इसको एप्लाई किया जावे तो अच्छा है। जब दोनों तरफ के लोगों की तरफ से आवाजें आती हैं तो आखिर तनाजा किस पर आ कर रूकता है? तनाजा आखिरकार आकर इस पर रूकता है कि इसका नाम Agricultural Debt Relief Act है। इसके सम्बन्ध में सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स दिया गया है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ: "Other members of these castes and tribes are not benefitted thereby. Government have, therefore, decided to apply the provisions of the Act to all such members irrespective of whether they are or are not agriculturists."

सम्भवतः अभी जिन माननीय सदस्यों ने यह बताया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी अधिकतर एग्रीकल्चरिस्टस होते हैं इसलिए उनको एड कर दिया जावे। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो एमेन्डमेंट्स सरकार की तरफ से रखा गया है वह खास तौर से उन लोगों के लिए है जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे जो थे। उस पर तो एक्ट पहले से एप्लाई करता है।

इसलिए हमें यह मान कर चलना चाहिए कि उनके लिए तो कानून है। Agricultural Debt Relief Act इसका जो दायरा है वह यह है कि पहले जो थे उनके अलावा उन आदमियों को भी बाहर से लेना चाहिए जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं। नाम का ताल्लुक हमने छोड़ दिया और उन आदमियों को हमने रखा जाने के लिए निवेदन किया है कि जिनकी माली हालत कमजोर है उनको रखा जावे। उनसे सहानुभूति आप महसूस करते हैं तो फिर इस नाम से भी एक कदम आगे बढ़ चलें। इस नाम को छोड़ दें। अगर आपको इस नाम को छोड़ने की ज्यादा तकलीफ है तो इस नाम को भी बदला जा सकता है। ऐसा न हो कि नाम की वजह से तमाम सदन के सदस्यों को इधर और उधर बैठने वालों को कुछ मुसीबत महसूस हो। वे यह महसूस करते हैं और चाहते हैं कि थोड़ी बहुत गरीब आदमियों को राहत मिले। नाम की वजह से डिफिकल्टी है तो आप नाम बदल सकते हैं। हमारा विरोध अगर सही है तो नाम को तब्दील कर सकते हैं और यह नाम रहते हुए

( श्री सतीशकुमार )

भी हमारे सुझाव मान लिये जा सकते हैं कि बैकवर्ड क्लास को, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट को साथ लेने में कोई तकलीफ नहीं रहती । इसलिए जो सहानुभूति है उसको आगे रखते हुए हमारी विचार धारा को सामने रखना चाहिए और उन पिछड़े वर्गों के साथ सहानुभूति रखते हुए जो झाला साहब ने एमेंडमेंट पेश किया है उसका समर्थन करना चाहता हूं ।

( श्री अब्दुलजब्बार बोलने के लिए खड़े हुए )

**श्री अध्यक्ष** : मेरी समझ में इस पर काफी बहस हो चुकी है इसलिए अब सरकार की तरफ से उत्तर सुन लिया जावे ।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** (उप-मन्त्री, स्वास्थ्य ) : अध्यक्ष महोदय, बहस के दौरान कई सुझाव संशोधन के रूप में रखे गए हैं, सदन के सामने आये हैं । मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगी कि जो कुछ भी एमेंडमेंट सरकार की ओर से लाये गये हैं यह अपने कौन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल ४६ में जो राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है उसको मद्देनजर रखते हुए लाये गए हैं । इस बिल के उद्देश्य को आपने देखा है इससे स्पष्ट है । कि एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में scheduled castes and scheduled tribes के जो लोग नहीं आते थे उनको राहत देने के लिए ही इसमें यह इन्कल्यूड कर दिया गया है । बहुत से साथियों ने यह भी ऑब्जेक्शन किया कि हमारे गावों के बहुत से लोग जैसे खाती हैं, कुम्हार हैं ये लोग इस दायरे में नहीं आते । मैं उनसे निवेदन करूंगी कि 'Artisan' की परिभाषा में वे आजाते हैं ।

**श्री विजय सिंह झाला** (नाथद्वारा) : किसमें आ जाते हैं ? सुना नहीं, जोर से सुनाइये ।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आजावेगा । हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि भावना में बह कर यह संशोधन लाया गया है । लेकिन मैं यह निवेदन करूंगी कि यह भावना का प्रश्न नहीं है । It is a question of fact. इससे यह बात साबित होती है कि जो scheduled castes and scheduled tribes की स्थिति है उसमें इस सुधार की नितान्त आवश्यकता थी और इस आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए यह सुझाव यहां पर पेश किया गया है ।

जहां तक बैकवर्ड क्लासेज का संबन्ध है, अभी बहस के दौरान में भी मालूम पड़ा और वैसे वस्तुस्थिति यह है कि बैकवर्ड क्लासेज की अभी कोई फाइनल लिस्ट नहीं बनी है और इसको बीच में जोड़ने से यह और भी उलझन में पड़ जाने की समस्या हो सकती है और इस विधेयक को प्रस्तुत करने का जो मकसद है वह इससे पूरा नहीं हो पायेगा ।

जहां तक एग्रीकल्चरल लेबर का सम्बन्ध है, वह तो इसमें शामिल हो ही जाता है, पर यह लेबर लॉ नहीं है । जब लेबर लॉ बनाया जाय तो उसमें इस तरह के दूसरे लेबरर्स के लिये इस प्रकार का संशोधन लाया जा सकता है । एग्रीकल्चरल लेबर तो इसके अन्तर्गत आ सकता है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : For thie 'information ot the Hon'ble Deputy minister, I may say that itis wrong to say that there is no list of the backward classes. Sucha list has been published by the Government and scheduled tribes have been included in it. It is more complete than the definition of 'agriculturist'.

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : The list is there but it is not a complete one.

**श्री विजयसिंह झाला** : जो कम्पलीट हो गया है उसको तो जोड़ लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : आप कृपया इनका उत्तर पूर्ण रूप से सुन लीजिये।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : जैसा कि उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है उससे साफ मालूम है कि किसलिये यह संशोधन लाया गया है। इस संशोधन के लाने का जहां तक सवाल है, इसको सब ने एग्री किया है कि यह होना चाहिये, इसका विरोध किसी ने नहीं किया, है। सिर्फ यही कहा गया है कि कुछ एडीशन और यह होने चाहिये। एडीशन के सवाल से मैं एग्री नहीं हूँ और मूलभूत जो हमारा संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय।

**श्री विजयसिंह झाला** : इस संशोधन बिल का इसलिये विरोध किया गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इसमें जोड़ा गया है, जब कि वे एग्रीकल्चरिस्ट, की परिभाषा में नहीं आते, जो कि प्रिएम्बल के विरुद्ध है। इनको जोड़ा जाता है तो बैकवर्ड क्लास, लेबर क्लास और गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को क्यों नहीं जोड़ा जाता है? प्रिएम्बल के विरुद्ध शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जोड़ा जाता है तो इनको भी जोड़ना चाहिये।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : आर्टिकल ४६ ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन है उस ही के अन्तर्गत इसको लिया है।

**श्री विजयसिंह झाला** : कॉन्स्टीट्यूशन का सवाल नहीं प्रिएम्बिल का सवाल है। प्रीएम्बिल के खिलाफ शिड्यूल्ड कान्स्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को क्यों जोड़ा गया है?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : वह मोरल ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि उनके एक्सप्लोइटेशन को बचाया जाय कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल ४६ के अन्तर्गत।

**श्री विजयसिंह झाला** : सरकार को मोरल ड्यूटी शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स को राहत देने की है, तो क्या बैकवर्ड और दूसरे गरीब लोग हैं उनको राहत देना सरकार अपनी मोरल ड्यूटी नहीं समझती? क्या यह मोरल ड्यूटी की परिभाषा में नहीं आता है?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : क्योंकि ये सबसे ज्यादा दलित हैं, पीछे हैं इसलिये पहले इनको बचाना सरकार अपनी मोरल ड्यूटी समझती है।

**श्री विजयसिंह झाला** : मोरल ड्यूटी को आगे रख कर सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को राहत देती है तो दूसरी लेबर क्लास और बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको राहत देना अपनी मोरल ड्यूटी क्यों नहीं समझती है?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : That is not a directive of the Constitution.

**श्री विजयसिंह झाला** : सवाल तो यह उठता है कि मोरल ड्यूटी को लेकर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को रियायत दी जाती है, मोरल को आगे रखा है तो क्या बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को और दूसरे लेबरर्स को, गरीबों को राहत देने से सरकार का मोरल गिर जायगा ? राजस्थान सरकार क्या इनको राहत देकर डीमोरेलाइज हो जायगी ?

**श्री बरकतुल्लाखां** ( स्वास्थ्य मन्त्री ) : कॉन्स्टीट्यूशन में डायरेक्टिव दिया गया था तो ऐसा ही कहा गया था कि हिन्दुस्तान में गवर्नमेंट बनेगी तो इनकी इज्जत रखी जायगी ।

मुल्क में बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। उनमें से सब को आगे बढने का मौका देना चाहिये । पर जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं उन्हें पहले मौका दिया जाय और जो कम पिछड़े हुए हैं उनको बाद में मौका दिया जाय । इससे अगर यह मान कर चलें कि जो लोग कम पिछड़े हुए रहे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है तो उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, यह गवर्नमेंट की कतई मंशा नहीं है । गवर्नमेंट की मंशा है कि जो लोग ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनको पहले और जो कम पिछड़े हुए हैं उनको बाद में मौका दिया जाय ।

**श्री विजयसिंह झाला** : बीच वालों को नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : उनकी बारी बाद में आयेगी ।

**श्री हरिराम** (तिजारा) : यह किस किस्म की रियायत है कि दूसरी जातियों के लोगों को ठुकरायेंगे ? सब को साथ साथ क्यों नहीं बढ़ाते ? दोनों साथ साथ बढ़ जायेंगे, न आपका टका लगेगा, न पैसा, सबका काम ठीक हो जायगा । तो इसमें घबराने वाली बात तो है नहीं । यह समझें कि हमने क्योंकि रख दिया इसलिये इसको कैसे बदलें, कैसे वापिस रखें । किसी वर्ग विशेष से दिलचस्पी हो तो और बात है वर्ना दोनों को साथ साथ बढाने में कोई बाधा नहीं ।

**श्री बरकतुल्लाखां** : यह गलतफहमी हो रही है । डेमोक्रेसी में सरकार जो सुझाव जहां से आते हैं और जिनको गवर्नमेंट मान सकती है उसको जरूर मानती है । गवर्नमेंट के दिमाग में यह कभी नहीं रहा कि उधर से सुझाव आया है तो नहीं मानें । गवर्नमेंट मानती रही है और आयन्दा भी ऐसे सुझाव आयेंगे तो मानेगी । इस गलतफहमी को दिमाग में रखा तो हमारी परम्पराएं ठीक नहीं जमेंगी ।

**श्री विजयसिंह झाला** : सवाल यह था हुक्म कि जिस उद्देश्य से यह लाया गया है और जिस उद्देश्य से इस संशोधन बिल का विरोध किया गया है वह यह है कि प्रियेम्बल के विरुद्ध यह संशोधन सरकार की तरफ से लाया गया है । इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है ।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, वह तो इसका नहीं । वह तो आपने कहा कि उनको क्यों लिया

(श्री अध्यक्ष)

इसको कल नहीं लिया, इसका है।

**श्री विजयसिंह झाला** : तो प्रिएम्बल के खिलाफ शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स को लिया गया है तो दूसरों को भी क्यों नहीं लिया गया ?

**श्री अध्यक्ष** : बहस में कई दफा यह पोइन्ट आप रेज कर चुके हैं।

**श्री विजयसिंह झाला** : इसका कोई सेटिस्फेक्टरी उत्तर नहीं मिला है।

**श्री अध्यक्ष** : सेटिस्फेक्शन आपको मिले, पर बहस हो चुकी है, उत्तर दिया जा चुका है। इन लोगों को स्पेशल रियायत मिली है; मन्त्री महोदय कहते हैं कि यह हमारी मोरल ड्यूटी है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६२ के खण्ड २, ३, ४ व ५ पर जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से १४ तक विधेयक के अंग बनें।

(विराम)

(स्वीकृत)

खण्ड २ से १४ विधेयक में अंग रुप से जोड़े गये।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** (उप-मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि इस बिल को पास किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६२ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(अल्प विराम के अनन्तर)

इसमें एक त्रुटि रह गई है जो माननीय सदस्यों की अनुमति से ठीक करली जाय। क्लॉज़ और प्रिएम्बल इत्यादि........

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथाद्वारा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, इस पॉइन्ट पर मैं डिविज़न क्लेम करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : और मौके आ सकते हैं।

**श्री विजयसिंह झाला** : आज मालूम हो जाय कि कौन प्रगतिशील है।

**श्री अध्यक्ष** : उपयुक्त तो तभी होता जब संशोधन मत पर रखे उस समय डिवीजन क्लेम करते। अब तो प्रश्न रखा जा रहा है कि सारे बिल को स्वीकार किया जाय। इस समय यह उपयुक्त नहीं होगा। बिल को तो सभी चाहते हैं कि स्वीकार किया जाय।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : We are pr epared for a division at the amend ment stage. If the amendment goes down, then we are for the resolution as it is. So we can have a division on the amendment of the Hon'bleMember, not on the resolution,

**श्री अध्यक्ष** : इसीलिये मैंने निवेदन किया कि अमेंडमेंट की स्टेज पर कहते तो ठीक था । अब तो बिल को गिराना चाहें तो क्लेम कर सकते हैं, ऐसी तो किसी की मंशा नहीं होगी ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ।

( स्वीकृत )

क्लाज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ।

अब मैं फिर से प्रश्न रखूं ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण ( संशोधन ) विधेयक, १९६२ को पारित किया जाय ।

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया ।

( १.२९ म. प. )

## राजस्थान भू-धारण ( संशोधन ) विधेयक, १९६२

( खन्डशः विचार-विमर्श एवं पारित )

अब राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ लिया जाता है ।

अब क्लॉज बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन हो । सब-क्लॉज २ पर श्री रामानन्द अग्रवाल अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : अध्यक्ष महोदय, I move for replacing the words and figures "proviso shall as from the 30th day of December, 1961, be inserted and be deemed to have been inserted namely........."

**श्री अध्यक्ष** : आप इनको न भी पढ़ें और भावार्थ प्रस्तुत कर दें, जैसा आप उचित समझें ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : I will read this portion of my amendment. मैंने क्लॉज १५ में एक प्रोविजो जोड़ने के लिए अमेंडमेंट रखा है जो इस तरह से हैं : "Replace the words and figures 'proviso shall as from the 30th day of December, 1961 be inserted and be deemed to have been inserted, namely:' by the words 'the following two provisos shall be inserted and be deemed always to have been inserted namely"

Provide that nothing contained in sub-section(1) shall debar the accrual of khatedari rights under section 15 to persons in possession of the land for five years or more on the date of commencement of this Act.

2. In the existing proviso in the clause the word 'further' be inserted between the words 'Provided' and "that'.'

मेरे इस संशोधन का मकसद इस बात का है कि धारा १५ के तहत इस काश्तकारी कानून में उन टीनेन्ट्स को, जो कि इस कानून के लागू होते समय जमीन पर काबिज थे, काश्त करते थे, खातेदारी हकूक दिये गये लेकिन बाद में सरकार पर मुख्तलिफ तबकों का दबाव आने से धारा १५ ए को इस कानून में जोड़ दिया गया और जो अधिकार किसान को एक हाथ से धारा १५ के तहत दिया गया वो दूसरे हाथ से धारा १५ ए के तहत उन अधिकारों को वापिस ले लिया गया । इसका असर

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

काफी क्षेत्रोंके ऊपर और किसानों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या के ऊपर पड़ा है। मिसाल के तौर पर वे तमाम क्षेत्र बीकानेर डिविजन का, वह क्षेत्र जिसमें भाखरा नहर योजना आ रही है या वह क्षेत्र जिसमें चम्बल योजना आ रही है, या वह क्षेत्र जिसमें राजस्थान केनाल आने वाली है वे तमाम क्षेत्र जो प्रोजेक्ट एरियाज़ कहलाते हैं, जिनका विकास होने वाला है, उन तमाम क्षेत्रों को इस राहत से वंचित कर दिया गया और जो भी किसान उन क्षेत्रों में कितने ही वर्षों से रहते थे और पुराने कानूनों की वजह से खातेदारी अधिकार उन क्षेत्रों में उनको नहीं मिले थे, धारा १५ ए के अन्तर्गत चाहे उनको काश्त करते हुए कितना ही समय गुजर गया हो, चाहे वे कितने ही पुराने क्यों न हों, ५० वर्ष, ६० वर्ष पुराने क्यों न हों, उनको खातेदारी राइट्स प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार का प्रावधान इस धारा १५ ए के तहत किया गया था। इतना ही नहीं और भी किस्म के किसान जोकि इस धारा १५ के तहत रखे गये हैं मसलन जो टिनेन्ट्स फिक्स्ड टर्म के लिए या जो जमीनें जिनके लिए सरकार ने यह कहा कि हम उन्हें ठेकों पर देते हैं या ऐसी जमीनें जो रेकार्ड ऑफ राइट्स में ठेकों पर दर्ज हैं लेकिन दर असल वे काश्त की जमीने हैं, उन तमाम चीजों से किसान को खातेदारी हक़ूक से महरूम कर दिया गया। जो मैंने प्रोविजो रखा है और उसके जरिये इस संशोधन को रखा है उसमें यह सुविधा दी गई है कि जो टिनेन्ट्स इस कानून के लागू होते वक्त लगातार पिछले पांच वर्षों से अपनी जमीनों पर काबिज थे, जमीनें काश्त करते थे, उन किसानों को खातेदारी हक़ूक मिल जायं। उनके ऊपर इस धारा १५ ए का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस प्रोविजो के जरिये; ऐसे किसानों को बचाने की कोशिश की।

अध्यक्ष महोदय, यदि यह संशोधन यह सदन मंजूर कर लेता है तो हजारों और लाखों किसान जो प्रोजेक्ट एरियाज़ में बसते हैं और जिनको हर लिहाज़ से यह अधिकार है कि उनको उस क्षेत्र में अपनी जमीनों पर अपने खातेदारी हक़ूक मिले, वह मंशा पूरी हो जावेगी। जैसा कि कल इस कानून पर प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में हम बहस कर रहे थे उस समय मैंने निवेदन किया था कि धारा १५ ए का लागू करना इस गवर्नमेन्ट की क्लास पोलिसी को बहुत नग्न रूप में सामने रख रहे हैं। इसके पीछे कोई सामाजिक न्याय नजर नहीं आता है कि आप जनता के बहुत बड़े तबके को, जो आपको अपनी महनत से पूरी कमाई देता है, जिसको आप यह मानते हों कि आपके प्रान्त की जो बड़ी से बड़ी वैल्थ है ८० प्रतिशत लोग इस कृषि से कमा कर देते हैं। उन ८० प्रतिशत लोगों के प्रति इस सरकार का इस प्रकार का रवैया हो, कोई भी उनके विकास का कार्य हो रहा हो जिससे उनके अन्धकारमय जीवन में किसी प्रकार की नयी ज्योति, नयी आशा की किरण दिखने की उम्मीद हो, आप अपने कानूनों के जरिये उनकी तमाम आशाओं पर पानी फेरना चाहते हैं, आप अपने कानून के द्वारा उनको उन तमाम अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं, यह अध्यक्ष महोदय, बड़ाभारी अन्याय इस प्रकार का उन किसानों के प्रति है।

हमारे अलवर और भरतपुर जिले में

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

करीब एक तिहाई लोग हैं जो इवेक्यू प्रोपर्टी पर बसते हैं उन लोगों पर यह कानून टिनेन्सी एक्ट लागू नहीं होता । उन लोगों को धारा १५ का फायदा नहीं मिलता । उन लोगों को जो सौ सौ वर्षों से काश्त करते हैं, जिनके बाप दादा और पीढ़ियां जिन्होंने अपने उन खेतों पर गुजार दीं, आज यह सरकार उन जमीनों को नीलाम करने की सोच रही है । धारा १५ उस पर लागू नहीं होती और यह सरकार धारा १५ ए के तहत उनको उन अधिकारों से वंचित करती है ।

अध्यक्ष महोदय, यहीं तक सरकार सीमित नहीं है । जब सरकार को बहाना मिल गया, जो क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत प्रोजेक्ट एरियाज़ में आते हैं उनको उनके जरिये अगर किसान को खातेदारी हकूकों से वंचित रखा जा सकता है तो फिर सरकार की यह नीयत है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों को कमान्डेड एरिया घोषित करें, अधिक से अधिक गांवों के लिए यह घोषणा करें कि यहां भी भाखरा नहर का पानी लग जावेगा, चाहे वह २० वर्ष में चाहे ४० वर्ष में, या १०० वर्ष में, लगेगा, और आप ताज्जुब करेंगे कि किसान बजाय खुश होने के जब किसानों को यह घोषणा करते हैं कि तुम्हारे खेतों में पानी आने वाला है, बजाय इसके कि वे खुशी जाहिर करें, बजाय इसके कि वे सरकार की इस घोषणा को वेलकम करें, सरकार को वे इसके लिए बधाई दें, वे ही किसान सरकार को दरख्वास्त दे रहे हैं कि हमारे गांव को इस क्षेत्र में से निकाल दीजिये । वह गलत है, हमारे गांवों में पानी आ नहीं सकता । क्या वजह है ? वजह यह है कि वे यह जानते हैं कि सरकार यह बात कह कर तुमको अपनी जमीनों के हकूकों से वंचित करना चाहती है, तुम्हारे ऊपर सरकार नये टैक्स लगाना चाहती है, तुम्हारे ऊपर सरकार बेटरमेन्ट लेवी की तलवार लटकाना चाहती है । इसलिए आज किसान उन बातों का विरोध करता है ।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि धारा १५ ए द्वारा किसानों के तबके पर एक भारी जुल्म है और उस जुल्म को जितना जल्दी से जल्दी हटाया जा सके, उस अन्याय को जितना जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके, उतना ही अच्छा है । यह हमारे राजस्थान की जनता की बढ़ोतरी के हित में होगा ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बराबर यह कहती है कि हमें विकास के लिये जो खर्चा करना है करोड़ों रूपये उसके लिये चाहिये, उसके लिये हमारे पास कुछ साधन चाहिये । उनको फाइनेन्स करने के लिये उस क्षेत्र को जो सुविधायें पहुंचायी जा रही हैं, उसके लिये हम उनसे कुछ वसूल करना चाहते हैं, इससे हम अपने फाइनेन्सेज को अपने बजट को पूरा करना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सरकार की नीति है, वह सही नीति नहीं है । अगर कोई तबका जो बहुत अर्से से एक्सप्लोइटेड और अन डेवलप्ड रहा है दूसरे क्षेत्र के साधनों के प्रति दूसरे वर्गों के साधनों के प्रति उस क्षेत्र को सबसीडाइज करना पड़ता है और जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ा हुआ तबका है उनको उनके समकक्ष लाना चाहते हैं जो किन्हीं हिस्टोरिकल वाकेआत की वजह से आगे बढ़े हुए हैं । अगर यह दलील सरकार

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

की विकास के संबन्ध में रहती है कि जिन लोगों का विकास किया जाता है, जिस क्षेत्र का विकास किया जाता है उसके लिये उस क्षेत्र से पैसा लिया जाय, अगर यह हालत रहती है तो यह वैसी ही हालात हुई जैसी कि एक आदमी को दिन भर खूब खिलाओ और रात्रि में शेर के आगे बैठा दो तो वह सूखकर वैसा का वैसा हो जाता है। अगर हमारी सरकार की नीयत है कि किसानों को किसी सुधार के जरिये थोड़ा सा फायदा मिलने वाला है तो किसी टैक्सेशन पोलिसी के जरिये या बेदखली के जरिये अधिकारों से वंचित रखकर उनको आगे बढ़ने न दिया, यह जो नीति है मैं समझता हूं हमारे प्रान्त की अर्थ व्यवस्था के हित में नहीं है। यह विकास के हित में भी नहीं और न हमारे प्रान्त की राजनैतिक प्रगति के हित में भी है। आप देखिये कि जहां हम धारा १५ को लागू करके लाखों किसानों को अपने अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं और उनकी जमीन को बेचना चाहते हैं निलाम द्वारा ताकि उसकी पूरी की पूरी कीमत उठायी जा सके ऐसी हालत में आप उन नारों को याद कीजिये जिस समय कराची कांग्रेस में आपने हिन्दुस्तान के किसानों से वायदा किया था कि आजादी आने के बाद तुमको अपनी भूमि का मालिक बना दिया जायगा और खातेदारी हकूक दिये जायेंगे लेकिन जब वक्त आया नारे पूरा करने का, उनको अमली जामा पहनाने का, तो अपने आप कोई न कोई बहाना लेकर पीछे हटना चाहते हैं। उसके लिये फाइनेन्स का बहाना लेना चाहते हैं और उस जबान से बहाना लेते हैं। किसानों की जमीन बेचना चाहते हैं और चाहते हैं लाखों करोड़ों रूपया राजा महाराजाओं को प्रिवीपर्स में दिया जाय जिनके खजाने से राजाओं को बिजली मुफ्त दी जाती हैं। जिस खजाने से राजाओं

( १.४०. म. प. )

को पहरा देने के लिये पुलिस की नियुक्ति की जाती है, जिस खजाने से लाखों रुपया जागीरदारों को मुआवजा मिलता है और दे रहे हैं। वही सरकार फाइनेन्स की बात कह कर, सरकार की आर्थिक स्थिति की बात कह कर, पैसे की कमी का कारण बता कर किसानों को खातेदारी हकूक देना नहीं चाहती जो सामान्य तौर पर मिलना चाहिये, धारा १५ के अनुसार मिलने चाहिये। उसमें डिसक्रिमीनेशन करके, जो मैं समझता हूँ हमारे संविधान के अनुसार मुनासिब नहीं, उन तमाम अधिकारों से वंचित करते हैं। इन बैंचों के अलावा उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी जो बीकानेर डिवीजन से आते हैं, चम्बल एरिया से आते हैं वे भी अपने क्षेत्र के किसानों की भावनाओं को महसूस करते होंगे। मैं समझता हूँ इस संशोधन के बारे में वे वोट चाहे जिधर दें लेकिन इस पर अपनी राय अवश्य व्यक्त करेंगे ताकि वास्तव में यह धारा १५ ए है उसके अनुसार जो किसानों को खातेदारी के हकों से वंचित किया जा रहा है वह कहां तक न्याय संगत है? इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधनों को रखते हुए सदन से निवेदन करूंगा कि आप इन संशोधनों को स्वीकार करें और जो उस क्षेत्र के किसान हैं जिनके साथ काफी अरसे से इनजस्टिस हो रही है उसको दुरुस्त किया जाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन सर्व सम्मति से मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने का प्रयत्न करेगा।

**श्री अध्यक्ष :** श्री हरदत्तसिंह। इनका संशोधन है।

( अनुपस्थित )

श्री विजयसिंह झाला।

**श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं मानता हूं कि धारा १५ ए का प्रभाव खाली उसी क्षेत्र पर नहीं पड़ता जो प्रोजेक्ट एरिया है, लेकिन संशोधन के आने से जो प्रोजेक्ट एरिया नहीं है, दूसरा क्षेत्र है उस इलाके के किसानों को भी इससे राहत मिलेगी। जो खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कानून है उसके लिये जब डिक्लेरेटरी सूट आता है, उसमें यह मांग करते हैं। किसी का १५ साल से कब्जा है, जब किसी सब-टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त की परिभाषा को देखा जाता है तो जो लैन्डलौर्ड हैं, जो अपने स्वार्थ से उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं वह भी डिक्लेरेटरी सूट कर सकता है। मेरी समझ में यह जो संशोधन रखा है चाहे उसमें लैन्डलौर्ड की स्वीकृति हो या न हो, चाहे कानूनी डिफिकल्टीज हों २५ साल का जिसका कब्ज़ा है वह उस कब्जे पर डिक्लेरेटरी सूट लेकरके खातेदारी हक प्राप्त नहीं कर सकता। इस संशोधन के आने से यह स्पष्ट हो जाता है जिस काश्तकार का कब्जा पांच साल या पांच साल से अधिक का है वह स्वतः ही जमीन का मालिक बन जाता है, नहीं तो उसको साबित करना पड़ता है कि वह टिनेन्ट के रूप में उस जमीन पर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार करने से जिनका १५-१५ साल या तीस तीस साल से कब्जा है चूंकि उसका खाते में नाम नहीं जिस वक्त लगान जमा कराता है, खातेदार आसामी के नाम पर जमा होता है जिस वक्त डिक्लेरेटरी सूट करता है संभव है वह टिनेन्ट नहीं माना जाता, ट्रेस पासर की हैसियत से उसको अदालत के सामने जाना पड़ता है। यह संशोधन आने से जो इस प्रकार की प्रोब्लम बनी हुई है-कई सालों का काबिज होते हुए भी डिक्लरेटरी सूट के बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता-उसमें यह संशोधन सहायता देगा।

साथ साथ यह भी कहा जाता है कि प्रोजेक्ट एरिया में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है। उस पैसे की वसूली गरीब किसानों से की जायगी। मैं नहीं समझता कि जब आज हमारी ट्रेजरी बैंचों के लोग अपने खुद के लिये बजट में पैसा बढ़ा सकते हैं, अपनी तनख्वायें बढ़ा सकते हैं, उस समय तो वे यह नहीं सोचते कि जो पैसा प्रोजेक्टों में लगाया गया है उस पैसे को इसमें से भी भुगतान करना है, पर जब गरीब किसान को रियायत देने का सवाल आता है तो प्रश्न उठाया जाता है कि प्रोजेक्ट एरिया का खर्चे का पैसा उनसे वसूल किया जावेगा। आप अपना खर्च कम करके कुछ दीजिये। मोटरों में मत बैठिये, छोड़िये ये मोटरें, साइकिलों पर बैठकर दफ्तर आइये-जाइये।

**श्री अध्यक्ष :** यह तो अमेन्डमेंट है, आप अपने कथन को अमेन्डमेंट तक ही सीमित रखिये।

**श्री विजयसिंह झाला** : इसका भी रेफरेन्स जब आता है तो जिक्र करना जरूरी हो जाता है, अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : आज तो केवल आप अमेन्डमेंट पर बोलें, जनरल डिबेट तो कल हो गई।

**श्री विजयसिंह झाला** : जिस समाजवाद को आप अपनी पालिसी बताते हैं उसमें भी इससे मदद मिलेगी। आपने अपना प्रिन्सिपल बना रक्खा है-जो खेत जोतता है, खेत उसका होगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप अपने सिद्धान्त के विपरीत क्यों करते हैं। आपकी कथनी और करनी में यह अन्तर क्यों आ रहा है। जो तीस तीस साल से जिस जमीन पर काबिज है, काश्त करता आया है आप उसको इजेक्ट करने जा रहे हैं और उस जमीन को आप नीलाम करेंगे। जिसके पास पैसा खर्च करने को ज्यादा होगा वह उसका मालिक होगा, चाहे वह स्वतः खेती करने में इन्टरेस्ट रखे या न रक्खे। तो इससे आप अपने उस सिद्धान्त से विपरीत भी जा रहे हैं। तो जो संशोधन रक्खा है माननीय सदस्य ने उसका मैं समर्थन करते हुए कहूंगा कि इसे पास कर दिया जावे।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन के पक्ष में अपने विचार रखने के लिये सदन के समक्ष खड़ा हुआ हूँ। प्रस्तुत संशोधन में सिर्फ किसान को खातेदारी राइट्स देने का प्रश्न ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस संशोधन में सन्निहित है। जिस राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट एरिया में बीकानेर जिला और जैसलमेर जिला और जोधपुर जिले का कुछ हिस्सा आता है, उसके लिये हमारी सरकार ने यह प्रस्ताव पास किया कि उन क्षेत्रों के अन्दर किसान को खातेदारी हक किसी भी तरह से प्राप्त नहीं होंगे। जिन्होंने आजादी के पूर्व कुरबानियां की और उनसे प्रेरणा लेकर जिस कांग्रेस ने यह नारा दिया कि जमीन जोतने वाले को देंगे। आज वही कांग्रेस अपनी सरकार बन जाने पर उन्हीं किसानों के खिलाफ इस सदन में प्रस्ताव पास कराने पर तुली हुई है इसकी उम्मीद राजस्थान में ही क्या हिन्दुस्तान में भी किसी ने नहीं की होगी। जिन किसानों को सामन्तों ने कभी खातेदार नहीं बनाया और हमेशा जिनको अपनी सामन्ती जूते के नीचे दबाये रक्खा; पिछले सैंकड़ों वर्षों से जिन्होंने अपनी जमीनों में महनत की, अनाज निकाला, सब कुछ किया पर जागीरदारी प्रथा के कारण वे कभी उस जमीन के मालिक नहीं बन सके। पर सन् ५५ में जब पहला टिनेन्सी एक्ट बना उससे पहले पुराने सामन्ती कानून ही सब जगह लागू थे इसलिये तब तक उन पुराने कानूनों द्वारा किसान खातेदार नहीं बन सकता था क्योंकि राजस्थान बनने के बाद नया टिनेन्सी कानून बनने से पहले तक जिन जिन पुराने इन्टीग्रेटेड स्टेटों में जो टिनेन्सी कानून थे वे ही ५५ तक उन-उन क्षेत्रों में लागू रखे गये थे, तो ५५ में मौका आया था जब कि जिन किसानों ने अपनी अपनी जमीनों में सदियों से महनत की थी, पर सामन्ती दबाव के कारण खातेदार नहीं बन सकते थे, उनको खातेदार बना सकते थे। पर हमने अपने टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ रखने के बाद १५ ए बनाकर नहरी इलाके में उनको खातेदार बनाने का रास्ता ही बन्द कर दिया। इस तरह से उनके हक समाप्त करके इस सरकार ने समाजवाद की उसकी

( श्री मानिकचंद सुराणा )

नीति के खिलाफ नीति अख्तियार की। कांग्रेस ने अपनी घोषित नीति कि 'लैंड टू दी टिलर्स' के खिलाफ १५ ए धारा बनाई और आज जो संशोधन पेश किया गया है यह सिर्फ इसलिये है कि अगर कांग्रेस को अपनी पुरानी नीति में अब भी विश्वास है तो इसको स्वीकार करके कांग्रेसी सरकार अपनी पुरानी भूल को परिमार्जित कर सकती है और दुनिया को वह बता सकती है कि वास्तव में वे अब भी किसान को जमीन का मालिक बनाना चाहते हैं। क्योंकि वहां नहर आ रही है इसलिये जो जमीन की कीमतें पहले थीं, जिनमें एक या दो मन प्रति बीघा अनाज पैदा होता था, उन जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं और अब उसमें १० मन प्रति बीघा अनाज पैदा होगा तो क्या यह कोई कारण है इस बात का कि उस किसान को उस जमीन का मालिक नहीं बनाया जावे ? यह तो ऐसा हुआ कि सारी बारानी जमीन किसान की और नहरी जमीन सरकार की। यह सरकार की नीति गलत है और इस संशोधन में जो मांग की गई है कि ५५ में जिस समय यह टिनेन्सी का कानून पास हुआ था, उस समय जो किसान नहरी क्षेत्र के किसी भी हिस्से में था उस किसान को खातेदार बना दिया जावे। यह बहुत सैद्धान्तिक प्रश्न है और सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इस सिद्धान्त पर आधारित जो संशोधन है उस पर मैं कहना चाहूँगा कि इस संशोधन को स्वीकार किया जावे। यह सिद्धान्त की रक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक है। यदि इसको स्वीकार नहीं करती है यह सरकार तो इसका मतलब यह है कि वह वहां सदियों से बसे किसान को मालिक नहीं बनाना चाहती, बल्कि वह स्वयं जब चाहे किसी भी भाव पर किसी को वह जमीन बेच सकती है, नीलाम कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मंत्री महोदय इस सिचुएशन की ग्रिप को महसूस करें कि किसान आपके बारे में क्या धारणा बनावेगा, वह आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या महसूस करेगा जब आप उसे बेदखल करके उस जमीन को दूसरों के नाम पर बेच देंगे। तब वह कहेगा कि बाप दादों ने अपना पसीना और खून बहाया और वे उस रेगिस्तान में रहकर बड़ी बड़ी हड्डियों के ढांचे मात्र बन कर रह गये। इस सबके बावजूद भी उन्होंने अपनी उस धरती से ममता को नहीं कम होने दिया, उससे ममता बनाई रक्खी, पर आज जब वहां नहर आ रही है, भविष्य में प्रगति की आशा की किरणें फूट रही हैं और वह टैक्स का पैसा जो राजस्थान में हिन्दुस्तान की आम जनता का जमा होकर लगा है या लग रहा है उसका लाभ उनको भी मिलने की आशा हो रही है, पर जब आज उस किसान से यह कहा जावे कि उस जमीन की कीमत चुकाओ, उस बहबूदी की कीमत दो अन्यथा मालिक नहीं बनाये जा सकते, तो वह क्या समझेगा आपके बारे में। मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि वह लाभ उनको देना चाहिये। जिन्होंने दुख सहे हैं, उनको सुख भी लेने देना चाहिये। सरकार को अहसास करना चाहिये कि जितनी ऐसी जमीन पर लोग आबाद हैं जो ५५ से पांच वर्ष पहले तक जिस जमीन पर काबिज था, यह संशोधन तो पांच वर्ष का ही है पर दस पन्द्रह साल पहले के भी रिकार्ड मिल जावेंगे जब कि वे ही लोग बराबर वहां आबाद रहे हैं, उन सबको खातेदारी हक मिल जाने चाहिये। आज भी नहर आई

( श्री मानिकचंद सुराणा )

नहीं है अभी, पर आपने तो अभी से खातेदारी हक खतम कर दिये हैं । खतम ही नहीं किये पर नहरी टैक्स और लगा दिया । जिस रेगिस्तान में रहने वाले किसान को…

**श्री अध्यक्ष** : यह नहरी क्षेत्र का प्रश्न नहीं है । आप वाद-विवाद में इतने लम्बे न जावें । वह स्टेज आपकी चली गई । मुख्य मुद्दे पर ही बोलें ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : नहरी क्षेत्र को किसान छोड़ भी गये । यह भी आखिर सरकार को कितना नुकसान हो सकता है एस्टीमेटेड रेवेन्यू में । इसके फलस्वरूप कितना नुकसान होता है । एक प्रोहिबिशन का सवाल था, नीति का प्रश्न था । इसमें नफा नुकसान देखकर नहीं चला जाता । बम्बई सरकार ने इसे अपनी नीति का प्रश्न बनाया और प्रोहिबिशन की और इससे होने वाले नुकसान को बर्दाश्त किया । इसी तरह आप भी अपने इस सिद्धान्त को जिसे कि आप स्वीकार कर चुके हैं, बार बार स्वीकार कर चुके हैं और बार बार कहते हैं कि जमीन का मालिक किसान बने, उसे अमल में लावें और इसके परिणामस्वरूप अगर कोई नुकसान भी होता है तो उस नुकसान को आपको हंसते हुए उठाना चाहिये । इस दृष्टि से मुझे विश्वास है आप इस संशोधन को अवश्यमेव स्वीकार करेंगे ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : अध्यक्ष महोदय, I would request through you that the Chief Minister should be present during this discussion because very important for the peasantry of Rajasthan, and because he is in-charge of this portfolio and he can take an important decision of policy on this question. Therefore, we would like that he should be present and we would like to see how he responds to these amendments. I will, therefore, request that he should be asked to be present in the House during this discussion.

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उपमंत्री, राजस्व): I am also aware of the Government policy and I am quite competent to reply to your arguments.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यदि सरकार का इसी प्रकार का रवैया है तो इससे हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी राय की सरकार कद्र नहीं करना चाहती । जब कि कल इसी हाउस से पोस्टपोनमेंट मांगा गया था तो कहा गया था कि सरकार इस पर सीरियसली विचार करना चाहती है और आज यह रवैया है कि मुख्यमन्त्री जिनके पास इसका पोर्टफोलियो है वे इस संशोधन के डिस्कसन पर सदन में मौजूद भी नहीं रहना चाहते और माननीय सदस्यों की इस पर क्या राय है, क्या उनकी भावनाएं हैं और दलीलें हैं उनको सुनना भी नहीं चाहते, तो मैं यह समझता हूं कि सरकार यह निश्चित कर चुकी है कि हमें इसको मन्जूर नहीं करना है ।

यहां जो माननीय उपमन्त्री महोदय बैठे हैं वे तो निगेटिव डिसीज़न मात्र ले सकते हैं, पोजेटिव डिसीज़न लेने में वे कॉम्पीटेन्ट नहीं हैं, ऐसा मैं मानता हूं । इसीलिये मैं निवेदन

( श्री रामानन्द अग्रवाल)

करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को निवेदन किया जाय कि वे इस डिस्कशन में जो इम्पोर्टेन्ट पोलिसी डिस्कशन है इसमें सदन में प्रजेन्ट रहें और अगर आप अध्यक्ष महोदय, मुनासिब समझें तो इस डिस्कशन को तब तक थोड़ी देर के लिये पोस्टपोन कर दें। पर वे प्रजेन्ट होने चाहिये इस डिस्कशन के अन्दर।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अध्यक्ष महोदय, कल कुछ माननीय सदस्यों ने समय मांगा था कि इस सम्बन्ध में चर्चा की जाये और उसी रिक्वेस्ट पर चीफ मिनिस्टर महोदय ने समय दिया। आज कई सदस्यों ने मिलकर चर्चा की उसके अन्दर मैं भी शरीक था और उसमें दूसरे ऑफिसर्स भी शरीक था। अब जैसा भी होगा वह इस बहस के दौरान में देखने में आयेगा।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** ( सांचोर ) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : आप इस बहस पर बोलना चाहते हैं ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय मैं आपका निर्णय चाहता हूँ। क्या आप मुनासिब नहीं समझते कि मुख्य मन्त्री यहां पर हों ?

**श्री अध्यक्ष** : निर्णय का प्रश्न नहीं है। जैसा आपको विदित है कि मुख्य मन्त्रीजी नेकल स्वयं ने स्वीकार किया था कि सबको सोचने के लिए समय चाहिए और जैसा कि उपमन्त्री जी ने कहा कि सारे निर्णय लेने में समर्थ हैं और सारी बातचीत सुनने के बाद ही कह सकेंगे कि कोई संशोधन स्वीकार होगा या नहीं, इस पर स्वयं निर्णय ले लेंगे। वे स्वयं सरकारी नीतियों से परिचित हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट १५ ए में राजस्थान टीनेन्सी बिल के जरिये इन्ट्रोड्यूस किया गया है, मेरा खयाल है कि विपक्ष की ओर से माननीय सदस्यों को समझने में गलती हुई है। यहां पर जो सेक्शन १५ ए है उसमें अमेंडमेंट करने का प्रावधान है। सेक्शन १५ ए के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें जाहिर की थीं। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, सेक्शन १५ ए तो पहले ही इस विधान सभा द्वारा पास किया जा चुका है। अब जो प्रावधान है वह सिर्फ यह है कि जो दफा १५ ए है उसको फरदर अमेन्ड किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से माननीय सदस्यों ने जो कि प्रोविजो यहां रखा गया है उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की है "Provided that nothing in sub-section (1) shall affect" जो दफा १५ ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में रखी है, पहले जो अमेंडमेंट किया गया उसके जरिये उसमें प्रोवीजो जोड़ा गया है, "Provided that nothing in sub-secion (1) shall affect" तो १५ ए की दफा में फर्स्ट सब-सेक्शन में फर्दर यह एक्सैप्शन जोड़ा गया है कि इन हालातों में अगर कोई काश्तकार साधारण नियमों के अनुसार, सेक्शन १५ ए के अनुसार तो साधारण प्रोवीजन है कि अगर ३ साल

( र. म. प. )

(राव श्री नारायणसिंह, सभापति पदासीन)

तक किसी काश्तकार का जमीन पर कब्जा है

( श्री रघुनाथ बिश्नोई )

तो वह सेक्शन१५ के तहत अपनी एप्लीकेशन देकर खातेदारी हासिल कर सकता है । परन्तु उसमें वह एरिया एक्सक्लूड किया है जो इस प्रोविजो में जोड़ा गया है :

"Provided that nothing in sub-section (1) shall affect or apply to any person to whom khatedari rights shall accrue in accordance with the provisions of the Rajasthan Colonisation (General Colony) Conditions, 1955, or any other Statement of Conditions or Rules of Allotment and Sale of Government lands made in exercise of the power conferred by section 7 of the Rajasthan Colonisation Act, 1954 (Rajasthan Act 27 of 1954) or the rules of lands for khudkasht in the Rajasthan Canal area..."

माननीय सभापति महोदय, जो यह प्रोविजो जोड़ा गया है इसमें जो सेक्शन १५ ए के अन्दर एक्सैप्शन किया गया है उसका पर्टीक्युलर प्रावधान है । साधारणतया जो खातेदारी हासिल करने के प्रोवीजन्स जोड़े गए हैं उनमें उन लोगों का एक्सैप्शस है जिनको कि राजस्थान कैनाल एरिया के अन्दर काश्तकार का जितना साधारण प्रोविजन के मुताबिक कब्जा है उनको खातेदारी हकूक नहीं दिए जायेंगे । उस प्रोवीजन के तहत वह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया उसी का प्रोवीजन इसमें रखा गया है और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को यह ध्यान नहीं था कि यहां १५ ए दफा जो पहले ही अमेन्ड की जा चुकी है अब यहां पर उसका कोई मामला सदन के विचाराधीन नहीं । यहां जो प्रोविजन जोड़ा गया है उसी के बारे में विचार किया जायगा । ऐसे एरिया के लिए खातेदारी हकूक का यह एक्सैप्शन बनाया जाये या नहीं इस बारे में विचार किया जा सकता है । इस सेक्शन के बारे में इतना ही है । उसके अलावा सेक्शन १५ में किस तरह से कैसे होगा यह सदन के विचाराधीन नहीं है । इस प्रोवीजन के तहत यह विचार सरकार कर सकती है कि अमुक काश्तकार का कब्जा पिछले कितने सालों से, राजस्थान कैनाल एरिया के पूर्व काश्तकार कितने सालो से काबिज था उसमें डेट का विचार करें या एक्सैप्शन डाला जाये।यहमा मला अलग है। ऐसे कुछ हार्ड केसेज हों जिनका बहुत पुराना कब्जा है और इस प्रोविजन के द्वारा हिट होते हैं तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है । परन्तु इस प्रोवीजन के अन्दर साधारण तया काश्तकारों पर कोई खास जुल्म हो, यह मुझे मालूम नहीं पड़ता । क्योंकि सरकार करोड़ों रुपया कैनाल एरिया में और कालोनीज में नहर के जरिए उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार पैसा लगाती है तो उस एरिया में सरकार को अपने अधिकार अलाटमेंट के और खातेदारी हकूक के अपने पास रखना जरुरी है ।। उस पर्टिक्युलर एरिया में खातेदारी हकूक दिए जाएं या नहीं, वह सरकार के हक सुरक्षित रखने की बात है । वह इसलिए रखे जाते हैं कि उस एरिया को डवलप करने के लिए सरकार करोड़ों रुपया लगाती है तो वह अधिकार भी उस पर्टीक्यूलर एरिया में सरकार को दिये जायें या नहीं और कितने अर्से के बाद दियें जायें यह हक सरकार के पास रखना निहायत जरुरी है । इसलिए माननीय सभापति महोदय, जो दूसरे पक्ष में

( श्री रघुनाथ बिश्नोई )

बैठने वाले माननीय सदस्यों ने १५ ए में जितने प्रावीजन्स हैं उन सब के बारे में बहस करने की कोशिश की है, मैं इस बारे में अपनी असहमति जाहिर करता हूं और जो भी विचार हों वह इस प्रोविज़ो के तहत हों और मेरे खयाल से इस में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें कि इन शर्तों के आधार पर अगर जमीन सिंचाई के नीचे आई है उसमें कितने साल तक खातेदारी नहीं दी जानी चाहिए, उस बारे में ही इस पर विचार होगा और इस प्रावीजन के तहत कोई ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती है कि जिसके कारण से किसानों को हार्डशिप होती हो क्योंकि जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ होने के बाद उनको बहुत ज्यादा यील्ड मिलने वाली है और जहां तक खातेदारी देने या नहीं देने का प्रश्न है, वह तो जिस भूमि पर जो काबिज है उसको कब्जा छोड़ने का प्रश्न नहीं है। और वह बराबर काबिज़ रहेंगे और जो रेंट्स सरकार निर्धारित करेगी वह अपना लगान देते रहेंगे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, यह जो १५ ए के तहत प्रोवीजो जोड़ा गया है उसमें कुछ पुराने कब्जे के हार्ड केसेज हों उनको मद्देनजर रखते हुए किया है। बाकी ऐसी बात नजर नहीं आती है कि काश्तकार के खिलाफ कोई बड़ा भारी जुल्म होता हो। वह ऐसा प्रावीजन नहीं है। इस लिए यह जो संशोधन है यह पास किया जाना चाहिये।

**श्री सतीशकुमार** (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान टीनेन्सी एक्ट आज से करीब ७ साल पहले बनाया गया था। इस टीनेन्सी एक्ट के बनने के बाद या इससे कुछ पहले भी हमारी सरकार ने राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में ढिंढोरा पीटा था बहुत जबरदस्त कि हमने बहुत प्रोग्रेसिव कानून बनाया है, मैं इसको खिलाफत नही करता हूं। यह बात सही है कि काश्तकारी के संबंध में बहुत प्रोग्रेसिव कानून हमारी सरकार ने बनाये थे जो कि अन्य प्रान्तों में नहीं बने थे। लेकिन जब हम एक तरफ यह देखते हैं कि कौन से नये वजूहात सरकार के सामने आये जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अभी संशोधन प्रस्ताव रखते समय बताया था कि एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से छीनते हैं और छीनते भी इस तरह से हैं कि अगर कोई रोता है कि क्यों छीनते हो तो उसको रोने भी नहीं देते।

मैं यह बताना चाहूँगा कि इसको आप प्रोग्रेसिव कानून किन वजूहातों से कहते हैं ? इसलिए कहते हैं कि जो काश्तकार काश्त करता है उसको मुकम्मल हक़ूक मिले। अगर आप उसको यह भरोसा नहीं देंगें इस बात का कि वह जमीन पर काबिज रहेगा तो उसको उस जमीन से प्रेम पैदा नहीं होगा और वह उस पर अच्छी तरह से काश्त नहीं करेगा। उसकी कीमत नहीं बढ़ायेगा। यह वजूहात औरतमाम राजस्थान की जमीनों के लिए थे उन वजूहात को देखकर ही दफा १५ रखी गई थी कि कोई काश्तकार बेदखल नहीं होगा। कहीं पर नहर आती है, नये नये रास्ते पानी के निकलने वाले होते हैं वहां पर क्या अन्य काश्तकार का प्रेम जमीन से पैदा नहीं होने देना चाहते हैं, काश्तकारों के लिए यह एक बड़ी अजीब हालत है। इसलिए मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुए इन हालत को रखना चाहता हूं कि जो वजूहात बाकी की

( श्री सतीशकुमार )

जमीनों के बारे में थे कि जिस काश्तकार को जमीन से प्रेम हो उसको भरोसा हो उसे जमीन से नहीं हटायेंगे, उससे ज्यादा वजूहात नहरी जमीन और जो प्रोजेक्ट की जमीन है जिन पर नये हालात पैदा करते हैं, जहां ज्यादा पैदावार करना चाहते हैं, जहां मामूली पड़त हैं वहां काश्तकार को यह भरोसा नहीं होगा कि वह जमीन पर टिक नहीं सकेगा तो मैं समझता हूं कि न तो उसकी वह कीमत बढ़ा पायेंगे, न भरोसे के साथ काश्त करेंगे और न पैदावार बढ़ायेंगे। इस हालत में इस संशोधन का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य रामानन्दजी ने जो संशोधन रखा है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उस संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

जहां कि दफा १५ कृषकों को खातेदारी हकूक देता है वहां पर कुछ योजनाओं के क्षेत्र में यह कृषकों को खातेदारी राइट्स से महरूम करता है। भाखरा क्षेत्र के अन्दर सैकड़ों साल से किसान बारानी धरती पर बैठे हुए हैं, इस योजना के आने से पहले उनकी कांटों भरी जिन्दगी थी....

**श्रीरामप्रसाद लढ्ढा** (उप-मंत्री, राजस्व): This provision is about Rajasthan Canal.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : राजस्थान कैनाल क्षेत्र में इससे भी बुरा हाल है । ऐसी ही अवस्था थी और अब भी है। राजस्थान कैनाल की नान पेरीनियल ब्रांचों के अन्दर पानी आया है और वह भी बहुत थोड़े से इलाके के अन्दर फैली हुई हैं और वह भी थोड़े से समय के लिए । लेकिन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर १०-१०, २०-२० मील से किसान पानी लाता है और जीवित है। एक ही आसरे में उस मरुभूमि को लेकर वह किसान बैठा रहा और वह आकाश की तरफ देखता रहा कि कुछ बूंदे पानी की पड़ेंगी तो बारानी खेती होगी। पशुधन ही उसके जीने का एक आसरा रहा है। आज जब उन क्षेत्रों के अन्दर ये योजनाएं बन रही हैं, जो उनकी जिन्दगी में आशा की एक किरण ला रही है, उनको खातेदारी राइट्स से महरूम रखना और इस आधार पर महरूम रखना कि इन योजनाओं के लिए पैसा चाहिये, उनके साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय होगा।

इन योजनाओं के सम्बन्ध में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर आप गंगानगर क्षेत्र की योजना की तरफ ध्यान दें तो वह योजना सिर्फ वाटर रेट्स का आधा करोड़ रुपया देती है जबकि इसके लिए सिर्फ १,२५,०००) रु० मेन्टीनेन्स चार्जेज के हैं जिसके अन्दर ब्रिल्डिंग खर्च भी शामिल हैं। १,२५,००० रु० वर्ष भर में सरकार गंग कैनाल की ९१० फीडर्स पर और नहरों पर खर्च करती है और जिसके रिटर्न में उसको आधा करोड़ से अधिक रुपया प्राप्त होता है। अन्दाजा लगाइये कि अगर राजस्थान कैनाल के क्षेत्र के अन्दर पानी की सिंचाई शुरू होगी, जहां जनता को राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी, उनकी जिन्दगी के अन्दर आशा की किरण आयेगी, एक नया उत्साह पैदा होगा निर्माण के लिए, अधिक अन्न पैदा होगा, देश के

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

लिए अधिक अन्न पैदा होगा वहां पर 'वाटर रेट्स, रेवेन्यू चार्जेज को छोड़ दें, सरकार को प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त अगर इन योजनाओं का कार्य देखिये तो मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूँ कि अगर ईमानदारी से योजनाओं को चलाया जाय तो '५० प्रतिशत पैसा बचाया जा सकता है। माननीय मंत्रीगण मेरे साथ इस समय चलें तो मैं सूरतगढ़ के अन्दर ब्लेक हुए सीमेंट की हजारों की तादाद में बोरियां दिला सकता हूँ, वहां के गोदामों से दिला सकता हूँ। गंगानगर में एक माननीय मंत्री का सिनेमाघर इस राजस्थान के सीमेंट से निर्मित हो रहा है। अगर सही और ईमानदारी से निर्माण-कार्यों को देखा जाय तो आधा खर्चा निर्माण-कार्यों पर निश्चित रूप से बचाया जा सकता है और आज इस तरह सब किसानों को उनके खातेदारी हकूकों पर डाका डालने से बचाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त जो मुआवजों की रकमें सरकार ने दी हैं अगर इस मुआवजे की रकम को रोक लिया जाय तो काफी आमदनी सरकार को हो सकती है। इसके अलावा केवल एक कारण से इस धरती के ऊपर खातेदारी हकूक नहीं देना चाहते हैं। वह कारण यह है कि सरकार इस धरती को नीलाम करना चाहती है और इस धरती के नीलाम से सरकार पैसा प्राप्त करना चाहती है। भाखरा क्षेत्र में इसकी मिसाल मौजूद है। सरकार को पैसा प्राप्त हुआ है ।(१,५०,०८,०००) रु० की धरती वहां पर नीलाम की गई है। २१ हजार दरख्वास्तें भूमिहीन कृषकों की थी उनको ठुकरा कर केवल २५०० दरख्वास्तों पर गौर किया गया है। ६१-६२ में १,७५, ००,०००) रु० की और ६२-६३ में २५ लाख रुपये की धरती अधिक निलाम करने की बात है। सरकार को जब धनराशि प्राप्त हो सकती है तो केवल इस धरती को नीलाम करने के लिए सरकार इतना अन्याय क्यों कर रही है। इस धरती के सम्बन्ध में कुछ जबानें हैं जो कि देश के महान नेताओं ने देश के किसानों को की हैं और लगातार की है, रावि के किनारे की हैं, १९२३ में की है, शासन सम्हालने से पहले की है कि धरती किसान की है। जहां तक जबान की है कि किसान के हल चलाते हुए उसके बीच में जो बूड रहता है उसका मुआमला अधिक लगता है। सरकार आज उन जबानों को भूलती है। कोई कारण समझ में नहीं आता कि कोई कानून इस तरह का बनाया जाय और उन कानूनी एरिया के लोगों को यह अधिकार नहीं दिये जायं कि उनको खातेदारी राइट्स मिलें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूँ।

**श्री सभापति** (राव श्रीनारायणसिंह) : Will the Hon'ble Minister reply to the debate ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ( उपमंत्री, राजस्व ) : चेयरमेन महोदय, अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने दो बातें चाही हैं, जो इस बिल के जरिये प्रस्तावित किया गया है उसमें ३० दिसम्बर, १९६१ लिखा हुआ है और इस तारीख से ये प्रोविजन लागू होंगे। यह बात बतलाई गई है....

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : मेरे खयाल से इस क्लॉज में दूसरे माननीय सदस्यों के संशोधन हैं, वे भी मूव कर दें तो जवाब एक साथ हो जावे ।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : वे ड्रॉप हो गये हैं । लेकिन जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है....

**श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, मेरा एक अमैन्डमेन्ट बाकी रह गया है । १५ (१) में ।

**श्री सभापति** : Well, the Hon'ble Member was not present when this clause was taken up.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : (रायसिंह नगर) : अभी बहुत बाकी हैं, मैंने भी एक रखा है ।

**श्री सभापति** : यहां की परम्परा है कि आप मौजूद नहीं थे, इसलिये नहीं लिया जा सका ।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा**: On this clause you have got only one amendment.

३० दिसम्बर, १९६१ से ऑर्डिनेन्स लागू है उसके बजाय जो प्रस्ताव है उसमें डिलीट करने की प्रार्थना की गई हैं । इसका मतलब कि जो प्रावधान इस बिल के जरिये या संशोधन के जरिये चाहते हैं वे लागू होते हैं उस तारीख से जिस तारीख से टीनेन्सी कानून फोर्स में आया । इसका मतलब यह कि जो प्रावधान माननीय सदस्य चाहते हैं, जिस प्रावधान को हमने बिल में प्रस्तावित किया है उसका असर १५ अक्टूबर, १९५५ से हो ।

दूसरा जो संशोधन पेश किया गया है उसमें यह है कि एक प्रोविजो इस प्रकार का और जोड़ा जाय जिसमें वे काश्तकार जमीन पर काबिज इस एरिया में ५ वर्षों से हैं उनको भी खातेदारी राइट्स एक्रू हो जाएं । ये दो तरह के संशोधन माननीय सदस्य के हैं ।

अब सवाल यह है कि उनको स्वीकार स्वीकार किया जाय या नहीं । इनका प्रस्तावित कानून पर क्या असर पड़ता है और किस उद्देश्य और नीयत से यह जो प्रोविजो बढ़ा दिया है क्या उस मंशा और उद्देश्य की पूर्ती इन संशोधनों से होती है या नहीं । यदि नहीं होती है तो ये स्वीकार करने योग्य नहीं ठहरते ।

जैसा कि आपने देखा होगा, जहां तक खातेदारी राइट्स का सवाल है, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से संशोधन की आवश्यकता हुई । जैसा कि मैंने कल बतलाया था, दफा १५ में खातेदारी राइट्स कन्फर करने का प्रावधान उसकी तहत भाखरा प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट, जवाई और अन्य प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में जो जमीन टेम्पोरेरी बेसिस पर दी जाय उनको खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं होंगे, ऐसा प्रावधान था दफा १५ में । राजस्थान केनाल के संबन्ध में नहीं था । इसलिये १९५८ में १५ ए जोड़ दिया गया । १५ ए की इबारत १५ की तहत है लेकिन उससे अधिक सख्त है वह यह कि किसी तरह का टाइटल, पट्टा या लीज है उसको भी खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं हो सकते । इस वजह से यह संशोधन बिल के जरिये

( श्री रामप्रसाद लढ्ढा )

लाया जा रहा है। जो जमीन इस ऑर्डिनेन्स के लागू होने की तारीख के बाद से यानि ३० दिसम्बर, १९६१ के बाद से खातेदारी राइट्स किस को एक्रू होंगे, उसका प्रोविजन है। पहले का प्रोविजो नहीं है। पहले के केसेज के लिये जिस का सैकड़ों वर्षों से कब्जा चला आ रहा है आया उनको परमानेन्ट राइट्स टीनेन्सी के होंगे या नहीं उसके बारे में अलग निवेदन करूंगा। लेकिन जो प्रोविजो इस बिल के जरिये बढ़ाने का रखा है वह प्रोविजो केवल इस ऑर्डिनेन्स के लागू होने की तारीख के बाद से है। यानी इस ऑर्डिनेन्स के लागू होने के बाद खातेदारी राइटस किसको एक्रू होंगे वह यहां बताया है। कोलोनाइजेशन एक्ट १९५५, की तहत कोलोनाइजेशन एरिया में खातेदारी राइट्स कन्फर करता है, उसके जरिये एलॉटमेन्ट होता है, चाहे ऑक्शन से हो या और किसी तरह से हो और वह भी एक्स सर्विसमेन को हो चाहे और किसी को हो. मोडरेट वेल्यू पर हो या और किसी तरीके से हो, सारी कंडीशन्स मोडर्न एक्ट के अंडर में १९५५ में बना है उसकी तहत जो भूमि एलोट की जाय, सेल की जाय उनको भी खातेदारी राइट्स एक्रू हैं उनके लिये जोड़ा गया है। इसकी तहत अब तक जमीन वहां दी गई, ३० दिसम्बर ६१ के बाद आने वाली जमीन पर खरीददार, एलोटीज या लेने वालों को खातेदारी राइट्स एक्रू होंगे और दूसरा जागीर रिजम्पशन एक्ट की धारा ४० की तहत उन जागीरदारों को खुदकाश्त की जमीन देने का प्रावधान है उसकी तहत दी गई जमीन में, इसलिये दो चीजों के लिये प्रोविजो रखा गया है और इसलिये ३१ दिसम्बर, १९६१ के बाद होने वाले ट्रान्जेक्शन पर लागू होता है।

अब माननीय सदस्य की तरमीम मानली जाय तो दो कारणों से इसके विरुद्ध पड़ता है। पहला कारण यह है कि वे चाहते हैं कि वर्षों से जिनका कब्जा है उनको राइट्स दिये जायं। राजस्थान केनाल का १५ ए से है और जो १५ ए दफा है उसका यह प्रोविजो है। मीन्स इस प्रोविजो की तहत जो खातेदारी राइट्स एक्रू होंगे वे राजस्थान केनाल एरिया में भी होंगे। अब यदि आपकी दलील मानलें तो उन एरियाज में क्या होगा जो चंबल कोलोनाइजेशन के अन्तर्गत हैं या जवाई कोलोनाइजेशन या भाखरा कोलोना-इजेशन में रहते हैं। उनके लिये क्या होगा? इसलिये यह इन्कन्सिस्टेन्ट है। इसका प्रोविजन जो सेक्शन १५ सब-सेक्शन (१) का प्रोविजो दिया है उससे इन्कन्सिस्टेन्ट है। हम चाहते हैं कि सब प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाय। एक तरफ एक तरह का अधिकार हो और दूसरी जगह दूसरी तरह का हो यह संभव नहीं है, इक्वीटेबल और नेचुरल जस्टिस नहीं है।

अब रहा सवाल यह कि माननीय सदस्य ने ५ साल के कब्जे की बात बताई। ऑर्डि-नेन्स लागू हुआ उस तारीख के बाद का इसमें जाता है। अब इस ऑर्डिनेन्स के लागू होने से पहलेवाले पजेशन्स के बारे में क्या हो, यह अपना सुझाव दिया। उनके सुझाव को कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि १५ ए. के सब-सेक्शन (२) को मुलाहिजा करें तो मालूम होगा कि यदि किसी आदमी का इस प्रोजेक्ट एरिया में मुस्तकिल कब्जा चला आ रहा है, परमानेन्ट टीनेन्ट

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

है, खातेदारी राइट होना चाहिये और १५ ए उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ऐसा दावा है, क्लेम है तो १५ ए के सब-सेक्शन (२) की तहत निर्णय कर सकते हैं। सरकार ने परमानेन्ट टीनेन्ट के राइट्स का दरवाजा बन्द नहीं किया है, हमेशा खुला है और उसमें मियाद दी है चार वर्ष की। उसके भीतर परमानेन्ट राइट्स असिस्टेन्ट कलेक्टर के यहां दरख्वास्त देकर, यदि डिस्प्यूटेड है तो फैसला करवा सकता है। इसलिये जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि इस तरमीम से जो कुछ दिया गया वह वापिस ले लिया गया, यह गलत है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि समाजवाद का दरवाजा बन्द कर दिया और कराची रिजोल्यूशन की चर्चा की। मैं कहता हूँ कि जिस रिजोल्यूशन की चर्चा की जाती है उसके इम्पलीमेंटेशन में ही सारा कार्यक्रम, भूमि सुधार का कार्यक्रम शृंखलाबद्ध एक के बाद एक चला आ रहा है और यह समाजवाद की ओर एक कदम है।

टीनेन्ट्स के राइट्स का जो रास्ता बन्द कर दिया गया था वह इस प्रोविजो के जरिये खोला है। इसलिए न तो समाजवाद का रास्ता बन्द किया है और न कराची रिजोल्यूशन की अवहेलना की है जिससे कि किसानों के साथ कुठाराघात हो। किसान को जमीन से बेदखल करने की बात कही गई उसका भी सवाल पैदा नहीं होता। जो जमीन किसान के कब्जे में है और वह समझता है कि उसकी परमानेन्ट टीनेन्सी है तो उसको १५ ए की तहत एस्टेब्लिश करते हैं। जब एस्टेब्लिश होता है तो सरकार के सामने प्रश्न नहीं रहता है। सरकार के सामने यह प्रश्न तो तब आता है जब वह परमानेन्ट टीनेन्ट नहीं हो। उसका राइट उस प्रोपर्टी पर उस तरह से न हो जो १५ ए (२) में दिया गया है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : अगर परमानेन्ट टीनेन्ट न हो और उसकी परमानेन्ट टीनेन्ट की पोजीशन न हो तो क्या होगा ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : धारा १५ ए (२) को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि अगर कोई काश्तकार यह समझता है कि इस पर मेरा अधिकार है तो वह कॉम्पीटेन्ट कोर्ट में जाकर अपना फैसला करवा सकता है, according to rules and procedure of law prevalent in the State. कोर्ट इस बात का फैसला करेगी और घोषणा करेगी और उसके बाद जब फैसला उसके हक में हो जावेगा तो १५ ए के प्रोविज़ो का कोई असर नहीं होगा।

एक बात माननीय सदस्य को और याद रखनी चाहिये कि हम इस बात को उठावें और उस पर बहस करें उसमें यह देखना है कि यह scope of the Bill में आती है या नहीं कि जो बात १५ ए में है उसको बदलने की। १५ ए (२) को बदलने या एमेंड करने के बारे में कोई बात हमारे स्कोप में नहीं होने से उसमें कोई एमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। जो संशोधन गवर्नमेंट की ओर से रखा गया है १५(१) (१), सब-सेक्शन (१) रखा गया है वह उचित है या नहीं, इसमें आपको क्या एतराज है इस पर बहस हो सकती है। मेरा यह निवेदन है कि जो संशोधन चाहा गया है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पांच

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

वर्ष की अवधि पर, इस संशोधन को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। और यह डिस्क्रिमिनेटरी होता है ! इस तरह का प्रावधान १५(१) के प्रोविजन में नहीं है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : Do you agree with the spirit of the amendments ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : There is no question of agreeing with the spirit, The question is whether the Government is prepared to accept the amendment or not? In the circumstances narrated by me I feel they cannot be accepted.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सभापति महोदय,............

**श्री सभापति** : आप संक्षेप में ही कहिये कि आप इसको विड्रॉ करते हैं या प्रेस करते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सभापति महोदय, जो माननीय मन्त्री ने इस संशोधन की बहस पर उत्तर देते हुए जो तर्क दिये हैं उसमें दो मुख्य बातें कही हैं। एक बात तो यह कही गई कि यह संशोधन हमने रखा है वह इस सरकारी संशोधन के स्कोप के अन्दर नहीं है। तो यह दलील तो उस समय खत्म हो जाती है जब हमारा यह एमेंडमेंट हमारे अध्यक्ष द्वारा एडमिट कर लिया गया और बहस में उपस्थित कर लिया गया।

दूसरा तर्क जो दिया गया है, वह एक तो यह कि धारा १५ ए केवल राजस्थान नहरी क्षेत्र के लिये एप्लीकेबल है। इसलिए ५ वर्षों के कब्जेवाले किसानों को राजस्थान नहरी क्षेत्र में खातेदारी अधिकार दे दिये जावेंगे तो चम्बल क्षेत्र और भाखरा क्षेत्र में उसी प्रकार के किसानों के साथ एक डिस्क्रीमिनेट्री ट्रीटमेंट होगा। तो मेरा यह निवेदन है कि यदि सरकार इस उसूल को मानने के लिये तैयार है कि नहरी क्षेत्र में चाहे राजस्थान नहर का हो, चाहे भाखरा का हो, चाहे और गांव वाला नहरी क्षेत्र का इलाका हो उसमें विकास होने के कारण सरकार उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं करे। यह उसूल मानले तो फिर रास्ता निकालना आसान है। तो या तो सदन इसे स्वीकार करें जिससे दूसरी धारा १५(ए) जोड़ी जा सकती है और दूसरा इसमें भी उसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है जिसका असर चम्बल और भाखरा क्षेत्र के किसानों पर हो और उनको भी उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त हो सकें। इसलिये सरकार को अपना दिमाग इस बारे में बनाना चाहिये था और मैं इसलिये यह जानना चाहता था कि क्या सरकार इन उसूलों को स्वीकार करने के लिये तैयार है कि प्रोजेक्ट एरियाज हैं उनमें एक पर्टीकुलर एरीया में परमानेन्ट पजेशन होने पर, जिस प्रकार दूसरे क्षेत्रों में खातेदारी हक्क धारा १५ की तहत देते हैं, देने को तैयार है या नहीं। जहां तक मैं सरकार के जवाब से समझ पाया हूँ इस बुनियादी सवाल का उत्तर निगेटिव में है और राजस्थान सरकार चाहे वह राजस्थान केनाल का क्षेत्र है, चाहे भाखरा का क्षेत्र हैं, किसी में भी इस प्रकार का अधिकार देने को तैयार नहीं है। यह दलील माननीय मन्त्री महोदय की कि राजस्थान नहरी

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

क्षेत्र में सुविधा देने से यह डिस्क्रिमिनेशन हो जावेगा, उचित नहीं है। अगर वे सुविधा देना चाहें तो रास्ता वे भी निकाल सकते हैं और हम भी निकाल सकते हैं।

दूसरी बात यह कही कि धारा १५ ए (२) में इस प्रकार का प्रोविजन है और जो लोग अपना परमानेन्ट क्लेम करते हैं वे कोर्ट में जाकर डिक्लेरेटरी सूट दायर करके खातेदारी राइट डिक्लेअर करा लें। मैं यह कहूँगा कि यह केवल किसानों की आंखों में धूल झोंकने की बात है। सरकार जानती है कि बीकानेर में पुरानी रियासत थी उस समय जिन किसानों ने बाकायदा दावा करके खातेदारी डिक्लेयर नहीं करा ली उनको खातेदारी नहीं मिल सकी और जिन लोगों ने उस वक्त खातेदारी नहीं प्राप्त की वे कानून की निगाहों में खातेदार नहीं माने जाते हैं। मिसाल के तौर पर अलवर और भरतपुर को लें। दोनों में अलग अलग नियम थे। अलवर में जो १२ वर्ष से काश्तकार होता था वह इप्सो फेक्टो खातेदार बन जाता था। लेकिन भरतपुर में यह बात नहीं थी। इसलिये चाहे कितने ही वर्षों तक यह काश्तकार काश्त करता रहे, जब तक वह खातेदारी की डिग्री न ले ले तब तक खातेदार नहीं कहा जा सकता। चाहे वह १०० वर्षों से काश्त करने वाला किसान भी हो; फिर भी वह गैर मौरुसी माना जावेगा।

इसी तरह से इन कानूनों के तहत जिसका जिक्र माननीय मन्त्री महोदय ने १५ ए (२) में किया है इस दकियानूसी कानून का फायदा उन किसानों को नहीं मिल सकता। अगर जोधपुर या जयपुर स्टेट होती तो उनको इस प्रकार की सुविधाएं दी जा सकती थीं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पुराने काश्तकारों को धारा १५ ए (२) के जरिये वे सुविधाएं नहीं मिलती जो मिलनी चाहिये।

दर असल निर्णय करने का प्रश्न सदन के सामने यह है कि आया जो लोग ५ वर्षों से लगातार काबिज हों....

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : (उप-मंत्री, राजस्व) : चाहे उनका टेम्परेरी पजेशन भी हो ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : धारा में हमने कहा है कि १५ अक्टोबर, १९५५ को जिनका कब्जा हो, चाहे वह टेम्परेरी हो तो भी हमने उनको खातेदार माना है। तो १५ (१) में मैंने जो संशोधन किया है और सरकार की भावना से थोड़ा बहुत कम्प्रोमाइज करके मैंने ५ वर्षों का समय रख दिया। पांच वर्ष से कम वालों को भी मिल जाता है। गवर्नमेंट की स्प्रिट को देखते हुए हमने थोड़ा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : टीनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद यदि किसी ने कब्जा कर लिया हो तो ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कमेन्समेंट से पहले। यह कानून ५५ में बनाया गया और अब ६२ है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : (कोलायत) ५० से ५५ तक जिनका कब्जा है उनको खातेदारी राइट्स दिये जावें।

# Page No. 68



**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** यह तो परमानेन्ट के लिये है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** जब से कानून लागू होगा तभी से असर पड़ेगा। घोषित बात को सरकार को तय करना है। इससे सभी किसानों को नुकसान होगा। इसलिये सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो राय जाहिर की है उसके अनुसार पुराने काश्तकारों को १५ ए (२) की तहत खातेदारी हकूकों को प्राप्त करने के लिये कानून की शरण भी प्राप्त नहीं कर सकते और नई धारा फिजूल है जिससे किसानों को राहत नहीं मिल सकती है। अगर सरकार को पुराने काश्तकारों को प्रोटेक्ट करना है और सरकार यह चाहती है कि वे लोग अपने आप को बदकिस्मत न कहें कि हम कितने बदकिस्मत हैं जो ऐसी जगह बसे हैं जहां नहर आई और गालियें देने लगे कि यह कम्बख्त ऐसी नहर आई, ऐसी चीज हुई कि जिसने हमसे हमारे खातेदारी राइट्स हमेशा के लिये छीन लिये। ऐसा प्रावधान हमारे कानून में नहीं बनना चाहिये। इसलिये मैं अपने संशोधन पर यही कहता हूं कि इस पर मतदान होना चाहिये और मैं फिर गवर्नमेंट से यह निवेदन करूंगा कि इस तरह का आश्वासन दे। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के किसानों को खातेदारी राइट्स हमें देना चाहिये और सही ढंग से किस तरह से इसको लागू किया जा सकता है इस बात पर सरकार विचार करे तो कोई बात हो सकती है। लेकिन पहले उसूलों को स्वीकार करें कि नहरी क्षेत्र में पुराने काश्तकार हैं उनको खातेदारी राइट्स से वंचित नहीं करेंगे और जिनको किया है उनको उनके हकूक वापिस देंगे।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री):** इन्टरप्शन के लिये क्षमा करें, बीच में कुछ कह दूं तो। मैं समझता हूं कि उसूल की बात है। सदन में बात की, केनाल एरियाज में खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं है उसके लिये ये क्लॉज़ ४ रखे हैं। इसका कारण समझ लेना आवश्यक है। राजस्थान नहर के कमान्ड एरिया में जो क्षेत्र आते हैं, बहुत से और आगे आते हुए चले जायेंगे उसमें एक प्रकार से कई जगह तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, होल्डिंग तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच बीघा की काश्त लोग करते चले आ रहे थे। जिनको खातेदारी राइट्स थी वे डिस्टर्ब हुई। आज प्रोजेक्ट की वजह से जमीनों की कीमत, जो पहले कल्टिवेशन करते थे उस वक्त में और आज में जमीन आसमान का अन्तर पड़ गया, यह कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा।

मैं माननीय सदस्य की इस भावना को समझता हूं कि वे समझते हैं, राजस्थान नहर में कोई २५ साल से काश्त कर रहा है, उसको बेदखल करके, अलॉटमेंट के रूल्स बनें, उसको मौका नहीं दिया जाय कि उसको उस क्षेत्र से ढकेल दिया जाय। आज तो आप कहते हैं, उसको वजन वाली बात मान कर चल सकता हूं पर जितनी जमीन पर जिसका कब्जा है उस पर उसका खातेदारी राइट मान लेने से, जिस जमाने में उस जमीन की नहीं के बराबर कीमत थी, जब लोगों ने सुना कि राजस्थान नहर आने वाली है तो कई मिसालें हैं कि जागीर रिज़म्प्शन के वक्त सैकड़ों, हजारों बीघा पर अपना नाम दर्ज करा दिया। गवर्नमेंट को लाखों, करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा, अगर

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

गहराई से देख कर ठीक हल नहीं निकाला। हमारा मतलब यह नहीं कि ५० साल से किसान खेती करता चला आ रहा है उसकी रोजीका जरिया न रहे। पर इसका तरीका निकालना होगा। यह जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वह सारा केनाल के प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। इसका लाभ किसको, किस तरह मिल रहा है, इस प्रश्न को गहराई से देखने की आवश्यकता है न कि ब्लैंकेट लॉ से मान लें कि जो काश्त करते थे उनको खातेदारी राइट्स दे दिये जायं। इससे सरकार को नुकसान होगा और जिनको रिलीफ दिलाना चाहते हैं वह उनको नहीं मिल कर उनके अलावा दूसरे लोगों को मिलेगा। भाखरा में जो ऐसे थे, टेम्परेरी काश्तकार थे उनको सर्टेन परसेंटेज फिक्स करके, १०० एकड़ जमीन पहले थी तो उनको कुछ जमीन देकर हजारों टेम्परेरी कल्टीवेटर्स को भी जमीनें दी है, यह सामने नहीं रखा गया कि उनको खातेदारी राइट्स नहीं हैं इस लिये बेदखल कर दिया जाय।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : मैं बतादूं कि उन्हें अब वहां से खदेड़ा जा रहा है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह मैं नहीं जानता पर टेम्परेरी कल्टिवेटर्स को जमीनें देनी हैं, यह फैसला जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था उस वक्त किया गया। जो शख्स पुराने हैं उनको खातेदारी राइट्स नहीं होते हुए भी जमीनें दी गई हैं।

कितनी जमीन दें, कितनी इर्रिगेटेड लैंड मिले, ये सब सोचने की बातें हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि जिनके लम्बे अर्से से, लम्बे समय से अधिकार चलते आ रहे हैं उनको बेदखल करके वहां से हटा देने की सरकार की भावना नहीं है। तो यह धारा लाना आवश्यक है। इसके लिये भावना है कि जहां जमीनें अलॉट की जा रही हैं वहां किसी को खातेदारी राइट्स हैं पहले से वे तो हैं ही पर जिनको खातेदारी राइट्स नहीं हैं और लम्बे अर्से से काश्त करते हैं तो उनको भी जमीनें दी जायेंगी।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं इस संबंध में इन्फार्मेशन चाहता हूं। राजस्थान नहर के इलाके के किसानों के लिये जिनका कब्जा टीनेन्सी एक्ट लागू होने के पहले से है उनके लिये क्या सरकार कोई कमेटी या कमीशन मुकर्रर करना आवश्यक समझती है, जो परसेंटेज बताये कि ३०० बीघा जमीन यदि किसी के पास पहले थी तो उसको कितने बीघा तक जमीन दे देनी चाहिये ? क्या इस प्रकार की कमेटी या कमीशन सरकार ने मुकर्रर किया है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जिनका लॉ फुल पजेशन चलता आ रहा है, एक्च्युअल पजेशन चलता आ रहा है, उन्हें बेदखल नहीं करके, उन्हें अवश्य प्राप्त हो, इस पर सरकार विचार करेगी।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक के खण्ड २ में प्रस्तुत हुआ है, उसको स्वीकार किया जाय ?

( मतदान के पश्चात )

ना पक्ष जीता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : we claim a division, Sir.

# Page No. 70



(मत विभाजन-सूचक घंटी)

(३.० म० प०)

**श्री सभापति** : I will again put up the question .

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक के खंड २ में रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(मत-दान के पश्चात् )

'Noes' have it.

**राजा श्री मानसिंह** ( डीग ) : 'Ayes' have it.

**श्री सभापति** : 'ना पक्ष' जीता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : We want to have division, please.

**श्री सभापति** : Now the Hon'ble Members will go to the respective lobbies. 'Ayes' will go to 'Ayes' gallery and 'Noes' to 'Noes' gallery.

(माननीय सदस्यों के दीर्घाओं में प्रवेश करते समय)

**एक माननीय सदस्य** : बाद में आ रहे हैं उनको तो रोकिये।

(लॉबीज़ में प्रस्थान)

( ३.०५ म० प० )

**श्री सभापति** : मतदान का नतीजा इस प्रकार से हैं।

'हां पक्ष' ५३ 'ना पक्ष' ७६

'हां पक्ष' एवं 'ना पक्ष' सदस्यों की सूची :

**हाँ पक्ष**

१. श्री अब्दुलजब्बार
२. श्री अभयसिंह
३. श्री अमरसिंह (दूदू)
४. श्री बालचन्द
५. श्री चौथू
६. श्री छत्रसिंह
७. श्री चोसरसिंह बाबेल
८. श्री दयाचन्द
६. श्री दिग्विजयसिंह
१०. श्री डूंगाराम
११. श्री फतेहसिंह
१२. श्री गंगासिंह (जायल)
१३. श्री गोपीलाल
१४. श्री गोविन्दसहाय
१५. श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)
१६. श्री हरिराम (तिजारा)
१७. श्री हरिशंकर
१८. श्री हीरा
१६. श्री जयलाल
२०. श्री जयनारायण
२१. श्री जीवराज
२२. श्री केदारनाथ
२३. श्री केसरीसिंह (पाली)
२४. श्री कुमारानन्द
२५. श्री लक्ष्मणप्रसाद
२६. श्री ललितमोहन
२७. श्री लक्ष्मीचन्द

२८. श्री मानिकचन्द सुराणां
२६. राजा श्री मानसिंह (डीग)
३०. श्री मथुरेशबिहारी
३१. श्री मावा
३२. श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़)
३३. श्री मूलचन्द
३४. श्री मुकुटबिहारीलाल
३५. श्री मुरलीधर व्यास
३६. श्री नाना
३७. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
३८. श्री राधाकृष्ण
३६. श्री रामानन्द अग्रवाल
४०. श्री रामसहाय
४१. श्री सागरमल
४२. श्री सतीशकुमार शर्मा
४३. श्री शिवनारायण छाछिया
४४. श्री शिवराम
४५. श्री श्योपतसिंह
४६. श्री सोभागसिंह
४७. श्री स्वरूपसिंह
४८. श्री उदयलाल
४६. श्री उमरावसिंह
५०. श्री विजयपाल
५१. श्री विजयसिंह
५२. श्री विट्ठल
५३. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

**ना पक्ष**

१. श्री अलदाराम
२. श्री आनन्दसिंह कछवाहा
३. श्री बालकृष्ण
४. श्री बालूराम
५. श्री बरकतुल्लाखां
६. श्री भगराज
७. श्री भवानीशंकर नन्दवाना
८. श्री भीखाभाई
६. श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
१०. श्री भीमसेन
११. श्री ब्रजसुन्दर
१२. श्री चन्दनमल वैद
१३. श्री चतरभुज उपाध्याय
१४. श्री छोटू
१५. श्री छुट्टनलाल
१६. श्री दलपतसिंह
१७. श्री दौलतराम सारण
१८. श्री देवेन्द्रकुमार
१६. श्री देवीलाल
२०. श्री धरमाराम
२१. श्री दीनेशराय
२२. श्री गनेशलाल
२३. श्री गंगाराय
२४. श्री गंगासिंह (हिंडोली)
२५. श्री गणपतिलाल
२६. श्रीमती गोरी पूनिया
२७. श्री घासीराम यादव
२८. श्री गिरधारीलाल
२६. श्री गोकुलचन्द

३०. श्री गोकुलप्रसाद
३१. श्री गोविन्दसिंह (पीरावा)
३२. श्री ज्ञानचन्द
३३. श्री हनुमानसिंह
३४. श्री हरिभाऊ उपाध्याय
३५. श्री हरिदेव जोशी
३६. श्री हरिकिशन
३७. श्री हरिप्रसाद (मन्डावर)
३८. श्री हरिराम (सिवाना)
३९. श्री हरिश्चन्द्र
४०. श्री हरलाल
४१. श्री जगनसिंह
४२. श्री जयकृष्ण
४३. श्री जेठमल
४४. श्री जुझारसिंह
४५. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
४६. श्रीमती कमला देवी
४७. श्री काना
४८. श्री केसरीसिंह (खारची)
४९. श्री किशनसिंह
५०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी
५१. श्री लालाराम
५२. श्री माधोलाल
५३. श्री मजलिस खां
५४. श्री मालमसिंह
५५. श्री मनफूलसिंह
५६. श्री मथुरादास माथुर
५७. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
५८. श्री मोहनराज
५९. श्री मोहरसिंह
६०. श्री मोतीलाल
६१. श्री मुक्तिलाल मोदी
६२. श्रीमती नगेन्द्रबाला
६३. श्री नाथूराम (बागीडोरा)
६४. श्री नाथूराम मिर्धा
६५. श्री निरन्जननाथ आचार्य
६६. श्रीमती निर्मला देवी
६७. श्री परसराम मदेरणा
६८. श्री पोहुमल
६९. श्रीमती प्रभा मिश्रा
७०. श्री रघुनाथ बिश्नोई
७१. श्री रामचन्द्र
७२. श्री रामप्रसाद लाड्ढा
७३. श्री रविशंकर
७४. श्री रावतराम
७५. श्री शंकरलाल जाट
७६. श्रीमती सुमित्रा
७७. श्री स्वरूपनारायण
७८. कुमारी उमा माथुर
७९. श्री विरधाराम

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : दस तो बाद में आये।

**श्री सभापति** : संशोधन गिर गया।

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज २ और चूंकि क्लॉज़ ३ में कोई संशोधन नहीं है तो क्लॉज ३ साथ ही साथ विधेयक के अंग बनें ?

( स्वीकृत )

क्लॉजेज २ व ३ विधेयक में अंग रूप में जोड़े गये।

**क्लॉज ४**

श्री भीमसेन।

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, ..........

**श्री सभापति** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समयाभाव के कारण समय निर्धारित कर दिया जाता है। जो अमें-डमेंट मूव करें वे १० मिनट बोलें और उसका उत्तर देते हुए पांच मिनट बोलेंगे और समर्थक पांच मिनट से अधिक न लें, ताकि विधेयक आज ही पारित किया जा सके।

**श्री भीमसेन** : माननीय सभापति महो-दय, क्लॉज ४ में मेरा संशोधन जो है वह निम्न प्रकार है।

"Add the following proviso to sub-section (1) of section 20 of the principal Act.—

'Provided that no claim for compensation shall be entertained by a land-holder who has paid compensation under the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952."

सभापति महोदय, धारा १६ के अन्तर्गत हमने उन काश्तकारों को जो कि खुदकाश्त के काश्तकार हैं अथवा जो मातहत काश्तकार हैं उनको हमने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये प्रावधान रखा है और धारा २० के अन्तर्गत हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी लैंड होल्डर कम्पन्सेशन क्लेम करना चाहे उस सब-टीनेन्ट से या टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त से, तो यह अपना कम्पेन्सेशन क्लेम पेश करे।

सभापति महोदय, जहां तक कम्पन्सेशन देने का सवाल है लैंड होल्डर बहुत से ऐसे हैं जो कम्पन्सेशन क्लेम करना चाहेंगे इस प्रोविजो के अन्तर्गत उनको हमने राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म एण्ड जागीर रिज-म्प्शन एक्ट के तहत उनको कम्पन्सेशन दे दिया है और अब पुन: अगर ऐसा कोई काश्तकार है उनकी जमीनों पर जो वर्षों से काश्त करता आ रहा है, जिन्होंने उन जमीनों को अपने परिश्रम से सुधारा है, इम्प्रूव किया है ऐसे काश्तकारों को, उन लैंड होल्डरों को मुआ-वजा देना पड़ेगा जिन्होंने उस जमीन पर मेहनत नहीं की। यह कम्पन्सेशन महज उनको इस-

( श्री भीमसेन )

लिये मिल रहा है कि किसी वक्त जागीरदार थे और उस हैसियत से लैंड रेवेन्यू के पॉवर भी उनके हाथों में थे और उन्होंने ऐसे पॉवर से उनकी जमीनों को भी लैंड रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज करवा दिया और इसलिए वे खुदकाश्त टीनेन्ट उनके बन गये। पर जहां तक मूल भावना का प्रश्न है, उस जमीन में जिस पर वे क्लेम करने जा रहे हैं कम्पेन्सेशन का या और किसी बात का, तो उन्होंने उस जमीन को कितना सुधारा, यह प्रश्न मूल में इसमें रह जाता है।

सभापति महोदय, इस कम्पेन्सेशन क्लॉज को मैं जिस तरह से यह मूव किया जा रहा है, अगर यह पास हो गया तो इस तरह से, जो जागीरदार थे पुराने उनको दुबारा क्लेम लेने का हक प्राप्त नहीं होगा, पर जिसे सरकार द्वारा बिल में प्रस्तुत किया गया हैं उस रूप में पास करेंगे तो इससे काश्तकारों की परेशानियां बढ़ेंगी। सभापति महोदय, कम्पेन्सेशन मामूली बातों पर किया जा सकता है। इम्प्रूवमेन्ट की डेफिनेशन दी है, लैंड होल्डर उसमें अगर कुछ भी न करें और काश्तकार ने अपनी मेहनत से उसे ठीक किया है पर फिर भी लैंड होल्डर जमीन के लिये क्लेम कर सकता है, हालांकि उसने कुछ इम्प्रूवमेन्ट नहीं किया, काश्तकार ने किया उसने ही पैसा लगाया है। अगर बाड़ाबन्दी की है तो काश्तकार ने की है पर इसका कोई सुबूत काश्तकार पेश करने में कमजोर साबित होगा, लैंड होल्डर भी इसके लिये क्लेम कर सकता है। कह सकता है यह सब इम्प्रूवमेन्ट मैंने किया है और अगर इसकी दो, तीन शहादत वह भुगता दे तो अदालत को उसे कम्पेन्सेशन दिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से काश्तकार को परेशान होना पड़ेगा और कम्पेन्सेशन क्लेम भी बहुत होंगे। बहुत से फर्जी होंगे। ऐसी सूरत में काश्तकार की हैसियत ऐसी नहीं कि वह अदालत में ठीक तरह से शहादत पेश कर सके। वे इल्लिटरेट होते हैं, पैसे का अभाव उनको होता है, जब कि लैंड होल्डर स्वभावतः ही उससे भारी पड़ता है वह मुकदमों में काश्तकार के मुकाबले जीत जावेगा।

तो ऐसी स्थिति में मेरा तो सिद्धान्त के नाते यह निवेदन है कि जिस जमीन का कम्पेन्सेशन एक बार लैंड होल्डर को मिल गया है उसके लिये फिर काश्तकार से दुबारा कम्पेन्सेशन दिलाना, स्वाभाविक जस्टिस की नीति नहीं होगी और इक्विटेबल भी नहीं होगा। काश्तकार अपनी उस जमीन को बरसों से काश्त करता आ रहा है, जिसको उसने अपनी मेहनत से इम्प्रूव किया है। उस जमीन पर काश्तकार को फ्री ऑफ चार्ज खातेदारी राइट दिया जाना चाहिये, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। इसलिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

**श्री सभापति** : माननीय उपमंत्रीजी।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मन्त्री) : एक अमेन्डमेन्ट और है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य जो लूणकरणसर से आये हैं उन्होंने जो संशोधन रखा है, मेरे संशोधन का दूसरा हिस्सा काफी हद तक उससे तालमेल रखता है। लेकिन जो

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

पहला संशोधन रखा है कि:

"Delete the last six lines of the proposed sub-section (1) of section 20 beginning with the words 'Every such claim...'"

तीसरी उनकी लाइन काट देने के बाद उससे मुख्य तात्पर्य यह है कि जो कम्पन्सेशन देने की बात है लैंड होल्डर को उसकी मोहलत नहीं बढ़ाई जावे। कल सम्बन्धित उप-मन्त्री महोदय ने जवाब के सिलसिले में कहा कि हमने इस बात की मोहलत बढ़ा दी है कि लोग खातेदारी हक़ूक वापिस ले लें या न लें, इसकी दर्ख्वास्त दे दें। अभी समाजवादी ढांचे पर खूबसूरत रंग चढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि हम ये मोरियां खोलकर सारे का सारा बांध का पानी समाजवादी खेतों में डालना चाहते हैं तो समाजवाद का क्या ऐसा भी सिद्धान्त है कि लोग खातेदारी हक़ूक नहीं लेना चाहते ?

आपकी मुआवजे की दरें इस प्रकार की हैं कि लोग भयतीत हैं खातेदारी हक़ूक लेने के। यह एक नमूना है और मुआवजे के लिए आया मोहलत बढ़ाना चाहते हैं ? क्या कारण है ? वैसे तो ऑर्डिनेन्स वगैरह का हवाला देकर उन्होंने कहा था कि लॉ है it may be deemed to have been supposed वे सब चीजें फिक्स करके ऑर्डिनेन्स के बाद थोड़ा सा ही समय निकला बताया, बाकी तो और सब खाते पूरे हो चुके हैं। आखिर इतनी बेताबी क्या है कम्पन्सेशन देने की ? बड़ी मदें रखी हैं कम्पन्सेशन देने की। कहीं खेतों का कटाव रोकने की बाड़ है तो कम्पन्सेशन है, कहीं गोदाम बनाये हैं तो कम्पन्सेशन है, कहीं जमीन का इम्प्रूवमेंट किया है तो कम्पन्सेशन है। इस प्रकार से कम्पन्सेशन की तो बहुत मदें हैं। उसमें उनकी खाना पूर्ति कीजिए और अधिक भार लादिये काश्तकारों के ऊपर, यही इसका लक्ष्य नजर आता है। इसलिए मैं तो इस चीज से सहमत हूं कि कम्पन्सेशन दिया जाये। जहां तक मेरे अमेंडमेंट के दूसरे हिस्से का प्रश्न है कि जागीर रिजम्पशन एक्ट के बाद जब कि बहुत से जागीरदारों को जमीन कुछ तयशुदा दी गई थी तो उस धरती पर जो असली काश्तकार या उसको सब-टीनेन्ट शिकमी काश्तकार मान लिया गया था, उस धरती पर मुआवजा मिल चुका। आज कोई कारण समझ में नहीं आता कि दुबारा मुआवजा उस पर मिले और सब-टीनेन्ट के ऊपर जो कि असली काश्तकार थे, जिसने सदियों से सचमुच जमीन काश्त की है, जिसने अपने पसीने में उस धरती में काम किया है, जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान की है उसको भार से लादा जाये, उसके ऊपर और अधिक भार डाला जाये यह भी इस प्रकार से डबल कम्पन्सेशन दिलवा कर, आज यह सब बात समझ में आनेवाली नहीं है। तो मैं इन शब्दों के साथ अपना अमेंडमेंट पेश करता हूं और मेरा विचार है कि सारा सदन इसे स्वीकार करेगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल**(अलवर) :सभापति महोदय, हमारे लूणकरणसर से आये हुए माननीय सदस्य और हमारे रायसिंहनगर से आये हुए माननीय सदस्य द्वारा जो जो संशोधन पेश किये गये हैं जो कि एक दूसरे से आइडेन्टिकल हैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

हुआ हूँ। सभापति महोदय, जो धारा २० है इसका ताल्लुक धारा १९ से भी है। धारा १९ में है कि जो जागीरदार खुदकाश्त जमीन छोड़ गये थे उस पर जो काश्तकार काश्त करते थे या जो खातेदार थे उनके सब-टीनेन्ट्स थे वे किस प्रकार से खातेदार बन सकते हैं। यह प्रोविजन धारा १९ में किया हुआ है और धारा १९ में यह कहा है कि ये लोग कम्पन्सेशन देकर खातेदार बन सकते हैं और धारा २० में वह कम्पन्सेशन किस प्रकार लिया जा सकता है लैण्ड होल्डर द्वारा, उसका प्रोविजन दिया गया है। इस अमेन्डमेन्ट के जरिये यह कहा गया है कि जो लैंड होल्डर जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत पहले मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं अब उसी जमीन का उनको दुबारा मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। जो मौजूदा कानून है, धारा २० है उसके तहत वह किसान खास तौर पर जागीरदारों के टीनेन्ट्स ऑफ दी खुदकाश्त, जिनकी टर्मिनोलोजी है वह किसान, उनके साथ दुहरा अन्याय हुआ है कि १९५५ में जब यह काश्तकारी कानून लागू किया गया उस दिन दरअसल यह खुदकाश्त के काश्तकार उस जमीन पर काबिज थे और होना तो यह चाहिए था कि उन किसानों को धारा १५ के तहत खातेदारी हकूक दिये जाने चाहिए थे। लेकिन कांग्रेस सरकार की सामन्ती तत्वों को खुश करने की नीति, चूंकि उनका बहुमत नहीं था, कुछ लोगों को खुश करके तोड़ना चाहते थे, अपने अन्दर मिलना चाहते थे, उनके सामने कुछ टुकड़ा डालना चाहते थे कि आइन्दा आओ, हमारा टिकट लो, हमारी बैंचों पर बैठो और हमारी मिनिस्ट्री में शामिल होवो। इस तरीके का एक टुकड़ा फैंक कर यह दृष्टिकोण उनके सामने रखा। उसके राजनैतिक नतीजे भी निकले हैं और आज इन बैंचों पर कई वह वर्ग दिखाई पड़ेंगे जो इस प्रकार के सामन्तवादी तरीके के नेतृत्व करनेवाले लोग रहे हैं। वह तत्व आज इन बैंचों पर आपको मिलेंगे और यही वजह है कि इन बैंचों पर बैठने वाले आज तमाम पुराने आन्दोलनों को भुला कर कि जिनके लिए इतने किसान शहीद हुए उन तमाम बातों को भूल कर आज उन्हीं अधिकारों से उन किसानों को जिनको सन् १९५५ में खातेदारी हकूक दफा १५ के तहत मिल जाने चाहिये थे उनको जागीरदारों की खुदकाश्त जमीन बता कर सिर्फ इस वजह से कि रेवेन्यू राइट्स जागीरदारों के अपने हाथ में थे उन्होंने उन रेकार्ड्स में यह दर्ज कर लिया कि हमारा इसमें पर्सनल कल्टीवेशन है और वह पर्सनल कल्टीवेशन हम मिस्टर एक्स के जरिये कराते थे और मिस्टर एक्स वास्तव में उस जमीन का एक्च्युअल टिलर था। तो सरकार अगर चाहे और जैसा न्यायसंगत होना चाहिए था यह खुदकाश्त के काश्तकार दफा १५ के तहत सीधे खातेदार बनने चाहिए थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनको सब-टीनेन्ट बना दिया गया और फिर अब उस जले पर नमक छिड़कने की बात यह है कि उसी काश्तकार को अब यह कहा गया है कि धारा १९ और २० के जरिये आपको मुआवजा देना पड़ेगा और उस लैण्ड होल्डर को यह रियायत दी जा रही है कि जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत आपने मुआवजा हासिल कर लिया लेकिन अब इस टीनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी राइट्स देने के लिए

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

धारा २० के तहत आप और मुआवजा हासिल कर सकते हैं। मेरे माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं वह उन्होंने इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए ही अपने संशोधन रखे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत रीजनेबल संशोधन भी है। जिस वक्त हमने अपने देश में लैण्ड रिफॉर्म्स करने की बात की उस वक्त जो कमेटी बनी थी इस सम्बन्ध में राजस्थान में, वैंकटाचार कमेटी ने यह व्यवस्था दी थी कि कानूनी तौर पर जागीरदारों को अपनी जागीर के लिये कोई कम्पन्सेशन लेने का हक नहीं है। यह व्यवस्था वैंकटाचार कमेटी ने दी थी और बावजूद राजस्थान के क्रांतिकारी आन्दोलन के इस सरकार ने जागीरदारों के सामने घुटने टेक कर उनको ऊंचे ऊंचे मुआवजे दिये। जिसका नतीजा यह है कि मौजूदा बजट में भी ३ करोड़ रुपये का बोझ उसी समझौता परस्त नीति की वजह से मौजूद है और १ करोड़ २८ लाख रुपया टैक्स का बोझ राजस्थान की जनता को सहन करना पड़ रहा है।

लेकिन आज यह सरकार अपने उस संशोधन से भी आगे जाकर उन्हीं जागीरदारों को जिनको वैंकटाचार कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद मुआवजा दिया गया उनको और मुआवजा सरकारी खजाने से देने के बाद गरीब किसानों को मजबूर किया जाता है कि इतनी लम्बी काश्त करने के बाद खातेदारी हकूक लेना चाहते हो तो इन जागीरदारों को, इन लैण्ड होल्डर्स को आप और मुआवजा दें और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ये लैंड होल्डर्स कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये लैण्ड होल्डर्स एक एक आदमी हजारों बीघा जमीन पर कब्जा किये बैठा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खुद काश्त करने का कोई तरीका नहीं है। वह तो एक फर्जी खुदकाश्त है जिसको यह सरकार जबरदस्ती खुदकाश्त तस्लीम करती है। इसलिए मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार करके किसानों के साथ यह जो अन्याय हो रहा है इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और मैं माननीय सदस्य जो कि लूणकरणसर से आये हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने एमेंडमेंट पर फर्म रहें वर्ना हम तो अपने अमेंडमेंट पर फर्म हैं ही। इसमें हम उनका पूरा साथ देंगे और वे इस पर पूरे फर्म रहें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उपमंत्री राजस्व): चेयरमैन महोदय, लूणकरणसर से आए हुए माननीय सदस्य ने एक संशोधन रखा जो धारा २० में प्रोविजो जुड़वाने की बात है जिसके जरिये माननीय सदस्य का कहना है कि इन जागीरदारों ने पहले जिस जमीन पर कम्पन्सेशन ले लिया है उनको इस प्रावधान के तहत कम्पन्सेशन दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा संशोधन जो माननीय सदस्य ने रखा है वह इस वर्तमान दफा में क्लॉज (४) के सब क्लॉज (१) की अंत की जो ६ लाइनें हैं—

"Every such claim shall be submitted (i) where such rights have accr-

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

ued under sub-section (I) of section 19 within four years of the appointed day and (ii) where such rights have accrued by virtue of a declaration under sub-section, (2) of that section, within four years of such declaration".

माननीय सदस्य ने इन ६ पंक्तियों को डिलीट कराने के लिए संशोधन प्रस्ताव रखा है और एक प्रोवीजो का प्रस्ताव भी रखा है जिसका भी वही मतलब है कि जिन जागीरदारों को कम्पन्सेशन जमीन का मिल गया है उनको इस दफा के तहत कम्पन्सेशन नहीं मिलना चाहिये।

अब जहां तक दफा १९ का, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि इन ६ लाइन्स को डिलीट करने का इस दफा पर क्या असर पड़ता है पहले उस बात को बताने की कोशिश करूंगा। जब सेक्शन १९ के अन्दर हमने यह मान लिया है कि खातेदार कन्फर्म किस तरह से होगा और वह दो तरह से होगा। यह भी मान लिया है और सब-सेक्शन (४) में यह भी मान लिया है कि उसको खातेदारी राइट्स और उस जमीन का जो इम्प्रूवमेंट है उसका कम्पन्सेशन देना पड़ेगा। जब हम कम्पन्सेशन की बात करते हैं तो जमीन की कीमत का दिमाग में खयाल नहीं होना चाहिए। इसमें कम्पन्सेशन दो बातों का है। एक तो वेल्यू ऑफ खातेदारी राइट्स, जो कि एक टीनेन्ट और जो कि एक खुदकाश्त लैण्ड होल्डर, हू होल्ड्स दी लैण्ड, उस खातेदारी राइट की वेल्यू है। दूसरा है इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट का। इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट में कुंआ या और इरिगेशन या और कॉस्ट हो उसको शुमार नहीं किया गया है और इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट वही शुमार की जाती है जो कि लैण्ड होल्डर ने लगाई है। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि सैकड़ों रुपये सब-टीनेन्ट्स ने लगाये हैं और वह लैण्ड होल्डर क्लेम करे तो यह बात नहीं है। दफा २४ को अगर ध्यान से देखें तो आपको मालूम हो जायगा कि वही कॉस्ट जो कि एक लैण्ड होल्डर ने लगाई है वही इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट मानी जायगी। तो जहां तक इस कम्पन्सेशन का सवाल है, दफा २३ और २४ को देखने से स्पष्ट हो जायगा कि खातेदारी राइट्स का कम्पन्सेशन जो उसमें बताया गया है और इम्प्रूवमेंट ऑफ लैण्ड का कम्पन्सेशन जो उसमें बताया गया है केल्कूलेशन का तरीका उसका ४० पर्सेन्ट नोट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेकिन जो कुछ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बताया गया है उसको केल्कूलेट करने के बाद उसका ४० पर्सेन्ट होगा। इस तरह से खातेदारी की वेल्यू १५ टाइम्स व २० टाइम्स ऑफ दी लैंड रेवेन्यू है वह और यह दोनों मिला कर उसी शर्त से दिया जायगा, जैसा कि दफा २५ में है कि दूसरे का हक उसमें होगा तो उसको भी उसमें से दिया जावेगा, उसके बाद में बचेगा तो लैण्ड होल्डर को मिलेगा। लैण्ड होल्डर को एकदम दिलाने की भी व्यवस्था नहीं है वह भी according to capacity, according to status यह होगा। उसके स्टेन्डर्ड को देखने के बाद ही होगा।

**एक माननीय सदस्य** : प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट की तारीफ में आयेगा?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (उपमंत्री, राजस्व): इसका सवाल नहीं है "improvement made by him"

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

के अन्दर जो आता है वही है। इस तरह से स्टेटस और केपेसिटी टु पे को देखने के बाद में इन्स्टॉलमेंट से पे करने की व्यवस्था है और वह भी १० वर्ष के इन्स्टॉलमेंट में। जहां तक यह दलील दी गई है कि कम्पन्सेशन का भार बढ़ जायगा, गरीब किसान मर जाएगा, दे नहीं सकेगा, जबरदस्ती अधिक कम्पन्सेशन ले लिया जायगा, इसकी कोई गुन्जायश नहीं होगी। सेट प्रिन्सीपल्स हैं।

अब सवाल यह आता है कि जागीरदार को कम्पन्सेशन दिया जाय या नहीं दिया जाय? दफा १९ और २० केवल जागीरदारों के लिए ही नहीं है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने शायद समझा है। यह कम्पन्सेशन और ऑटोमेटिक कन्फर्मेंट ऑफ खातेदारी राइट्स केवल खुदकाश्त के लैण्ड होल्डर्स जागीरदारों की ही जमीन का नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति दफा १९ और २० में खातेदारी राइट का कन्फर्मेन्ट हो सकता है, जागीरदार भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। इसलिए दफा २० के तहत जो कम्पन्सेशन खातेदारी राइट एक्वायर होने पर दिये जाने का प्रावधान है वह केवल जागीरदारों को देने का ही नहीं है। हर खातेदार टीनेन्ट को खातेदारी राइट के एवज में, इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट की एवज में दिये जाने का सवाल है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): आप एमेन्डमेन्ट को देखें वह कम्पन्सेशन के खिलाफ नहीं है: उसमें सिर्फ यही है कि जिन लोगों को पहले कम्पन्सेशन मिल चुका है....

**श्री रामप्रसाद लड्ढा**: यह आपके डेस्क्राइब करने का तरीका है। मैं आपके मस्तिष्क में इस बात को बैठाना चाहता हूँ और अपने तरीके से बैठाना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ी ही देर में उस बात पर आ रहा हूं।

इस तरह से यह कम्पन्सेशन जो इस दफा के तहत दिया जानेवाला है वह दो किस्म के आमदियों को दिया जानेवाला है। जो खातेदार टीनेन्ट है वह लैण्ड होल्डर है और उसका सबटीनेन्ट है उसको खातेदारी राइट मिलता है तो कम्पन्सेशन में इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट और compensation for improvement and valuation of khatedari rights both included, वह देना पड़ता है।

अब सवाल यह आता है कि खातेदारी टीनेन्सी बहुत सारे जागीरदार हो सकते हैं जिनको किसी कानून के तहत खातेदारी अधिकार दे दिए गए हैं। इस कानून के तहत वह खातेदारी अधिकार सबटीनेन्ट के हो जाते हैं तो वे कम्पन्सेशन मांगते हैं। आपका इशारा इसमें आ जाता है कि कम्पन्सेशन उनको नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वे पहले कम्पन्सेशन प्राप्त कर चुके हैं सरकार से। इसी के सम्बन्ध में आपकी क्वेरी थी। उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड जागीर रिज़म्प्शन एक्ट है उसके अन्दर क्योंकि जागीरें रिज़्यूम हुई हैं तो पर्टीक्यूलर लैण्ड में जो उसका इन्ट्रेस्टेड टाइटल था, जागीर लैण्ड में वह रिज़्यूम हो गया सरकार में लेकिन सरकार ने उसको रिहेबिलिटेट करने की दृष्टि से खुदकाश्त करने के लिए रहने दी और कहा कि आप इसका लगान, लैण्ड रेवेन्यू दें सरकार को। उसको उस पोजीशन में डाल दिया जिस पोज़ीशन में

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

एक दूसरा खातेदार टीनेन्ट है। दूसरा खातेदार टीनेन्ट भी सरकार को लगान देता है और वह सबटीनेन्ट से काश्त करवाता है, और जो कुछ हिस्सा अपना है, वह लेता है लगान लेता है अथवा और कोई शर्त हो उसका पालन करवाता है। उसी पोजीशन में हर जागीरदार खुदकाश्त के लैण्ड होल्डर को डाल दिया है। वह जागीरदार इस पोजीशन में सरकार के लिए खातेदार टीनेन्ट हो गया और जब वह खातेदार टीनेन्ट हो गया और उसको दूसरे खातेदार के समान मिल गए। अगर उसका सबटीनेन्ट खातेदारी राइट एक्वायर करता है तो खातेदारी राइट एक्वायर करने के बाद में लैण्ड होल्डर को रेन्ट मिलना बन्द हो जायगा। जब वह खातेदार टीनेन्ट है तो रेन्ट मिलना चाहिए सबटीनेन्ट से लेकिन सबटीनेन्ट में खातेदारी राइट वेस्ट हो जाने के बाद में उसको रेन्ट मिलना बन्द हो जायगा। तो ऐसी सूरत में खातेदार टीनेन्ट और खुद-काश्त लैण्ड होल्डर जो चाहे जागीरदार हो दोनों की टीनेन्सी की स्टेटस में इस कानून के अन्दर कोई अन्तर नहीं है। इसलिए यह दलील देना कि यह सरकार जागीरदारों को प्रोत्साहन देती है, यह सरकार करोड़ों रुपये की जनता की कमाई का धन लुटा देना चाहती है, यह दलील इस कानून के अन्तर्गत नहीं ठहरती है। कानून की निगाह में खातेदारी टीनेन्ट, चाहे वह जागीरदार है, चाहे महाजन है, चाहे जाट है या और किसी कौम का है khatedari tenant is a khatedar tenant for all purposes और उसकी जो लाइबिलि-टीज हैं, इस कानून के अन्तर्गत उसको जो लाभ कानून से मिलना चाहिए वह मिलेगा। इस-लिए यह दलील यहां पर टिकती नहीं है कि कम्पन्सेशन पहले मिल गया है; इसलिए दुबारा नहीं दिया जा सकता। यह दुबारा कम्प-न्सेशन लैन्ड का नहीं है, बल्कि खातेदारी राइट का है। उसको खातेदारी राइट अजसरेनों मिला है। इसलिए उसको मुआवजा देना लाजमी है जो कानून के अन्तर्गत तय किया जायगा। इसलिए जो दलील जागीरदारों को नहीं देने की दी है उससे मैं सहमत नहीं हूं और माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

अब सवाल यह रह जाता है कि ६ पंक्तियों को डिलीट करने का संशोधन रखा है, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या असर इन ६ पंक्तियों से पड़ता है। सेक्शन १८(४) को मान चुके हैं कि कम्पन्सेशन देना पड़ेगा खाते-दारी राइट के बदले में। जिसको खातेदारी राइट था और अब सब-टीनेन्ट को वह राइट मिलता है तो उसको कम्पन्सेशन देना पड़ेगा और उसके लिए दरख्वास्त भी देनी पड़ेगी और दरख्वास्त देनी पड़ेगी तो उसका फैसला भी होगा। इस बारे में लिखा है कि किसके पास दरख्वास्त हो। किसी का क्लेम है तो वहां तक क्लेम रखना स्वीकार किया है और आगे की पंक्तियों को हटाना चाहते हैं। अब क्लेम के सब्मिशन के प्रिन्सिपल को स्वीकार करते हैं तो इन ६ पंक्तियों को डिलिट करने मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वे अवधि के सम्बन्ध में है। क्लेम किस अवधि में करें इसको हमने बताया है। दो, दो वर्ष की अवधि सेक्शन १९ की तहत है, दो तरह का है। एक तो सेक्शन १९ (१) की तहत है जो ऑटोमेटिकली मिलता है। १९ (२) में डिक्लेरेशन करना पड़ता है और इसमें समय

# Page No. 81



( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

लग सकता और समय लगने के बाद खातेदारी राइट एक होता है तो किस तारीख से हो। इसलिए १९ (ए) में रखा कि जिस तारीख को कानून लागू होगा उसके चार साल बाद १७-३-५८ को इन्सर्ट हुआ था और ४ साल के क्रम से डिक्लेरेशन की अवधि रखी है। यदि अवधि नहीं रखते हैं तो मीनिंग लेस होता है इसलिये मुझे यह स्वीकार नहीं है और बिल में जो मूल प्रस्ताव है वही उचित है। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि वे दोनों प्रस्ताव जिन्होंने प्रस्तुत किए हैं वे उन्हें वापिस लें और यह संशोधित बिल पारित हो।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : सभापति महोदय, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। कम्पन्सेशन का प्रोविजन रखा है ऐसी जमीन में जिसने सिर्फ खातेदारी सेटलमेन्ट से, लैंड होल्डर से या खातेदारी राइट से हासिल की है और उस जमीन को सब टीनेन्ट्स ने इम्प्रूव किया है आधा या तीसरा हिस्सा हासिल के रूपमें देकर। तीन-चार साल काश्त करलिया इम्प्रूवमेन्ट के ऊपर उसका खर्चा नहीं हुआ। ऐसी हालत में सब टीनेन्ट को टीनेन्ट-इन-चीफ को कम्पन्सेशन देने की क्या आवश्यकता है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ( उप-मन्त्री, राजस्व ) : मैंने पहले ही अर्ज किया है कि कम्पन्सेशन दफा २४ की तहत एसेस होगा, केलकुलेट होगा वह केलकुलेट किया जायगा। जिस इम्प्रूवमेंट पर लैंड होल्डर ने खर्च किया है तो वह पाने का अधिकारी होगा और अगर दूसरे ने खर्च किया है जिससे लैंड होल्डर का ताल्लुक नहीं था तो वह नहीं पायेगा। मसलन सब - टीनेन्ट ने किया तो जब वह साबित करेगा तभी तो पायेगा।

Section 24 is quite clear on this point.

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : मेरे कहने का मतलब यह है कि खातेदारी मौजूद है, बैरन लैंड में खातेदारी हासिल की है उस बैरन लैंड पर सब टीनेन्ट को आबाद किया है लेकिन क्योंकि टीनेन्ट-इन-चीफ के पास खातेदारी का पर्चा है, राइट ऑफ खातेदारी के रूप में उसको कम्पन्सेशन देना पड़े, इसमें प्रावधान नहीं है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा**: मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि खातेदार को कम्पन्सेशन क्यादिया जाय, क्या नहीं, यह विवादास्पद नहीं है, २४दफा है, किस अवधि में क्लेम करे यह विचाराधीन है। बाकी कम्पन्सेशन किस प्रकार हो, कौन देगा; कौन नहीं, यह अलग है। यह इस समय सदन के विचारार्थ नहीं है। मैं जबाब दे चुका हूं।

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): सभापति महोदय, प्रस्तुत जो संशोधन है उसमें दो बातें हैं। एक तो खातेदारी राइट्स की वेल्यु के बारे में कम्पन्सेशन करना है और दूसरा इम्प्रूवमेंट के बारे में। सभापति महोदय, यदि इम्प्रूवमेन्ट खुदकाश्त का काश्तकार है उसके पास जमीन वर्षों से रही है तो लैन्ड होल्डर किस तरह का कम्पन्सेशन चाहता है। जमीन काश्तकार के पास रही तो कम्पन्सेशन देने का प्रश्न उठना नहीं चाहिए था, इम्प्रूवमेन्ट आदि का। यह ठीक है कि खातेदारी राइट्स जा रहे हैं।

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

इस वजह से देना चाहिए था ।

दूसरा यह बताया कि जागीरदार को जमीदारी राइट्स के लिए कम्पन्सेशन किया है, न कि खातेदारी राइट्स के लिए । तो जहां तक कानूनी मुद्दा हैं, हम सहमत है, खातेदारी राइट्स जा रहे हैं उसका कम्पन्सेशन मिलना चाहिए। लेकिन जहां तक इम्प्रूवमेन्ट का प्रश्न है उसको हक कहां तक प्राप्त होता है ? हम जागीरदारों के साथ अन्याय नहीं करना चाहते । जागीरदारों को सरकार ने कम्पन्सेट कर दिया है । उसको अपनी स्थिति का क्या भय है । अब काश्तकारों के साथ नेचुरल जस्टिस होना चाहिए और इसी कारण से मैंने यह संशोधन पेश किया था। उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है तो मुझे मजबूरन इसे वापिस लेना पड़ेगा।

**श्री सभापति** : आप वापिस लेने को तैयार हैं क्या ?

**श्री भीमसेन** : जी हां ।

**श्री सभापति** : क्या सदन की अनुमति है कि श्री भीमसेन ने जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय,

**श्री सभापति** (राव श्री नारायणसिंह) : मैं निवेदन करुंगा कि आप बहुत मुख्तसर दो मिनट में फरमावें ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : सभापति महोदय, जिस प्रकार से माननीय मन्त्रीजी ने इस संशोधन का जवाब दिया है वह कतई संतोषप्रद नहीं है ।

**श्री सभापति** : आप संक्षेप में कहें, लेकिन आयन्दा के लिए निवेदन करुंगा कि साधारणतः एक बार अमेन्डमेन्ट मूव किया जाता है उसके बाद या तो विथड्रॉ किया जाता है या वोट पर रख दिया जाता है, उस पर दुबारा कोई भाषण नहीं होता है । इसका खयाल रखा जाय । इस समय आप एक मिनट में जो कहना चाहें, कहें ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह संशोधन बहुत स्पष्ट हैं ।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि डबल कम्पन्सेशन नहीं दिया जाये और अपनी दलीलों में वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि डबल कम्पन्सेशन की बात कहां तक ठीक हो सकती है । जो सुधार सुधार के नाम पर........

**श्री सभापति** : मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम २७७ (३) की तरफ आकर्षित करता हूं । It says--
"...Provided that nothing in this sub-rule shall be deemed to give any right of reply to the mover of an amendment to a Bill or a resolution save with the permission of the Speaker,"

( श्री सभापति )

तो आप एक मिनिट में कह दें क्योंकि पहले से चल रहे हैं। अधिक भाषण के रूप में न कहें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : सब-टीनेन्ट, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया कि धारा २४ में है value of khatedari rights के लिये cost of improvement के लिये भी compensation देना पड़ेगा। ४० परसेन्ट कम्पन्सेशन का देना होगा। टीनेन्ट या सब-टीनेन्ट जब कभी किसी लैन्ड पर इम्प्रूवमेंट करता है तो वह मालिक के खर्चे से करता है। जिस खेत में किसान पानी लगाता है तो यह तो नेचुरल कोर्स है....

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ( उप-मंत्री, राजस्व): इसमें इसकी चर्चा नहीं है। जो मेन चीज है उस पर आना चाहिये।

**श्री सभापति** : मैं समझता हूँ कि आप इस विषय पर आ जावें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप इस विषय पर वोट लेलीजियेगा।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ में श्री हांडा ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे ?

( मत-दान के पश्चात् )

'ना' पक्ष जीता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : 'हां' पक्ष जीता। We claim division.

**श्री सभापति** : स्पष्टतः 'ना' पक्ष की आवाज काफी ज्यादा थी। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार फिर इसे वोट पर पुट-अप किया जाय। मैं इसको वॉइस वोट पर पुट करता हूँ

जो इसके पक्ष में हों वे खड़े हो जावें।

( 'खड़े होने का कौनसा नियम है ?' की आवाज )

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : जो ज्यादा खा लेते हैं उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : Point of order, Sir. Where is the provision for standing ?

**श्री सभापति** : I will read it "Provided that, if in the opinion of the Speaker, the Division is unnecessarily claimed, he may ask the members who are for 'Ayes' and those for 'No' respectively to rise in their places and, on account being taken, he may declare the determination of the House." तो आप केवल इसमें १५ ही खड़े हुए हैं। आप चाहें तो दूसरों को भी खड़ा किया जावे।

**एक माननीय सदस्य** : और कुछ नहीं तो कसरत तो हो हो जायेगी।

**श्री सभापति** : जो इसके विपक्ष में हों वे खड़े हो जावें।

( विपक्ष में खड़े होने के पश्चात् )

'नापक्ष' जीता। संशोधन गिर गया।

# Page No. 84



(श्री सभापति)

(विराम)

क्लॉज ४

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि खण्ड ४ प्रस्तुत विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

Clause 4 is a added to the Bill.

**श्री सभापति** : क्लॉज़ ५।

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मन्त्री, राजस्व) : सभापति महोदय, इसमें मेरा छोटा सा एमेंन्डमेंट है : "In the proposed clause (c) of sub-section (1) of section 180 after the words 'will expire' insert 'before the end of the current agricultural year.' यह फोर्मल केरेक्टर का है। माननीय सदस्यों की जो चर्चा हुई है उसके दौरान में यह भी आया था कि यह एड करने से फायदा होगा। इस प्रकार की बात नहीं है कि इससे टीनेन्ट्स को फायदा नहीं होगा। इन्ट्रेस्ट ऑफ टीनेन्ट्स के लिये ये शब्द एड किये गये हैं।

**श्री सभापति** : श्री तेजाराम गलहोत।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

**श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : I don't want to move, Sir.

**श्री सभापति** : श्री रामानन्द अग्रवाल।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : (अलवर) सभापति महोदय, My amendment is like this "After clause (c) of sub-section (1) of section 180, insert the following two provisos:—

"Provided that nothing contained in these sub-clauses be construed to have allowed the ejectment of any tenant whether he may be a tenant of khudkasht or a chair Khatedar tenant or sub-tenant except when the land-holder needs the land for his personal cultivation and that he does not hold land in excess of the minimum area prescribed by the State Government for the distric or part of the district in which such land is situated :"

"Provided further that the tenant will not be liable to ejectment if he does not hold land in excess of the minimum area prescribed."

"Explanation:- A land-holder shall be deemed to be in need of land for his personal cultivation, if he has no other source of livelihood to fall back upon."

सभापति महोदय, धारा १८० काश्तकारी कानून की उन सर्कम्स्टान्सेज़ को जिनकी तहत एक खुदकाश्त या गैर-खातेदारी या सब टीनेन्ट को बेदखल किया जा सकता है इन सर्कम्स्टान्सेज का उल्लेख करते हैं और इस धारा का सहारा लेकर राजस्थान में किसानों पर बेदखली का एक काफी बड़ा हमला बोल दिया है और इस धारा के तहत हजारों किसानों को बेदखल होना पड़ा है। इसलिए

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

यह कहा जा सकता है कि चाहे इस टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ की मंशा यह है कि लोगों को खातेदारी हकूक दिये जावें, किसानों को उस जमीन का मालिक बना दिया जावे और किस हद तक किसानों को उसका फायदा मिला है, लेकिन यह भी तथ्य है कि धारा १८० का फायदा उठा कर बहुत से लैंड होल्डर्स ने किसानों को मुकदमेंबाजी में फंसा दिया है और उनको किसी न किसी तरह से इन धाराओं के तहत बेदखल करादिया है। मसलन इस कानून के तहत जो टिनेन्ट्स ईयर टू ईयर काश्त करनेवाले हैं या टीनेन्ट्स जो फिक्स टर्म के लिये टीनेन्ट हैं, इस किस्म के टीनेन्ट्स हैं और भी १८० में कई प्रोविजन्स हैं जिससे वे किसान बेदखल हो सकते हैं। जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसकी मंशा साफ है, वह यह कि वैसे किसानों को बेदखल करने की जो लैंड होल्डर्स को सुविधाएं दी हैं, उनको रीजनेबल लिमिट्स में बांधने की कोशिश की है ताकि किसानों को नाजायज तरीके पर गैर जरूरतमंद जो लोग एक्सप्लोइ-टेशन करना चाहते हैं वे किसानों को बेदखल करके परेशान न कर सकें।

मेरे अमेंडमेंट के तीन मुद्दे हैं। पहला यह है कि वह किसान जिससे लैंड होल्डर जमीन लेने की बात करता है वह उस हालत में ले सकता है जब कि किसान के पास जो उस जिले में मिनिमम एरिया मुकर्रर है उतना मिनिमम एरिया बेदखल करने के बाद भी जरूर रहे। सेक्शन १८० है, एक क्लॉज में तो उस लिमिट को रखते हैं, बाकी क्लॉजेज़ में नहीं। फिर चाहे लैंड होल्डर्स को देते हों, चाहे उसके पास मिनिमम एरिया रहे, न रहे लैंड होल्डर को पूरी छूट है कि वह बेदखल कर सकता है। मेरा यह संशोधन है कि तमाम सेक्शन्स हैं उनको १८० कवर करती है। चाहे ईयर टू ईयर हो चाहे, फिक्स टर्म की, यह लाजिमी है कि किसान को बगैर जमीन के मोहताज नहीं किया जा सकता। अगर आपने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया तो यह चार्टर होगा, मेग्नाकार्टा होगा किसानों के लिये कि राजस्थान की असेम्बली इसको स्वीकार करेगी कि कितने भी बेदखली के मुकदमे चल जायं इतना मिनिमम हिस्सा जमीन का तो उसके पास छोड़ा जायेगा ही।

दूसरी कन्डीशन मेरे इस संशोधन में यह है कि १८० के तहत जो लैंड होल्डर्स किसानों से जमीन लेने के लिये, उनको बेदखल करने के लिये दर्ख्वास्त दे उसके पास अपने गुजारे के लिये वो मिनिमम एरिया जो उसके लिये जरूरी है, जो एक किसान के लिये हम चाहते हैं, उतनी जमीन उसके पास नहीं है तब वह १८० के तहत एप्लाई कर सकता है। अगर उसके पास इतनी जमीन है जितनी कि हम वहां के किसान के पास मिनिमम छोड़ते हैं तो वह एप्लाई नहीं कर सकता है। यह नहीं कि मैं लैंड लॉर्ड हूँ, इतनी सी जमीन मेरे गुजारे के लिये काफी नहीं, मुझे तो ५०० बीघा या १,००० बीघा जमीन चाहिये। लैंड-लॉर्ड के लिये इस प्रकार की लिमिट रख दें कि मिनिमम एरिया जितना उस जिले के एक किसान के लिये जरूरी रखा गया है उतना हो तो वह एप्लाई नहीं कर सकेगा। मिनिमम उतना नहीं है तो एप्लाई कर सकेगा।

तीसरी कन्डीशन यह रखी है कि उस

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

लैंड होल्डर को जो धारा १८० के तहत जमीन लेने की दर्ख्वास्त देता है उसको अपने खुद की काश्त के लिये जरूरत हो और खुद काश्त का मतलब यह नहीं कि ट्रेक्टर खरीद लिया, नौकर मुलाजिम रख लिये । पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनेशन भी मैंने रखने की कोशिश की है । "Need for personal cultivation" का मतलब यह हुआ कि वह शख्स खुद तो काश्त करेगा ही, उसके साथ साथ उसके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं होगा जिससे वह गुजारा चला सके। यह एक ह्युमेनिटेरियन अप्रोच है। अगर गुजारा चलाने का कोई दूसरा रोजगार या काम उसके पास है तो फिर वह कहे कि पर्सनल कल्टीवेशन के लिये जरूरी है तो वह इस प्रकार से दर्ख्वास्त नहीं दे सकता। यह कहे कि और कोई रोजगार, धंधा नहीं है जिससे वह अपने बच्चों का पेट पाल सके तो जो मौजूदा सरकार की नीति है, जो मौजूदा कानून में रखी है कि मिनिस्टर साहब इस बैंच पर बैठ सकते हैं और परसनल कल्टीवेशन के नाम पर फार्म भी चला सकते हैं। यह जो संशोधन मैंने रखा है वह स्वीकार करने पर यह सुविधा नहीं रहेगी या जागीरदार लोग कहें कि इस तरह जमीन अपने कब्जे में ले लें या और कोई लैंड होल्डर कहे कि इस तरह जमीन कब्जे में ले लें तो यह नहीं हो सकेगा।

ये तीन मेन पोइन्ट्स हैं, इनको मंजूर करने के बाद किसान की बेदखली के जो ये चोर दरवाजे खुले हुए हैं कानून में, उनको बन्द करने की तरफ ही सही दिशा में कदम उठावें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और किसानों को, लगातार बेदखली के जो हमले उन पर होते रहते हैं, उनसे बचाने की कोशिश करेंगे।

**श्री सभापति** : श्री वाई. एन. हांडा !

( ४ म.प )

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, जो यह अमेंडमेंट मैंने रखा है वह इस दफा १८० में है और वह इस प्रकार है : "Provided that personal cultivation for the purpose of this section shall mean such actual personal cultivation as requires the landholder to contribute his own manpower to cultivate, provided further than no landholder would be entitled to make any application for ejectment under this clause in case he has other means of livelihood." मेरा तात्पर्य इस अमेंडमेंट को रखने का यह है कि काश्तकार किसको माना जाय । आज काश्तकार, आज की परिभाषा में वह है जो नौकर रख कर सीर रख कर काश्त करा ले, आप खुद खेत में जाता हो न जाता हो, सीरी उसकी काश्त करते हैं, ट्रेक्टर्स चलते हैं, गिरदावरी उसके नाम दर्ज हो जाय तो वह उस धरती का काश्तकार है। धरती का काश्तकार तो वही होना चाहिये जो धरती पर पसीना डालता है जो अपनी मसक्कत से धरती को जोतता है, बीजता है, पालता है, काटता है, गेहूँ धान निकालता है, दूसरी कोमोडिटीज निकालता है वही सही माने में काश्तकार होना चाहिये। यहां काश्तकार की सही परिभाषा नहीं है ।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर): कलेक्टिव फार्मिंग में ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : कलेक्टिव फार्मिंग में सब का मिल कर पसीना बहता है, ठाकुर साहब अपने किले की छत पर बैठ कर ट्रेक्टर नहीं चलवाते। आज काश्कार की परिभाषा एक प्रकार से केपिटेलिज्म की तरह की परिभाषा है। केपिटेलिज्म एक्स्प्लोइटेशन करता है। मजदूर महनत करता है और केपिटेलिस्ट मुनाफे के रूप में उसकी कमाई का शोषण करता है। हमने फ्यूडेलिज्म को खत्म कर दिया पर खेती के मामले में केपिटेलिस्टिक सिस्टम ईन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं।

तो इस अमेंडमेंट में मैंने रखा है कि काश्तकार उसी को माना जाय जिसकी मेहनत काश्त की जुताई में, बिजाई में, कटाई में शामिल हो।

दूसरा पार्ट है, अगर कोई खुदकाश्त के लिए धरती खाली करवाना चाहता है तो उस में यह चीज स्पष्ट रूप से देखनी चाहिये कि जो व्यक्ति खुदकाश्त के नाम पर धरती खाली करवाना चाहता है उसका दूसरा कोई और धन्धा तो नहीं है। पहले अमेन्डमेन्ट में रखा है उस में यह किया है कि जैसे विधवायें हैं, एक्स सर्विस मेन हैं, अपाहिज हैं, लूले-लंगडे हैं; लेकिन सर्व साधारण के लिए, आम आदमी के लिए यह एक्ट इस रूप में नहीं रखा—

('नेता हैं' इस प्रकार की आवाज)

नेता धक्के से जाते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : ओन ए पोइन्टओफ ऑर्डर। सभापति महोदय.......

**श्री सभापति** : What is your point of order ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अगर और कोई धन्धा नहीं है; जो व्यक्ति खुदकाश्त में धरती चाहता है तो उसको लिमिट में देदी जाय और अगर कोई बिजनेस मेन है तो खुदकाश्त के आधार पर उसको जमीन नहीं देनी चाहिये।

**श्री मुकुटबिहारी लाल** (बयाना) : एक मिनिट बोलना चाहता हूं। ऐसा वैसा नहीं कहूंगा।

**श्री हरिदेवजोशी** ( घाटोल ): समझदारी की बात कहेंगे।

**श्री मुकुटबिहारी लाल** : मेरे लायक दोस्त ने दो संशोधन पेश किये हैं। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं, बड़ी अच्छी भावना है। लेकिन इस सम्बन्ध में सिक्के का दूसरा बाजू है उस पर भी यदि दृष्टिपात करें तो खतरा पैदा हो सकता है। इस सम्बन्ध में एक बात बड़ी जोरदेकर कही गई है, जैसी कि यह बात कही गई है, संशोधन न० १ की बात कर रहा हूं। अगर कोई लैंड होल्डर किसी काश्तकार को बेदेखल करना चाहता है लेकिन उसके पास यदि एक्ट के मुताबिक, मेक्सिमम एरिया प्रेस्काइब्ड बाई दी गवर्नमेन्ट उतना ही है तो बेदखल नहीं कर सकता है। जमीन्दार के पास नहीं है तो काश्तकार से नहीं करा सकता है और काश्तकार है तो वह नहीं छोड़ सकता है। इसके माने यह हैं कि पट्टे पर जमीन उठाने

( श्री मुकुटबिहारीलाल )

के ऊपर क्लोक लगा दिया है। जमीन पट्टे पर उठायी नहीं जा सकती। सेक्शन ४५ के तहत इसकी यह मंशा है। कुछ कन्डीशन्स भी रखी है कि खातेदार टिनेन्ट इतने समय के लिए जमीन लेटआउट कर सकता है, गैरखातेदार और खातेदार इतने २ समय के लिए कर सकते हैं। तीसरा क्लॉज सेक्शन ४५ में है उसमें यह है कि दफा ४६ के तहत जितने इन्सानों की गिनती की गई है, अपनी जमीन को पट्टे पर दे सकते हैं। कौनसे व्यक्ति हैं सेक्शन ४६ में ? वे व्यक्ति हैं जो अपाहिज है, नाबालिग हैं विधवा है, अविवाहित हैं। इनको इसमें 'प्रोटेक्शन दिया है। सभापति महोदय, अगर यह संशोधन मान लिया जाता है कि वह लैंड होल्डर अपनी जमीन को एक दफा जो पट्टे पर उठा देता है और वह कौन होगा ? जिसके पास जमीन कम होगी, उस जमीन को उसने काश्त पर उठाया तो तो वह हमेशा के लिए गयी, उसको वापिस बेदखल नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में इसका नतीजा यह होगा कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीनें होंगीं चाहे बन्जर पड़ी रहे, भूखा मरते हुए किसान को, चाहे भूमिहीन हो उसको नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि आपने लूलेलंगड़े अपाहिज, विधवा औरतें अविवाहित औरतें जो हाथों से काश्त नहीं कर सकती हैं ४५ के अन्तर्गत दूसरों को लेट आउट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिनके पास जमीन कम है, राजस्थान में हजारों और लाखों भूमिहीन किसान हैं जो अपना उन जमीनों को काश्त करके गुजारा कर लेना चाहते हैं उनको आगे पट्टे पर जमीन मिलना मुश्किल हो जायगा। उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाय और बड़े २ जमींदारों जागीरदारों से जमीन छुड़ाई जाय और उन लोगों की जो काश्त करते हैं बेदखली नहीं कराई जाय यह इसकी भावना है लेकिन सिक्के का दूसरा बाजू भी है पट्टे पर लोगों को जमीन मिलेगी नहीं। ऐसी हालत में मैं नहीं हूँ कि इसका समर्थन कर सकूं।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर): सभापति महोदय,...........

**श्री सभापति** : मिनिस्टर इन्चार्ज।

**श्री मानसिंह महार**: सभापति महोदय, यह एक बहुत इम्पोर्टेन्ट पॉइन्ट है और मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ( उप-मन्त्री, राजस्व) : सभापति महोदय, दफा १८० मूल कानून के बी. और सी. में जो संशोधन इस बिल के जरिये रखे हैं उनमें दो माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव रखें हैं और उनकी मंशा यह है कि जो पर्सनल कल्टीवेशन है अब तक जो रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है उससे भिन्न है और साथ ही साथ बी. और सी. से जो केसेज़ गवर्न होते हैं, मेक्सिमम और मिनिमम की लिमिट हो जाय कि इतने समय तक जब तक न रहे तो नहीं हटा सकते। क्लॉज़ेज ए. और डी. में सीमा निर्धारित की हुई है उसके समान बी. और सी. में भी निर्धारित कर दी जाय, ऐसा माननीय सदस्यों का अमेन्डमेन्ट है ! मैं दोनों संशोधनों को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आखिर बी. और सी. की तरमीम

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

क्यों आई और आई तो क्या उसके स्कोप में आती है क्या ? यह प्रश्न सामने है । मूल सेक्शन में चार धारायें हैं, ए. बी. सी. और डी। ए. और डी. धारा उन केसेज़ को डील करती हैं जो कानून के लागू होने से पहले यानि सन् १९५५ से पहले के केसेज़ के अधिकारों को डील करने के लिए यह ए. और डी. काम में आने के लिए है । जहां तक बी. और सी. का सवाल है यह इस एक्ट के आने के बाद जो परिस्थितियां पैदा हों, इस एक्ट के लागू होने के बाद टीनेन्ट फ्रोम ईयर टु ईयर हो या सब-लीज़ अन्डर सेक्शन ४५ हो तो इन धाराओं के अन्तर्गत जमीन दी जाय चाहे ईयर बाइज़ हो या सब-लीज़ हो तो जमीन खाली करा सकते हैं या नहीं, उसके विषय में यह बी. और सी. है । पुरानी दी हुई जमीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है । इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद अन्डर सेक्शन १८० आवे तो बी. और सी आते हैं । इस नेचर के ये हैं । ईयर टु ईयर टेम्पोरेरी नेचर है या लीज़ेज़ अन्डर सेक्शन ४५ ग्रान्ट किये जाते हैं जैसा माननीय सदस्य ने बताया ४५ में ग्रान्ट किया जाता है मेक्सिमम ५ ईयर्स । और दो साल तक नहीं कर सकते हैं । जिन कन्डीशन्स में ये ग्रान्ट्स हो सकते हैं, सब-टीनेन्ट्स को वेलिड, या रिकोग्नाइज़ किया है अन्डर सेक्शन ४५ । उस टाइम के खत्म होने पर लैंड होल्डर अगर अपनी जमीन को वापिस लेता है तो कौन सा अत्याचार किसानों के साथ कर रहा है ? उस किसान को जिस अवधि के लिए सेक्शन ४५ के अन्तर्गत दिया है तो उसकी अवधि खत्म होने के बाद वापिस लेता है ।

पर्सनल कल्टीवेशन की बात कही जाती है । इस धारा के ए. सी. और डी में पर्सनल कल्टीवेशन की जरूरत होने पर वह ले सकता है, यह इसमें है । बी. में सिर्फ नहीं है । इतना टेम्परेरी नेचर का है । एक साल बोने के लिए दिया जाय और फिर आप कहें कि पर्सनल कल्टीवेशन हो तो ले सकता है । तो इसमें पर्सनल कल्टीवेशन लगाना बे-मानी है । इसके लिए दूसरे सेक्शन हैं उनको लगाना वाजिब हो सकता है । सेक्शन ४५ में जो लीज़ेज दी जाती हैं उसको देखते हैं धारा ४६ में उन सब लोगों का बयान किया गया है माइनर ल्युनेटिक, एक्स सोल्जर्स आदि के केसेज हैं, उनकी डिसएबिलिटी खत्म होने पर भी वे जमीन पर वापिस कब्जा करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते । तो सवाल यह पूछेंगे कि उनको पर्सनल कल्टीवेशन के लिए क्यों नहीं, उनके नाम पर ऑलरेडी लैन्ड है उनको लेने का अधिकार होना चाहिये सिवाय उन सूरतों में पर्सनल कल्टीवेशन की सूरत रखी गई है । इसको पूरा होने में जो मिनिमम और मेक्सिमम प्रेस्काइब कर रखा है उसके बाद ले लें । जैसी कि क्लॉज में कन्डीशन रखी गई है वह नहीं होनी चाहिये । इस दफा को तब्दील करने के लिए अमेन्डमेन्ट बिल नहीं लाया गया है । इसकी बी. और डी. क्लॉज हैं उसके बारे में हाई कोर्ट ने कुछ डिसप्यूट माना इसलिये इसमें अमेन्डमेन्ट लाने की आवश्यकता हुई । बी. और सी. और पर्सनल कल्टीवेशन की बात नहीं । डी. और सी. में जो सब-लीज़ेज़ हैं ये एक दूसरे से भिन्न हैं, उनको भिन्न किया जाय । ओवरलेपिंग की नेचर को समाप्त करने के लिए इन । कॉन्सि-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सटेन्सी को समाप्त करने के लिए बी. और सी. को सेपरेट किया गया है और मूल कानून की स्प्रिट में किसी प्रकार की तब्दिली नहीं की गई है जो अमेन्डमेन्ट रिकमन्ड किया गया वही किया गया है। पर्सनल कल्टीवेशन की तारीफ को बदलने की, जो कि अब तक मानी हुई है उस डेफिनेशन को बदला जाय, इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं। पर्सनल कल्टीवेशन के तौर पर मूल कानून में जो सब-सेक्शन ५ दिया हुआ है वह स्टेन्ड करता है। आप जिस प्रकार का प्रोविजो लाना चाहते हैं वह मूल परिभाषा से भिन्न है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो संशोधन प्रस्ताव उन्होंने रखा है उसको वापिस लें और इस क्लॉज को पारित करें।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि सर्व प्रथम श्री रामप्रसाद लड्ढा ने खंड ५ में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : On a Point of order, Sir, first you have to

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : My amendment is before you.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : Is there any other amendment ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : I have moved one amendment and after that you have moved.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : The amendment has not been circulated.

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खंड ५ में जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

**श्री सभापति** : (श्री रामानन्द अग्रवाल से) Whether you have to withdraw the amendment or press it ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : I press for it.

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खंड ५ पर जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ५ में जो संशोधन श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

क्लॉज ५, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

क्लॉज ६

श्री मानिकचन्द सुराना।

**श्री मानिकचन्द सुराना** (कोलायत) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज ६ पर मैंने निम्न संशोधन प्रस्तुत किया है........

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : Point of order, Sir, these amendments have not been circulated and, therefore, they cannot be taken for consideration unless they are circulated to the House.

**श्री सभापति** : The amendment has been received within time and, therefore, I permit it to be moved. I would give further explanation for not circulating it. It was received on a holiday, so it could not be properly received in the Notice office, and thus it could not be circulated. Even then the Hon'ble Member had sent it in good time and keeping that in consideration, I allow it to be moved.

**श्री मानिकचन्द सुराना** : On a point of information, Sir, this amendment was moved day before yesterday.

**श्री सभापति** : Does not matter. You please move it.

**श्री मानिकचन्द सुराना** : सभापति महोदय, जो संशोधन मैं पेश कर रहा हूं, वह इस प्रकार है :

After brackets and figures '2' in line 4 of the clauses, insert the words and figures, "and in column No. 4 the words 'four' for 'two.'

इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि क्लॉज ६ के अन्दर जो शिड्यूल ३ के क्रम संख्या ३६ में यह लिखा गया है कि ८९.५ की जगह १९.२ पढ़ें। १९.२ टीनेन्सी एक्ट की धारा है। दो साल की मियाद खातेदारी हकूक प्राप्त करने के लिये दी गई है वह अवधि कम है और इसलिये जब हम एक ओर संशोधन करते हैं कि अगर कोई काश्तकार हकूक छोड़ना चाहता है मुआवजा नहीं देकर तो तीन वर्ष की अवधि में छोड़ सकता है। दूसरी तरफ जो संशोधन मंजूर किया गया है उसके अनुसार लैंड होल्डर दो साल की अवधि की बजाय चार साल की अवधि में दरख्वास्त पेश कर सकता है। दोनों संशोधनों को स्वीकार कर लिया है, इसके साथ साथ यह संशोधन भी स्वीकार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। एक तरफ लैंड होल्डर के फायदे के लिए कानून बनाना चाहते हैं, चार साल की अवधि देते हैं, उसके साथ साथ किसानों को खातेदारी हकूक छोड़ने की मियाद छः माह की बजाय तीन वर्ष देते हैं। जो काश्तकार अपनी दरख्वास्त समय पर नहीं दे पाये उसके लिये सदन द्वारा यह प्रस्ताव पास करना चाहिये कि दो साल की अवधि में दरख्वास्त नहीं दे पाये तो उसके लिये चार साल की अवधि में दरख्वास्त पेश कर सकता है ताकि खातेदारी जैसे बहुमूल्य अधिकार मिल सकें जो उनको कानून के ज्ञान के अभाव के कारण नहीं मिले हैं। इस प्रकार से परिवर्तन करने के बाद खातेदारी हक वे ले सकते हैं।

धारा १९,२० में जो अमेन्डमेन्ट किया

( श्री मानिकचंद सुराणा )

गया है उसके अनुसार १९. २ में भी अमेंडमेन्ट करना चाहिये। १९. २ का जो शिड्यूल है उसकी जगह १९.५ छप गया है उसकी जगह १९.२ छपना चाहिये। वह अवधि दो वर्ष से बढ़ा कर चार वर्ष की जानी चाहिये। हां पक्ष के लोग हैं और माननीय मंत्री महोदय भी मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे। वास्तव में जब एक तरफ दूसरे अधिकार लैंड होल्डर को दिये गये हैं उसके साथ साथ किसानों को खातेदारी हक़ूक नहीं प्राप्त करा सके समय पर तो इसके लिये मैंने संशोधन पेश किया है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस संशोधन को मन्जूर करेंगी।

**श्री अध्यक्ष** : मिनिस्टर-इन्चार्ज।

**श्री रामप्रसाद लडढा** ( उप-मंत्री, राजस्व ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो तरमीम का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बहुत हमदर्दी के साथ विचार करता लेकिन इसमें एक कानूनी रुकावट आ जाती है।

जो संशोधन रखा गया है वह शिड्यूल में सब-क्लॉज है उसके अन्दर दो वर्ष जहां हैं उसके स्थान पर चार वर्ष रखने का है। यह शिड्यूल में तरमीम चाही है। अब शिड्यूल एक्ट के प्रोविजन, प्रिन्सिपल या मसविदा से नीचे है। तो जब तक इस प्रकार की तरमीम मूल कानून में न हो जावे तब तक शिड्यूल में तरमीम करना कोई वजन नहीं रखता। अगर शिड्यूल में चार कर दें और सेक्शन १९ के सब-क्लॉज़ (२) में अवधि दो वर्ष की ज्यों की त्यों रहती है तो एक्ट का प्रावधान लिमिटेशन के सम्बन्ध में है वह इससे इनकन्सिस्टेंबल रहेगा। अब यह कहा जा सकता है कि सेक्शन-१९ में भी इसी तरह से कॉन्सिक्वेन्शयल अमेंडमेंट कर दिया जाय। पर यह करना हमारे स्कोप से बाहर है इस वक्त। तो इन कारणों से और फिर अगर इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार भी कर लें तो उक्त धारा ज्यों की त्यों फोर्स में रहेगी, इसलिये इसे मानना, न मानना समान हो जावेगा। इसलिये इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिये साथ ही निवेदन करता हूं कि वे इसे विड्रॉ कर लें। जिस समय इस लेजिस्लेशन के सिम्प्लीफिकेशन की कमेटी वगैरह बनेगी वे इन सब चीजों को एग्ज़ामिन करेंगे तो इस प्रकार की एनोमोली दूर हो जावेगी। इसलिये इस समय मैं निवेदन करूंगा कि वे इस तरमीम को वापिस विड्रॉ कर लें।

**श्री सभापति** : Would you like to press it or withdraw ?

**श्री मानिकचंद सुराना** (कोलायत) : I would like to withdraw it with a short explanation.

माननीय उपमन्त्री महोदय ने जो कहा है उसके प्रकाश में मैं भी यह महसूस करता हूं कि इसमें कानूनी दिक्कत है। उनके समक्ष मूल धारा संशोधित नहीं हो पाई है, इस कठिनाई को मैं भी महसूस करता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे खुद इस संशोधन की स्पिरिट को एप्रीशियेट करेंगे और शीघ्रातिशीघ्र धारा १९ में यह संशोधन लाने का प्रयास करेंगे और इस असेम्बली के खत्म होने के बाद ऑर्डिनेन्स के जरिये भी लाया जावेगा तो किसानों को राहत मिलेगी। इस आश्वासन को समझते हुए और उनकी भावना और

( श्री मानिकचंद सुराणा )

कठिनाई को जानते हुए मैं इस संशोधन को वापिस लेता हूं।

**श्री सभापति** : क्या यह सदन की अनुमति है कि श्री मानिकचन्द सुराणाको अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं इसको वापिस लेता हूँ।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खंड ६ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खंड ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

अब खंड ७ में कोई संशोधन नहीं है, इसलिये प्रश्न यह है कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १, इनेक्टिंग फॉर्मुला प्रीएम्बल व टाइटल विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

इनेक्टिंग फॉर्मुला, प्रीएम्बल, टाइटल और खण्ड १ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ( उप-मन्त्री, राजस्व) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ पारित किया जावे।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९६२, एज़ अमेंडेड, पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

## राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य (निर्धारण) विधेयक, १९६२

(विचारार्थ एवं पारित)

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड स्यूट्स वेल्युएशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जावे।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड स्यूट्स वेल्युएशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जावे।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड स्यूट्स वेल्युशन (अमेन्डमेंट) बिल, १९६२ पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड सूट्स वेल्युएशन ( अमेंडमेंट ) बिल, १९६२ पारित किया गया ।

( ४. ३०. म. प. )

## राजस्थान माध्यमिक शिक्षा ( संशोधन ) विधेयक, १९६२

( खण्डशः विमर्श एवं पारित )

**श्री सभापति** : राजस्थान सेकन्डरी एजूकेशन ( अमेन्डमेन्ट ) बिल, १९६२ ।

**श्री परसराम मदेरणा** ( उप-मंत्री, शिक्षा ) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेकन्डरी एजूकेशन ( अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जावे ।

**श्री सभापति** : No Discsusion. प्रश्न यह है कि राजस्थान....

**श्री मुकुटबिहारीलाल** (बयाना) : मैं दो मिनट अर्ज करना चाहूँगा ।

**श्री सभापति** : आप डिस्कशन करना चाहते हैं ?

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ । यह राजस्थान सेकन्डरी एजूकेशन ( अमेन्डमेन्ट ) बिल हमारे सामने विचारार्थ है । इस बिल की तहत एक व्यवस्था की गई है और वह व्यवस्था सरकार के द्वारा धीरे धीरे की गई । ऐसी व्यवस्था होगी कि जहां हम अपनी शिक्षा संस्थाओं को ऑटोनोमस बोडी बनाना चाहते हैं, जहां शिक्षा के क्षेत्र को स्वतन्त्रता देना चाहते हैं, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र को अबाध गति से अपने अपने क्षेत्रों में उन्नति करने के लिये छोड़ना चाहते हैं वहां पर इस संशोधन के द्वारा यह चाहा गया है कि जो बोर्ड है उसके जो चेयरमैन बनेंगे उनको सरकार नामजद करेगी । इस प्रकार की व्यवस्था नामजदगीवाली जो है वह आज के युग में हास्यास्पद है । इसकी इस भावना को देखते हुए और दूसरे प्रावधानों को, जिन पर यह बिल आधारित है, देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इसके जो ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स असाइन किये हैं, जो कि इस तरह से हैं :

"According to section 16 of the Rajasthan Secondary Education Act, 1957 the term for which a non-official Chairman could be nominated is 5 years, after the expiry whereof, according to section 16 of the Rajasthan Secondary Education Act, 1957, the Director of Education, Rajasthan, is to be the Chairman of the Board."

डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन जिसके पास बहुत सी ऐसी ड्यूटीज हैं जिसके कारण बोर्ड की कार्यवाहियों का पालन सुचारू रूप से वह नहीं कर सकते इस कारण यह आवश्यक समझा गया है कि नियमों के अनुसार कोई ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन के कर्त्तव्यों में बाधक न हो और उसके कार्यों को हल्का कर दे और ऐसे व्यक्ति को कार्यभार सौंप दिया जाये जो कि एजूकेशन के दूसरे कामों से परे हो । तो जहां

( श्री मुकुटबिहारीलाल )

तक यह स्पिरिट है यह अच्छा हो सकता है क्योंकि डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन के पास बहुत से काम हो सकते हैं परन्तु जहां यह व्यवस्था की जानी है कि डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन को हटा दिया जाये और उसके स्थान पर ऐसा व्यक्ति जो कि सरकार चाहे उसको नोमीनेट कर दे, नामजद कर दिया जाये । मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि शासक वर्ग चाहे अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपनी पार्टी के व्यक्तियों के लिए या व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की गर्ज से चाहे जैसी व्यवस्था लागू कर दे, मैं सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि चाहे आज बहुमत के बल पर, चाहे एक मेम्बर उधर ज्यादा हो इसके बल पर चाहे जिस व्यवस्था को लागू कर दे लेकिन जनतंत्र के युग में यह नामजदगी का सिस्टम अच्छा नहीं लगता । यह समय की बात नहीं है । यह समय के खिलाफ चीज पड़ती है । ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अगर यह नामजदगी वाली पद्धति नहीं हटाई गई तो उसका नतीजा यह होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे राजनीति प्रवेश करने लगेगी । क्योंकि जहां नामजदगी होने लगेगी शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थानों पर वह पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स मे से ही गाइड होगी । अगर ऐसा हुआ तो इससे शिक्षा का विकास रुक जायेगा और शिक्षा के विकास में बहुत बड़ी अवरुद्धता आयेगी । इसलिए जहां यह बात कही गई है कि जो डाईरेक्टर हैं उनके पास काफी काम है और उसको हल्का करने के लिए इस व्यवस्था को मोमेन्टम देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन को हटा कर दूसरा व्यक्ति रख दिया जाये यह तो अच्छा लगता है और ठीक भी हो सकता है अपने स्थान पर, लेकिन उसके स्थान पर कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा नामजद कर दिया जाये और वह भी वह व्यक्ति जिसको सरकार पसन्द करे, यह ठीक नहीं है । फिर सरकार की क्या पसन्दगी होती है ? राजनीति की पसन्दगी, ऑटोक्रेसी की पसन्दगी हो यह आज के युग से मेल नहीं खाती । इसलिए मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल पर पार्टीबन्दी के लिहाज से नहीं सोच कर, दलगत राजनीति के आधार पर न सोच कर ओछी भावनाओं से न सोच कर हृदयता से सोचें और इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो इसकी कमेटी है इसमें इलेक्टेड चेयरमैन की व्यवस्था है जो कि आम तरीका है उसके द्वारा उसको चुना जाये और वैधानिक तरीके पर चुनाव हो । इस तरह की पद्धति रखी जाये । मैं इन तमाम बातों को देख कर इसकी भावना का विरोध करता हूँ और साथ ही जहां यह कहा गया है कि उसके चुनाव के सिलसिले में ....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, यह तो क्लॉज बाई क्लॉज कन्सीडरेशन में विचार हो सकता है । आपका कोई प्रस्ताव नजर नहीं आता कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाये या क्या हो । तो किस दृष्टि से यह विचार आप प्रस्तुत कर रहे हैं ?

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : तो इसकी जो भावना है उसमें जो राजनीति घर कर रही है....

**श्री सभापति** : विचारार्थ कहने के बाद आपका भाषण है वह किस आशय से है ?

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : तो मैं इसका, विचारार्थ लेने का, विरोध करता हूँ ।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान हायर सेकेन्डरी एजूकेशन ( अमेन्डमेन्ट ) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाये ?

( स्वीकृत )

राजस्थान हायर सेकिन्डरी एजूकेशन ( अमेंडमेंट ) बिल, १९६२ विचारार्थ लिया गया ।

क्लॉज २

**श्री सभापति** : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** ( रायसिंहनगर): सभापति महोदय, राजस्थान हायर सेकेन्डरी एजूकेशन ( अमेन्डमेन्ट ) बिल, १९६२ के क्लॉज २ और ३ में कुछ लाइनों में जो मैंने अमेन्डमेन्ट पेश किये हैं वे इस प्रकार हैं....

**श्री सभापति** : Clauses 2 and 3, both are under consideration and you can , therefore, move amendments on both the clauses.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : I have taken them together. In sub-section (1) of Section 4 of the principal Act, replace the word 'nominated' by the word 'elected'.

और क्लॉज ३ के अन्दर इस प्रकार जहां नोमीनेशन का प्रश्न आता है वहां इलेक्शन का वर्ड हो वह आपके समक्ष है । राजस्थान सरकार का तात्पर्य इस बिल को रखने का मुख्य रूप से यह है कि जहां पहले डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन एक नोमीनेटेड चेयरमेन हुआ करता था तो इस आधार के ऊपर कि डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन को बहुत काम रहते हैं वह बहुत बिजी आदमी है और वह बोर्ड की चेयरमेनशिप नहीं संभाल सकते । इस बिल में एक पैनल बनाने का प्रोविजन किया गया है कि पैनल में २ व्यक्ति बोर्ड के द्वारा चुनकर आयेंगे और एक व्यक्ति नोमीनेटेड होगा और इन तीनों व्यक्तियों में से राजस्थान सरकार....

**श्री परसराम मदेरणा** ( उप-मन्त्री, शिक्षा) : आप गलत समझ गये ओरीजिनल एक्ट को । उसमें पहले ५ साल के लिए चेयरमैन गवर्नमेंट नोमीनेटेड रहेगा, डाइरेक्टर नहीं, यह प्रावधान है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं यही अर्ज कर रहा था । जरा पूरा सुन लीजिए । मैं गलत नहीं समझा ठीक समझा हूं । उसमें स्पष्ट यह प्रोविजन है कि इन तीन व्यक्तियों में से दो इलेक्टेड और एक व्यक्ति नोमीनेटेड किया जायेगा जिनका टर्म ३ साल के लिए होगा । पहले ५ साल के लिए आपका नोमीनेटेड व्यक्ति होगा, ऐसा मानते हैं । इस बिल में जहां यह प्रश्न है कि २ व्यक्ति इलेक्टेड आये हैं । जिस प्रकार का राजस्थान बोर्ड का ढांचा है उसके अन्दर डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन वहां पर मौजूद है, डाइरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजूकेशन मौजूद हैं, हैड ऑफ दी कामर्स इन्स्टिट्युयूशन वहां पर मौजूद है, सर्किल कमान्डेन्ट, नेशनल कैडिट कॉर्प्स मौजूद है, इनके अतिरिक्त सीनेट के द्वारा भेजे हुए तीन

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

व्यक्ति मौजूद हैं, प्रोफेसर्स भी ड्यूली इलेक्टेड हैं और टीचर्स एसोसियेशन का भी एक व्यक्ति वहां पर है, प्रिन्सिपल इन्जीनियरिंग कॉलेज है, कुछ को-ऑप्टेड मेम्बर्स हैं तो यह काफी विद्वानों का क्षेत्र है। इस सब को देखते हुए इस बोर्ड का जो लक्ष्य और कार्यक्षेत्र है वह सिलेबस तय करना, पाठ्य पुस्तकें तय करना, इम्तिहान तय करना, प्रोपर्टी को अरेन्ज करना, कोर्सेज वगैरह तय करना, यह सारा इसका क्षेत्र है। तो इस कार्यक्षेत्र में यदि हायर सेकेन्डरी के नतीजे की तरफ देखा जाये तो बहुत ही निराशाजनक नतीजा है। अगर आप पिछले १० सालों के परिणाम देखें तो हायर सेकेन्डरी के बाद जो थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स है उसके नतीजों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। यहां तक कि पिछली साल फर्स्ट ईयर टी०डी०सी० का २६ परसेंट नतीजा था और हायर सेकेन्डरी का भी बहुत बुरा नतीजा था। जिस प्रकार से कोर्सेज चल रहे हैं, समय के अभाव में पूरी तरह इस पर प्रकाश नहीं डाल सकूंगा, तो आज आवश्यकता इस बात की है कि कोई न कोई क्रांतिकारी परिवर्तन, मूल परिवर्तन इस प्रणाली में करना जरूरी है। चेयरमैन के संबंध में एक पैनल बना कर इस संबंध में इतना सा कदम तो सरकार ने उठाया है। लेकिन इस प्रजातान्त्रिक युग के अन्दर यह बात समझ में नहीं आती कि इतना रिप्रेजेन्टेड बोर्ड है, उसका इतना कार्यक्षेत्र है तो क्यों नहीं इलेक्टेड आदमी जिसको बोर्ड चुन दे, ऐसा आदमी उस बोर्ड का प्रेसीडेन्ट हो ? इसकी स्पष्ट बात को देखिये जो कि हुई है, केवल दो, तीन दिन में हुई है उसी तरफ दृष्टिपात करने पर आपको पता चलेगा कि यह बिल सामने क्यों आया ? बोर्ड ने अल्फाबेटीकल ऑर्डर के अन्दर तीन आदमियों का नाम भेजा है तो जिस व्यक्ति को नामजद किया है वे पब्लिक सर्विस कमीशन के एक समय के चेयरमैन, मि० जोशी हैं। किसी विशेष व्यक्ति की ओर इंगित नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार द्वारा उनकी नामजदगी यहां मि० जोशी की की जाती है यह नई परिपाटी डाली जाती है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (राजसमन्द) : We are going beyond the scope of the Bill. We should not make a reference to an officer who is not present in the House.

**श्री सभापति** : Well, the Hon'ble member will desist from making references in proper nouns to persons who are....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : To prove the validity of the points, I have to give reference. It is a very immediate thing and it concerns an important question.

**श्री सभापति** : You can just mention the post.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक व्यक्ति जो चेयरमैन रहा पब्लिक सर्विस कमीशन का उसको चेयरमैन नोमीनेट करते हैं बोर्ड का तो आपको आगे इस परिपाटी का प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। कोई भी चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा उसके दिमाग में यह चीज आती है कि अगर मैं पक्षपात करूंगा, इन ट्रेजरी बेन्चेज का पक्षपात

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

करूंगा तो रिटायर हो जाऊंगा तो इस प्रकार से नौकरी मिल जायगी, इस प्रकार से एक स्थान मिल जायगा।

इस प्रकार की परिपाटी हमारे शिक्षा के क्षेत्र जिस पर सारे राष्ट्र का भविष्य है उसमें वह डालना चाहते हैं, वह बड़ी खतरनाक है। नोर्मानेशन का प्रश्न आते ही दो, तीन दिनों के अन्दर यह चीज आपके सामने आई है स्पष्ट रूप से और वह स्पष्ट है। मेरी तो यह प्रार्थना है कि अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, जिस प्रकार से हायर सेकेन्डरी एजूकेशन के अन्दर शिक्षा का क्रम चल रहा है, वह एक बड़ा अजीब सा शिक्षा का क्रम है। हायर सेकन्डरी के अन्दर ६ कम्पलसरी सब्जेक्ट्स हैं और ६, १० ओप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। टेन्थ क्लास में चारों कम्पलसरी सब्जेक्ट्स का एक्ज़ामिनेशन होजाता है और इलेवन्थ के अन्दर दो कम्पलसरी का और ३ ओप्शनल्स का एक्ज़ामिनेशन होता है। यह ओप्शनल्स सब्जेक्टस वे हैं जो कि प्रोफेशन्स से ताल्लुक रखते हैं, जैसे बायोलोजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलाजी, बोटेनी, जिनको पास करने के बाद लड़के इन्जीनियरी में जाते हैं, टैक्निकल क्षेत्रों में जाते हैं। उन लोगों को इन सब्जेक्ट्स को लेना पड़ता है। आप देखिये कि उसका नतीजा स्पष्ट आपके सामने है। नतीजा क्या है? फर्स्ट ईअर टी०डी०सी० के रिज़ल्ट्स को उठा कर देखिये, उसके १० साल के रिज़ल्ट्स को उठा कर देखेंगे तो एक समय जहां ६० पर्सेन्ट, ५० पर्सेन्ट और ७० पर्सेन्ट रिज़ल्ट हुआ करता था अगर उसका इन्टरमीजियेट के स्टेन्डर्ड से मुकाबला करें तो पिछले वर्ष का रिजल्ट २६ पर्सेन्ट पर आ गया है। उसका कारण है कि यह जो बोर्ड है इसमें सरकार का दखल है पूरे प्रजातान्त्रिक विधि से इस बोर्ड को चलने दिया जाय और उसके लोगों को जो उस बोर्ड के अन्दर हैं और जिनमें काफी प्रोफेसर्स भी हैं, एक्जीक्यूटिव, टीचर्स कमेटी के मेम्बर्स भी हैं, एक्सपर्ट्स ओपीनियनवाले भी वे मेम्बर्स हैं, सारे कॉलेजेज जिनमें टेक्निकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेजेज, मेडीकल कॉलेजेज के आदमी होते हैं, वे अपना चेयरमैन चुन लेते हैं तो प्रजेन्ट चेयरमैन पर बहुत भार है तो सरकार उसको अपनी प्रेजेन्ट ड्यूटीज़ से छुट्टी दे सकती है ताकि सिर्फ वह चेयरमैन ऑफ दी बोर्ड का ही कार्य करे। यह टेम्पटेशन सरकार को कि नामज़दगी की जाय आखिर क्यों है? केवल इसलिए है कि नाजायज दखल सरकार का इस बोर्ड के अन्दर बनाये रखना चाहते हैं। आज टेक्स्ट बुक्स के अन्दर जो कुछ भी हुआ है वह स्पष्ट है। पब्लिशर्स को नाजायज फेवर किया जाता है। टेक्स्ट बुक्स की भी स्थिति सारी मौजूद है, उनकी बहुत कीमतें हैं, नहीं मिल रही हैं। जितनी नियुक्तियां टीचर्स की हुई हैं और कोर्स के अन्दर जो चीजें हुई हैं वे स्पष्ट हैं। इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा को उन्नति देने के लिए और राष्ट्र के हित को अपने सामने रखते हुए इस चेयरमैन का इलेक्शन हो और इस बोर्ड के द्वारा इलेक्शन हो। इनकी नियुक्ति नहीं हो, नोमीनेशन नहीं हो।

**श्री सभापति** : The Minister-in-charge to give the reply.

# Page No. 99



**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : मैं इसका समर्थन करना चाहता हूँ।

**श्री सभापति** : श्री झाला।

**श्री विजयसिंह झाला** : माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं समझता हूँ कि जो चेयरमैन को नोमीनेट करने की प्रथा डाली है वह शिक्षा के भी विरुद्ध है। जो भाषण वित्त मंत्रीजी ने दिया उससे स्पष्ट है कि जो मौजूद शिक्षा पद्धति हमारे राजस्थान में है उसमें कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार किसी एक ऐसे आदमी के जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखता हो या किसी मंत्री विशेष से संबंध रखता हो, ऐसे आदमी को यदि शिक्षा विभाग में नोमीनेट करेंगे तो शिक्षा का सुधार नहीं हो सकता। और जब कि बोर्ड के अन्दर शिक्षा पद्धति से संबंधित कई ऐसे विद्वान हैं जिनकी राय से काम चल सकता है और यदि उन्हीं में से इस शिक्षा पद्धति के सही नियमों को बनाने वाले ही इस बोर्ड के तीन, चार आदमियों को रिकमन्ड करें और उन्हीं आदमियों में से हमारी सरकार यदि नोमीनेट करे तो कुछ बात समझ में आ सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो गैर सरकारी व्यक्ति हैं, जो कि इस बोर्ड से कोई संबंध नहीं रखता है, यदि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे तो यह मेरी समझ में कोई उचित या शिक्षा के लिए लाभप्रद बात हो, ऐसे मैं नहीं कह सकता। यहां तक कि इसी आदमी को तीन साल के बाद पुनः चेयरमैन नियुक्त किया जासकता है। मैं मानताहूँ कि एक आदमी की १०० साल तक की उमर हो तब तक वह रखा जा सकता है यदि वह किसी मंत्री महोदय का कृपा-पात्र हो तो। आज गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के रिटायरमेंट के लिए बने हुए जो नियम हैं उनके भी विरुद्ध पड़ता है। मैं नहीं समझता कि एक आदमी केवल इसीलिए १०० वर्ष की उम्र तक सरकारी पोस्ट पर या नोमीनेटेड पद पर बना रहना चाहे और तनख्वाह लेता रहे और कोई विशेष लाभ भी शिक्षा के लिए नहीं हो। इसलिए यह शिक्षा के लिए भी अच्छा नहीं है और एक पब्लिक पॉलिसी है उसके भी विरुद्ध मैं मानता हूं। आज प्रजातन्त्र के युग में इस प्रकार का आदमी जो शिक्षा पद्धति में किसी प्रकार का अनुभव नहीं रखता हो और जब कि इस बोर्ड के अन्दर आदमी हैं जो कि बोर्ड के चेयरमैन बनाये जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में....

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (राजसमन्द) : The gentleman who is likely to be appointed has been the Principal of a college.

**श्री विजयसिंह झाला** : मेरी समझ में यह नहीं आया कि कांकरोली से आने वाले माननीय सदस्य को इसका जवाब देना है या इसका जवाब तो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वे ही देंगे। वे बीच में इस प्रकार से ट्रबल क्यों करते हैं?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : I was only drawing the attention of the Chairman that the Hon'ble Member was going astray...

**श्री सभापति** : yes, Coutinue.

**श्री विजयसिंह झाला** : तो सवाल है, सर, कि जिस उद्देश्य से एक चेयरमैन को नोमीनेट किया जाता है वह उद्देश्य यह है कि डाइरेक्टर को इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि वह सारा कार्यभार सम्हाले इसलिए किसी दूसरे आदमी को एपोइन्ट किया जाय तो इस उद्देश्य की पूर्ति इलेक्टेड चेयरमैन करके वह की जा सकती है और उस आदमी के तीन साल और आगे भी यदि बोर्ड रिकमन्ड करे तो उसके बाद भी जब तक वह चेयरमैन रहे तो जिस पोस्ट से वह आया उस पोस्ट से उसको छुट्टी दी जा सकती है। लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि किसी व्यक्ति विशेष को लिया जाय और उम्र भर इस चेयरमैन के नाम से उसको नोमीनेट रखा जाय, तो मेरी समझ में इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

इसलिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ।

**श्री सभापति** : The House is adjounred till 11 A. M. tomorrow.

( तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५.०० बजे दिनांक ५ अप्रेल, १६६२ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई। )

---

## संक्षिप्त–विवरण

( बुधवार, ४ अप्रैल, १९६२ )

स्कम्भ

**तारांकित प्रश्नों के शीर्षक** २२५३

लूणकरणसर–सूरतगढ़ रोड का निर्माण कार्य

गुड़–खांडसारी समितियां–खमनोर पंचायत समिति ।

कदमाली नदी पर पुल का निर्माण ।

बीकानेर–लूणकरणसर सड़क ।

केन्द्रीय भेड़ अनुसंधान केन्द्र खोलने की व्यवस्था ।

खारी नाले का निर्माण कार्य–कस्बा हिन्डौन ।

पुलिस थानों की सीमा का निर्धारण ।

हिन्डौन शहर में नल लगवाने की योजना ।

नैतपुर–तलवास सड़क का निर्माण कार्य ।

कृषि सहकारी समितियां–जिला उदयपुर ।

ग्राम सिंथल, तहसील बीकानेर में विद्युत वितरण ।

कृषि विश्वविद्यालय का खोला जाना ।

जयपुर शहर में पानी और बिजली की दरों में कमी करना ।

सपोटरा–हाड़ोती सड़क के निर्माण की योजना ।

पाटन तहसील में पशु-अस्पताल ।

राजस्थान रोडवेज की बसों का किराया ।

स्कम्भ

**स्थगन प्रस्ताव** २३०३

श्री मुरलीधर व्यास, (बीकानेर) ने मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा के कतिपय कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

श्रम मंत्री श्री भीखाभाई, ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

**विधायी कार्य–विचारार्थ लिये गये विधेयक**

**१. राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६२** २३०८

उपरोक्त विधेयक खंडशः विचार के पश्चात् सदन द्वारा पारित किया गया ।

स्कम्भ

२. **राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६२** २३५१

उपरोक्त विधेयक पर आज खंडशः विचार किया गया। खंड-२,३ व ४ बिना संशोधन स्वीकार किये गये।

खंड ५-संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड ६, ७-बिना संशोधन स्वीकार किये गये।

खंड १ आदि-स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

३. **राजस्थान न्यायालय शुल्क तथा वाद-मूल्य निर्धारण ( संशोधन ) विधेयक, १९६२** २४३८

उपरोक्त विधेयक सदन द्वारा विचारार्थ लिया जाकर पारित किया गया।

४. **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा ( संशोधन ) विधेयक, १९६२** २४३९

श्री परसराम मदेरणा, उप-मंत्री, शिक्षा, का यह प्रस्ताव कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, सदन द्वारा स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक पर खंडशः विचार आरम्भ हुआ।

खंड २ व ३—श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ( रायसिंह नगर ), द्वारा खण्ड २ व ३ पर प्रस्तुत संशोधनों पर बहस हो रही थी कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे गुरुवार, दिनांक ५ अप्रैल, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

स्कम्भ

## गुरुवार, ५ अप्रैल, १९६२ की कार्य-सूची

१. मंत्रियों में अविश्वास प्रस्ताव।

२. पुरः स्थापित विधेयक।

(क) राजस्थान अध्यारोपित ( सुपरइम्पोज्ड) स्टाम्प वैधकरण विधेयक, १९६२।

(ख) जोधपुर विश्व विद्यालय विधेयक, १९६२।

३. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६२ ( अग्रेतर खंडशः विचार विमर्श एवं पारित )

४ राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६२ (खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

५. राजस्थान अराई तहसील (अजस्त्र अस्तित्व) वैधकरण विधेयक, १९६२ (विचारार्थ एवं पारित)।

६. राजस्थान डिवीज़नल कमिश्नर

स्कम्भ

(पद-उन्मूलन) विधेयक, १९६२ (विचारार्थ एवं पारित)

स्कम्भ

७. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ (विचारार्थ)

---

## परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०३ का उत्तर देखिये )

| क्रमांक | नाम कृषि सहकारी समिति | सदस्य संख्या | इस समिति के पास कितनी भूमि है। | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १. | बड़ीचा सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० | १७ | १०० बीघा | सन् ६१ में जमीन अलॉट हुई परंतु गांव-वालों ने कब्जा नहीं दिया। मामला अदालत में चल रहा है। |
| २. | मोहनपुरा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० | २३ | २१५ बीघा | |
| ३. | कालबेलिया रेयत कृषि सहकारी समिति लि०, विजयनगर | १३ | १४० बीघा | |
| ४. | नाथूवास संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० | २८ | १४२ बीघा | |
| ५. | सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि०, कुवारिया | २६ | २४४ बीघा | |
| ६. | दी राजस्थान बैटर फार्मिंग कॉपरेटिव सोसायटी लि०, उदयपुर | १०१ | कोई भूमि नहीं है। | दि० २४-७-५१ को अवसायन में लाई जा चुकी है। |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ७. | राजस्थान कृषि उद्योग सहकारी समिति लि०, उदयपुर | | रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। | कार्य नहीं कर रही, है, बन्द है। |
| ८. | गांधी सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि०, फतेनगर | ५३ | २०० बीघा | दि० १४-७-६० से अवसायन में है। |
| ९. | श्री पंचायत नगर सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० | | २०० बीघा | बन्द है ! सदस्य प्राय छोड़ कर चले गये हैं। |
| १०. | प्रताप सामुदायिक कृषि सहकारी समिति लि०, फतेनगर | १८ | १६५।) बीघा | |
| ११. | श्री सर्वोदय सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि० | ११ | भूमि प्राप्त नहीं हुई। | बन्द है। भूमि प्राप्त नहीं हुई। |
| १२. | जवाहरनगर कृषि सहकारी समिति लि० | १२७ | १,६०५ बीघा | |
| १३. | मावली संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० | १६ | १४३ बीघा | |
| १४. | टोकर किसान कृषि सहकारी समिति लि०, सराड़ा | ११ | १०० बीघा | |
| १५. | रठोड़ा किसान कृषि सहकारी समिति लि० | ३० | ३०० बीघा | |
| १६. | चणवदा कृषि सहकारी समिति लि० | १५ | १५० बीघा | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| १७. | जवाहर कृषि सहकारी समिति लि०, काकरवा | ३० | ३५॥) बीघा | |
| १८. | गांधी कृषि सहकारी समिति लि०, गवार | १३ | ६५ बीघा | |
| १९. | नाथावतों का गुड़ा कृषि सहकारी समिति लि० | १३ | ३५॥।)२ | बन्द है। सरकार से जो जमीन मिली उसका गांव वालों ने कब्जा नहीं दिया। मामला अदालत में चल रहा है। |
| २०. | मदार कृषि सहकारी समिति लि० | १० | ४० बीघा | ,, ,, |
| २१. | नवभारत रैयत कृषि सहकारी समिति लि०, उथनोल | ११ | ३५ बीघा | |
| २२. | खेड़ी रैयत कृषि सहकारी समिति लि०, खेड़ी | १४ | ६५ बीघा लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। | |
| २३. | रैयत कृषि सहकारी समिति लि०, पीपली आचार्यान | १२ | १८६ बीघा | |
| २४. | किसान रैयत कृषि सहकारी समिति लि०, ब्राह्मण टूकड़ा | ११ | ४७ बीघा | |
| २५. | ओडा कृषि सहकारी समिति लि० | १२ | ८६ बीघा | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| २६. | बड़गांव कृषि सहकारी समिति लि० | १० | ४५ बीघा | |
| २७. | आदर्श कृषि सहकारी समिति लि०, ताल | ३५ | २५८ बीघा | |
| २८. | कथोड़िया कृषि सहकारी समिति लि०, समीचा | १६ | १०५ बीघा | |
| २९. | मातड़ी कृषि सहकारी समिति लि० | १० | ६५ बीघा | |
| ३०. | आदर्श कृषि सहकारी समिति लि०, कालेसरिया | १४ | १६५ बीघा | |
| ३१. | कथोड़िया कृषि सहकारी समिति लि०, कुकड़ा का खेड़ा | ११ | ५५ बीघा | |
| ३२. | मनोहरपुरा आदिवासी रेयत कृषि सहकारी समिति लि० | १२ | ५६॥ बीघा | |
| ३३. | बड़गांव रेयत कृषि सहकारी समिति लि० | १३ | ८७ बीघा | |
| ३४. | बापू सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि०, उदयपुर | ३८ | भूमि नहीं है | बन्द है। |
| ३५. | जोगी वड़ रेयत कृषि सहकारी समिति लि० | ११ | भूमि प्राप्त नहीं हुई | बन्द है। अवयायन में लाने की कार्यवाही की जा रहा है। |
| ३६. | आदर्श कृषि सहकारी समिति लि० भाणा | ११ | ,, | ,, |

| १ | २ | ३ | ४ | ६ |
|---|---|---|---|---|
| ३७. | घोड़च मित्र संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० | १३ | भूमि आपस में बांट ली है | बन्द है। अवसायन में लाने की कार्यवाही की जा रही है। |
| ३८. | श्री अमलाई संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० सिरोही का भायल | ११ | ११ बीघा | |
| ३९. | लोहिरा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० | १८ | ४० बीघा | |
| ४०. | वनपुरा रैयत कृषि सहकारी समिति लि० | ११ | ३० बीघा | |
| ४१. | ईशरमन्ड रैयत कृषि सहकारी समिति लि० | २६ | २१९ बीघा | |
| ४२. | वीर घोलिया रैयत कृषि सहकारी समिति लि० | १७ | १२० बीघा | |
| ४३. | श्री गणेश रैयत कृषि सहकारी समिति लि० उदावतों की बागल | २३ | १४७ बीघा | |
| ४४. | श्री अम्बा रैयत कृषि सहकारी समिति लि०, सलोदा | १४ | ९५ बीघा | |

## शुद्धि-पत्र

( बुधवार, ४ अप्रेल, १९६२ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| २२५६ | १७ | कन्स्ट्रकश्न | कन्सट्रक्शन |
| २२५७ | १२ | क्लेक्शन | कलेक्शन |
| ,, | १४ | करलें | करते |
| २२६१ | २२ | प्रिन्ट्र्स | प्रिन्ट्स |
| २२८६ | अन्तिम से ३ | डिसक्शन | डिस्कशन |
| २२८९ | १ | वेटनेरी | वेटेरिनरी |
| ,, | ३ | ओर दूसरी और दूसरी | और दूसरी |
| ,, | २१ | उपपुक्त | उपयुक्त |
| २२९० | ६ | सहर | शहर |
| ,, | ९ | Will be | will the |
| ,, | १९,२०व२१ | chamble tariff is applied to the ciy after supply of chambal nower has been receiuew. | chambal tariff is applied to the city after supply of chambal power has been received. |
| ,, | २४ | achange | a change |
| ,, | २५ | tatce | take |
| २२९४ | ३ | श्री विजसिह | श्री विजयसिंह |
| ,, | ९ | श्री रामानन्द्र | श्री रामानन्द |
| २२९६ | ८ | श्री मति | श्रीमती |
| २३०१ | ६ | अन् लोगडिंग | अनलोडिंग |
| ,, | १६ | श्री राभानन्द | श्री रामानन्द |
| ,, | २१ | गाया | गया |
| २३०६ | अन्तिम से ३ | अन्डर्टेकिंग | अन्डर्टेकिंग |
| २३१८ | २ | एग्रीक्लचरल | एग्रीकल्चरल |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २३२० | १३ | व्यँन्जना | व्यन्जना |
| ,, | १७ | आता की | आता । |
| २३२१ | ८ | में | हमें |
| २३२६ | अन्तिम से २ | ervants | servants |
| ,, | अंतिम पंक्ति | thos | those |
| २३३६ | ५ | कास्टस | कास्ट्स |
| २३३६ | ४ | लियां | लिया |
| २३४५ | २ | for thfe informationot the | for the information of the |
| २३५० | ११ | नाथाद्वारा | नाथद्वारा |
| ,, | २१ | नहीं | नही |
| ,, | २४ | epared | prepared |
| २३५६ | शीर्षक | विघेयक | विधेयक |
| ,, | १५ | हित में | हित में |
| २३६० | शीर्षक | (संशौधन) | ( संशोधन ) |
| २३६६ | २४ | डिस्कसन | डिस्कशन |
| २३६६ | १० | gereral | general |
| ,, | १५–१६ | coloniation | colonisation |
| ,, | अन्तिम पंक्ति | विचाराधीन | विचारधीन |
| २३८६ | अंतिम से ३ | सराणा | सारण |
| २४०७ | शीर्ष | ( श्री रामानन्द अगवाल ) | ( श्री रामप्रसाद लढ्ढा ) |
| २४१५ | ,, | ( श्री रामप्रसाद लड्ढा ) | ( श्री भीमसेन ) |
| २४२६ | ७ | जिन्नेस | बिजनेस |
| २४३३ | १३ | cireulated | circulated |
| २४३६ | ११ | (खंडश: विमर्श एवं पारित) | (विचारार्थ एवं खंडश: विचार) |
| २४४३ | १० | अमेंडमेंट | ( अमेंडमेंट ) |
| २४४४ | अंतिम से ३ | इंस्टिट्युयूशन | इंस्टिट्युशन |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २४६२ | कालम ५, पंक्ति २ | अवयायन | अवसायन |